संशोधित प्रति
28-7-2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001–2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001–2002)

जनपद - इलाहाबाद

इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–5
2.	शैक्षिक परिदृश्य	6–17
3.	नियोजन प्रक्रिया	18–37
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	38–41
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	42–45
6.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (नवीन विद्यालय)	46–50
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार–1, (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	51–61
8.	ठहराव में वृद्धि	62–83
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	84–119
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	120–143
11.	परियोजना लागत	144-157
12.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	158-168
	परिशिष्ट	
	महत्वपूर्ण शासनादेश	

अध्याय–1

जनपद का परिचय

पृष्ठभूमि –

जनपद इलाहाबाद उ०प्र० का एक प्रमुख शहर है जिसमें गंगा, यमुना तथा सरस्वती का पावन संगम है। इलाहाबाद का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 5248.2 वर्ग किलोमीटर है। जनपद में कुल 7 तहसीलें, 20 विकास खण्ड हैं, इनमें जमुना पार में 4 तहसील, 9 विकास खण्ड तथा गंगा पार में 3 तहसील, 11 विकास खण्ड हैं। इलाहाबाद का नगर क्षेत्र का एरिया 116.2 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्र 5132.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2001 के अनुसार इलाहाबाद की जनसंख्या 4941510 हैं, जिसमें 2625872 पुरुष 2315638 महिलायें हैं। जातिवार जनसंख्या एवं उनका प्रतिशत अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जनगणना 1991 की सूचना दी जा रही है। जनपद में 0–6 वर्ष में बच्चों की कुल संख्या जनगणना 2001 के अनुसार 852215 है। जो कुल संख्या का 17.2 प्रतिशत है।

क्र०सं०	विवरण	पुरुष	महिला	योग	प्रतिशत
1.	कुल	2008381	1755530	3763911	
2.	अनुसूचित जाति	422994	378953	801947	21.30 प्रतिशत
3.	जनजाति	1236	939	2175	0.057 प्रतिशत

यमुनापार के दक्षिणी तथा पूर्वी छोर पर स्थित विकास खण्ड शंकरगढ़, कोरांव तथा माण्डा का भूभाग पर्वतीय तथा गैर–उपजाऊ है जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूता हैं तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन तथा मजदूरी है, छोटी–छोटी नदियों व नालों से घिरी भूमि अनुपजाऊ है। गंगापार क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा जनपद– प्रतापगढ़, जौनपुर तथा पूर्वी हिस्सा जनपद– सन्त रविदास नगर से मिला है। यहाँ की भूमि समतल है तथा यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि तथा कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। जनपद की पश्चिमी सीमा जनपद कौशाम्बी से लगी हैं जो 1998 में इलाहाबाद से अलग होकर पृथक जनपद के रूप में अस्तित्व में आया है।

इलाहाबाद शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। वर्तमान में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख ख्याति प्राप्त केन्द्र है। इलाहाबाद में कुल 20 डिग्री कालेज, 326 माध्यमिक विद्यालय हैं, इसके अतिरिक्त तीन विश्वविद्यालय तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज स्थित है। प्रशिक्षण केन्द्र

के रूप में भी इलाहाबाद की अपनी एक पहचान है। यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनेक विभाग जैसे राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञान शाला, शिक्षा प्रसार, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, आई.ए.एस.सी. (राजकीय सी.पी.आई.) स्थापित है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक प्रबन्धन एवं नियोजन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। प्रदेश स्तर की संस्थाओं में शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद, राजस्व परिषद, बार कौंसिल, उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय, राजकीय मुद्रणालय के मुख्यालय भी यहीं पर स्थित हैं। इलाहाबाद व्यवसायिक केन्द्र भी है और अधिकांश लोग नौकरी से जुड़े हैं। यमुनापार का नैनी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ 40 फैक्टरियाँ हैं। गंगापार क्षेत्र में इफको फूलपुर, तथा मऊआइमा कताई मिल औद्योगिक संस्थान के रूप में प्रमुख स्थान रखता है।

प्रशासन व्यवस्था-

प्रशासन व्यवस्था की दृष्टि से जनपद में कुल 208 न्याय पंचायतें 1378 ग्राम पंचायतें और 2978 राजस्व ग्राम स्थित है, जो निम्नलिखित सारणी 1 में प्रदर्शित है-

सारणी-1.1

प्रशासनिक संरचना

क्रमांक	मद	संख्या
1.	तहसील	7
2.	विकास खण्ड	20
3.	न्याय पंचायत	208
4.	ग्राम सभाएं	1378
5.	राजस्व ग्राम	2978
6.	बस्तियों की संख्या	5531
नगरीय क्षेत्र		
1.	नगर निगम	01
2.	नगर महापालिका	01
3.	नगर पालिका	–
4.	टाउन एरिया	9
5.	वार्ड	169

स्रोत : 1991 की जनगणना

विकास खण्डवार इसका विवरण निम्नवत् है–

सारणी-1.2

प्रशासनिक संरचना

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या	राजस्व ग्रामों की संख्या	बस्तियों की संख्या
1.	शंकरगढ़	10	60	211	349
2.	जसरा	9	60	114	172
3.	चाका	8	49	132	179
4.	करछना	11	71	131	371
5.	कौंधियारा	8	44	81	207
6.	कोरांव	11	99	211	333
7.	मेजा	9	60	159	259
8.	उरुवा	8	54	120	261
9.	माण्डा	8	63	183	268
10.	कोड़िहार	12	67	150	221
11.	सोरांव	9	57	112	122
12.	होलागढ़	11	57	92	301
13.	मऊआइमा	11	52	93	201
14.	बहरिया	13	95	210	465
15.	फूलपुर	11	80	153	223
16.	बहादुरपुर	18	93	201	230
17.	हँडिया	10	69	133	213
18.	सैदाबाद	11	85	161	238
19.	धनुपुर	10	89	200	473
20.	प्रतापपुर	10	72	131	446
	योग–	208	1378	2978	5531

स्रोत : 1991 की जनगणना।

जनपद में 263 राजस्व ग्राम गैर आबाद हैं। जनपद में नगर महापालिका 1 तथा 10 अन्य छोटी नगर इकाइयाँ विभिन्न विकास खण्डों में स्थापित हैं। नगर महापालिका में कुल 80 वार्ड, नगर लालगोपालगंज में 9 वार्ड तथा टाउन एरिया शंकरगढ़, कोरांव, फूलपुर, सिरसा, मेजारतगंज, मऊआइमा, झूंसी तथा हँडिया में क्रमशः 9, 10, 10, 12, 10, 14, 12 तथा 12 वार्ड हैं।

जनसंख्या

1991 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की कुल जनसंख्या 3773911 है तथा प्रति वर्ष वृद्धि दर 2.29 के आधार पर वर्ष 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 4876573 अनुमानित है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 74.4 प्रतिशत है तथा नगरीय जनसंख्या 25.6 प्रतिशत है। कुल जन संख्या में पुरुष तथा महिला का प्रतिशत क्रमशः 53.2 तथा 46.8 है। अनुसूचित जाति की आबादी 21.24 प्रतिशत है, जिसका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है:-

सारणी–1.3

जनसंख्या का विवरण

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	शंकरगढ़	54642	47983	102625	71531	62858	134439
2.	जसरा	60462	51937	112399	80833	52016	112899
3.	चाका	69135	58135	127270	90567	76157	166724
4.	करछना	83299	71635	154934	115578	10095	215673
5.	कौंधियारा	53006	46198	99204	69437	60519	129956
6.	कोरांव	97857	84992	182849	128193	111340	239533
7.	मेजा	62773	54516	117289	76583	66509	143092
8.	उरुवा	69112	62275	131387	90275	81842	172117
9.	माण्डा	61773	55481	117254	81923	72680	153603
10.	कोडिहार	74802	67092	141894	97991	87690	185881
11.	सोरांव	70566	62897	133463	88091	76734	162825
12.	होलागढ़	64389	60945	125334	85144	59390	124534
13.	मऊआइमा	61330	56768	118098	80342	74367	154709
14.	बहरिया	94558	86689	181247	123871	113563	237434
15.	फूलपुर	78160	71758	149918	102390	94003	196393
16.	बहादुरपुर	110930	97194	208124	145318	127124	272442
17.	हंडिया	72570	65228	137798	114340	95951	210291
18.	सैदाबाद	87598	78828	166426	114753	103264	218017
19.	धनुपुर	78939	72477	151416	103411	95075	198486
20.	प्रतापपुर	77403	72972	150375	101398	95593	196991
	योग ग्रामीण	1483104	1326200	2809304	1920069	1616970	3526039
21.	नगर क्षेत्र	525277	429330	964607	688112	562422	1250534
	महा योग	2008381	1755530	3773911	2608181	2179392	4876573

स्रोत : 1991 की जनगणना

नोट : जनगणना 2001 की क्षेत्रवार जनसंख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण इस प्रकार है :–

सारणी–1.4

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	शंकरगढ़	17785	15709	33494	23298	20579	43877
2.	जसरा	13402	11728	25130	16350	14308	30658
3.	चाका	18021	15582	33603	23608	20412	44020
4.	करछना	15149	13199	28348	20998	18979	39977
5.	कौंधियारा	13468	11902	25370	18481	15592	34073
6.	कोरांव	28542	24837	53379	37390	32536	69926
7.	मंजा	14232	12487	26719	17363	15234	32597
8.	उरुवा	16058	14151	30209	21036	18538	39574
9.	मांण्डा	15464	13724	29188	20258	17978	38236
10.	कोड़िहार	17051	15943	32994	22390	20832	43222
11.	सोरांव	19467	17774	37241	23750	21684	45434
12.	होलागढ़	15949	15693	31642	20893	20557	41450
13.	मऊआइमा	14478	14037	28515	18966	18388	37354
14.	बहरिया	23484	21994	45478	30782	28788	59570
15.	फूलपुर	18170	16682	34852	23622	21686	45308
16.	बहादुरपुर	27328	23860	51188	35800	31257	67057
17.	हंडिया	14825	13255	28080	19416	17361	36777
18.	सैदाबाद	20315	18261	38576	26612	23921	50533
19.	धनुपुर	16664	15735	32399	21828	20613	42441
20.	प्रतापपुर	18915	17883	36798	24779	23426	48205
	योग ग्रामीण	**358767**	**324436**	**683203**	**455814**	**411131**	**866945**
21.	नगर क्षेत्र	54227	54517	118744	84137	71417	155554
	महा योग	**412994**	**378953**	**801947**	**539951**	**482548**	**1022499**

स्रोत : 1991 की जनगणना

नोट : जनगणना 2001 की क्षेत्रवार जनसंख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष 1993–94 से 2000 तक जनपद में सभी के लिये शिक्षा परियोजना चलाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्यगत बच्चों का विद्यालयों में शत्प्रतिशत नामांकन कराना एवं विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित करना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना रहा है। इसकी पूर्ति हेतु नवीन 770 प्रा.वि. 166 उ.प्रा.वि. खोले गये, 819 हैण्ड पम्प, 1563 शौचालयों का निर्माण कराया गया तथा शिक्षकों को विविध प्रकार के सेवारत/पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण दिये गये। इन प्रयासों के बाद भी वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसे सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

साक्षरता

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 46.3 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों का दर 63 प्रतिशत तथा महिलाओं का 26.3 प्रतिशत है, जनपद की साक्षरता का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है–

सारणी–2.1

जनपद की साक्षरता

जनपद की साक्षरता दर	प्रतिशत
कुल साक्षरता	46.3
ग्रामीण साक्षरता	37.2
नगरीय साक्षरता	70.9
कुल पुरुष साक्षरता	63.1
कुल महिला साक्षरता	26.8
कुल ग्रामीण पुरुष साक्षरता	56.8
कुल ग्रामीण महिला साक्षरता	15.0
नगरीय पुरुष साक्षरता	79.3
नगरीय महिला साक्षरता	60.3

स्रोत : 1991 की जनगणना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 62.89 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता दर 77.13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 46.61 प्रतिशत है विगत दशक में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है।

साक्षरता की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्नता है। विकास खण्डवार साक्षरता के आकड़ों से यह बात भली प्रकार परिलक्षित होती है कि जहाँ कौंधियारा विकास खण्ड की साक्षरता 29.6% है वहीं विकास खण्ड उरुवा की साक्षरता 46.2% है। एक ओर कौंधियारा की महिलाओं की साक्षरता

9% है वहीं विकास खण्ड उरुवा में महिला साक्षरता 18.9% है। इससे स्पष्ट होता है कि जनपद के कुछ क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से विकसित हैं वहीं अधिकांश क्षेत्रों के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना अवशेष है। नगरीय क्षेत्र का कुल साक्षरता प्रतिशत 70.9 में पुरुषों की साक्षरता 79.3 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता 60.3 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की कुल साक्षरता 37.2% में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 56.8% तथा 15.0% है। जनपद तथा विकास खण्डवार साक्षरता विवरण सारणी 2.1 तथा 2.2 में प्रदर्शित है।

सारणी–2.2

साक्षरता दर (वर्ष 1991 के अनुसार)

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1.	शंकरगढ़	49.5	17.4	34.7
2.	जसरा	54.9	18.3	38.2
3.	चाका	57.4	22.3	41.6
4.	करछना	61.6	15.6	40.6
5.	कौंधियारा	47.0	9.1	29.6
6.	कोरांव	46.6	10.2	29.9
7.	मेजा	55.5	12.9	35.9
8.	उरुवा	70.7	18.9	46.2
9.	माण्डा	60.4	13.7	38.5
10.	कोड़िहार	56.2	17.9	38.3
11.	सोरांव	57.9	16.8	38.7
12.	होलागढ़	55.9	15.7	36.5
13.	मऊआइमा	50.8	12.1	32.3
14.	बहरिया	59.3	15.4	38.4
15.	फूलपुर	57.1	13.9	36.4
16.	बहादुरपुर	60.3	18.4	40.9
17.	हंडिया	58.6	12.1	36.6
18.	सैदाबाद	58.6	14.1	37.7
19.	धनुपुर	56.4	10.6	34.5
20.	प्रतापपुर	57.7	13.8	36.4
	योग ग्रामीण	**56.8**	**15.0**	**37.2**
21.	नगर क्षेत्र	79.3	60.3	70.9
	महा योग	**63.1**	**26.8**	**46.3**

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना की विकासखण्ड/नगर क्षेत्र वार साक्षरता का विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिये 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

शैक्षिक संस्थाएँ–

जिला संख्या एवं अर्थ अधिकारी इलाहाबाद से प्राप्त सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 1990-91 में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता और 56.00 थी। जो वर्ष 1998-99 में बढ़कर 58.80 हो गयी। जनसंख्या एवं उपलब्ध विद्यालयों को देखते हुए जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की बहुत कमी है।

जनपद इलाहाबाद में स्थित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का संख्यात्मक विवरण निम्नवत है–

सारणी 2.3 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाय तो प्रति प्राथमिक विद्यालय 3.12 वर्ग किमी. और प्रति पूर्व माध्यमिक विद्यालय 8.74 वर्ग किमी. क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 1636 जनसंख्या पर 1 प्राथमिक विद्यालय और 5018 जनसंख्या पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय जनपद में स्थित है।

सारणी-2.3

जनपद-इलाहाबाद

शैक्षिक संस्थाएँ

क्र.सं.	संस्थाएँ	परिषदीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	प्राथमिक विद्यालय	1688	120	1808	237	280	517	1925	400	2325	213	150	363
2.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	–	–	14	15	29	14	15	29	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	342	24	366	243	148	391	585	172	757	–	–	–
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक	–	–	–	82	155	237	82	155	237	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	–	04	4	–	–	–	0	4	4	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	01	–	1	-	-	-	1	0	1	–	–	–
7.	हाई स्कूल	04	04	08	50	24	74	54	28	82	–	–	–
8.	इण्टरमीडियट	03	02	05	116	125	241	119	127	246	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	05	–	-	09	11	20	9	11	20	–	–	–
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	–	–	-	03	09	12	3	9	12	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	-	-	-	-	0	3	3	–	–	–
12.	तकनीकी संस्थान	01	01	2	-	-	-	0	2	2	–	–	–

	(आई.टी.आई./पालीटेक्निक)												
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ	-	-			08	08	0	8	8	-	-	-
14.	आंगन वाड़ी केन्द्रों की संख्या	-	-		1270		1270	1270	0	1270	-	-	-
15.	मकतब / मदरसे	-	-		34	06	40	34	6	40	-	-	-
16.	संस्कृत पाटशालाएँ	-	-		21	08	29	21	8	29	-	-	-
17.	बाल श्रमिक	-	-		37		37	37	0	37	-	-	-
18.	अन्ध/मूक बधिर	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
19.	डायट	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
20.	बी.आर.सी.	-	-	-	-	-	-	20	-	20	-	-	-
21	सी.आर.सी	-	-	-	-	-	-	208	-	208	-	-	-

सारणी-2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

(1.7.2000) की स्थिति

विद्यालय	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षामित्रों की संख्या
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	6872	4900	1972	1566
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1937	1431	506	-

विद्यालय सुविधा / बस्तियाँ–

विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की संख्या को देखते हुए यह बात उभर कर आती है कि जनपद में निर्धारित मानक (300 आबादी तथा 1.5 किमी० दूरी) पूरा करने वाली बस्तियों में औपचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिये ई.जी.एस., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अथवा अन्य प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अन्य प्रकार के अनौपचारिक केन्द्रों की भी आवश्यकता है। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों का विवरण तथा दूरी के अनुसार विद्यालयी सुविधा उपलब्ध बस्तियों की संख्या निम्नवत है, जिसे जनपद स्तर पर सारणी 2.5 तथा ब्लाकवार 2.5.1 द्वारा प्रदर्शित है–

सारणी-2.5

सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

विवरण	1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	1940	1156	305

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

विवरण	3 किमी. से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 किमी. से अधिक पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है	493	490	595 (नगर क्षेत्र छोड़कर)

सारणी-2.5.1

सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

क्र० सं०	नाम विकास खण्ड	ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है				
		1 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 से 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित नवीन प्रा०वि०	2:1 के अनुसार अतिरिक्त उ०प्रा० की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	9
1.	शंकरगढ़	124	124	46	21	34
2.	जसरा	40	52	25	9	32
3.	चाका	81	9	12	8	28
4.	करछना	130	56	28	10	42
5.	कौंधियारा	126	23	28	11	20
6.	कोरांव	177	46	20	20	43
7.	मेजा	95	90	22	12	29
8.	उरुवा	30	124	14	10	32
9.	माण्डा	84	104	3	3	25
10.	कोड़िहार	80	100	8	10	25
11.	सोरांव	80	10	5	2	22
12.	होलागढ़	2	75	5	5	24
13.	मऊआइमा	40	9	3	3	26
14.	बहरिया	64	150	12	12	32

15.	फूलपुर	96	34	10	7	22
16.	बहादुरपुर	163	36	7	5	29
17.	हंडिया	138	19	10	5	26
18.	सैदाबाद	150	45	10	10	38
19.	धनुपुर	155	25	16	12	28
20.	प्रतापपुर	85	25	21	11	38
	योग ग्रामीण	**1940**	**1156**	**305**	**186**	**595**
21.	नगर क्षेत्र	-	-	-	-	32
	महा योग	**1940**	**1156**	**305**	**186**	**624**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में वर्तमान में 305 ऐसी बस्तियाँ है जिनकी आबादी 300 से अधिक हैं और जिनके 1.5 किमी० की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण करने पर यह बात स्पष्ट हुई है कि 305 बस्तियों को विद्यालय से सेवित करने के लिये 186 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने पड़ेंगे। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2:1 का अनुपात रखने के लिये 624 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र में भूमि की अनुपलब्धता के कारण मात्र ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कुल 595 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

नामांकन

जनपद इलाहाबाद में 6–11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 628555 है जिसमें 332885 लड़के तथा 295670 लड़कियां हैं तथा 11–14 वय वर्ग के कुल संख्या 362213 है जिसमें 198649 लड़के तथा 163564 लड़कियां हैं। 6–11 वय वर्ग में प्राथमिक स्तर के 311580 बालक तथा 272348 बालिका कुल 583928 बच्चे विद्यालय जाते हैं तथा 21305 बालक तथा 23322 बालिका कुल 44627 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के कुल 17660 बालक तथा 25081 बालिका कुल 42741 बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं।

6–11 वय वर्ग तथा 11–14 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं के नामांकन का विस्तृत विवरण तालिका 2.7 में प्रदर्शित किया गया है। स्कूल से बाहर 6–11 वय वर्ग के बच्चे शंकरगढ़ 15.6 प्रतिशत, जसरा 7.65 प्रतिशत, चाका 10.79 प्रतिशत, करछना 7.7 प्रतिशत, कौंधियारा 10.11 प्रतिशत, कोरांव 16.3 प्रतिशत, मेजा 16.94 प्रतिशत, उरुवा 5.96 प्रतिशत, माण्डा 8.31 प्रतिशत, कौड़िहार 1.05 प्रतिशत, सोरांव 1.13 प्रतिशत, होलागढ़ 1.84 प्रतिशत, मऊआइमा 1.06 प्रतिशत, बहरिया 14.52 प्रतिशत, फूलपुर 4.62 प्रतिशत, बहादुरपुर 10.56 प्रतिशत, हण्डिया 9.7 प्रतिशत, सैदाबाद 3.67 प्रतिशत, धनूपुर 9.9 प्रतिशत, प्रतापपुर 3.05 प्रतिशत और नगर .02 प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत वाले क्षेत्र कोरांव, मेजा, शंकरगढ़ व बहरिया हैं और नियुन्तन प्रतिशत नगर, कौड़िहार, सोरांव, मऊआइमा व होलागढ़ का है।

सारणी-2.7.

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बाल गणना 6-14 वय वर्ग वर्ष जनवरी 2001

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	6-11 वय वर्ग के बच्चे									11-14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय जाने वाले बच्चे			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	शंकरगढ़	14406	11821	26227	12471	9648	22119	1935	2173	4108	4844	3617	8461	4250	2873	7123	594	744	1338
2.	जसरा	13570	10767	24337	12735	9736	22471	835	1031	1866	4067	2810	6877	3745	2438	6183	322	372	694
3.	चाका	15383	13337	28720	13917	11702	25619	1466	1635	3101	5654	4167	9821	4955	3302	8257	699	865	1564
4.	करछना	18313	14723	33036	17305	13176	30481	1008	1547	2555	7322	4529	11851	6749	3481	10230	573	1048	1621
5.	कौधियारा	13915	11566	25481	12820	10084	22904	1095	1482	2577	4682	3186	7868	4274	2578	6852	408	608	1016
6.	कोरांव	24401	19513	43914	21050	15697	36747	3351	3816	7167	7937	5725	13662	6824	4476	11300	1113	1249	2362
7.	मेजा	15022	11782	26804	13082	9179	22261	1940	2603	4543	4873	3361	8234	4263	2492	6755	610	869	1479
8.	उरुवा	17492	14139	31631	16689	13056	29745	803	1083	1886	6977	4854	11831	6716	4231	10947	261	623	884
9.	माण्डा	14154	11635	25789	13391	10253	23644	763	1382	2145	6193	4025	10218	5978	3327	9305	215	698	913
10.	कोड़िहार	12445	11162	23607	12260	11097	23357	185	65	250	6957	6240	13197	6658	6050	12708	299	190	489
11.	सोरांव	11740	10464	22204	11609	10344	21953	131	120	251	6563	5860	12423	6423	5710	12133	140	150	290
12.	होलागढ़	14921	14236	29157	14797	13823	28620	124	413	537	6284	5205	11489	5640	4345	9985	644	860	1504
13.	मऊआइमा	10975	8704	19679	10915	8554	19469	60	150	210	6365	4619	10984	6290	4494	10784	75	125	200
14.	बहरिया	15756	14445	30201	12896	12918	25814	2860	1527	4387	8794	8063	16857	5982	4342	10324	2812	3721	6533
15.	फूलपुर	19323	15599	34922	18567	14741	33308	756	858	1614	7377	5533	12910	6881	4931	11812	496	602	1098
16.	बहादुरपुर	18283	16092	34375	16364	14378	30742	1919	1714	3633	10205	8983	19188	8822	7555	16377	1383	1428	2811
17.	हडिया	17835	12988	30823	15806	12026	27832	2029	962	2991	4006	2737	6743	3475	2204	5679	531	533	1064
18.	सैदाबाद	17344	14246	31590	16995	13433	30428	349	813	1162	7398	5418	12816	7063	4712	11775	335	706	1041
19.	धनुपुर	17965	13444	31409	16562	11734	28296	1403	1710	3113	7772	5147	12919	7018	4051	11069	754	1096	1850
20.	प्रतापपुर	12878	12140	25018	12471	11782	24253	407	358	765	7199	6787	13986	6240	6241	12481	959	546	1505
	योग	316121	262803	578924	292702	237361	530063	23419	25442	48861	131469	100866	232335	118246	83833	202079	13223	17033	30256
21.	नगर क्षेत्र	98933	65235	164168	95933	64635	160568	3000	600	3600	19889	14252	34141	19689	13252	32941	200	1000	1200
	महायोग	415054	328038	743092	388635	301996	690631	26419	26042	52461	151358	115118	266476	137935	97085	235020	13423	18033	31456

सारणी 2.8

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (6-11 वय वर्ग के बच्चे) जनवरी, 2001

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	कुल छात्र संख्या			अनूसूचित जाति के छात्र			कुल नामांकन में परिषद का प्रतिशत
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	शंकरगढ़	7739	6874	14613	3765	2913	6678	66.06
2.	जसरा	7707	6735	14442	2947	2463	5410	64.26
3.	चाका	7896	7807	15703	3548	3475	7023	56.37
4.	करछना	11390	10390	21780	3729	3132	6861	71.45
5.	कौंधियारा	5870	4998	10868	2487	1921	4408	68.56
6.	कोरांव	19030	12043	31073	6458	4429	10887	84.55
7.	मेजा	8095	6447	14542	2489	1942	4431	65.32
8.	उरुवा	9812	7580	17392	2276	1994	4270	58.47
9.	माण्डा	11578	9221	20799	3430	2832	6262	87.96
10.	कोड़िहार	7817	7763	15580	3638	3088	6726	66.7
11.	सोरांव	8703	8346	17049	3239	2957	6196	77.66
12.	हेलागढ़	9459	8908	18367	3591	3206	6797	64.17
13.	मऊआइमा	7990	7380	15370	3107	2765	5872	78.94
14.	बहरिया	11377	10701	22078	3417	2701	6118	85.52
15.	फूलपुर	10207	9376	19583	3791	3198	6989	58.79
16.	बहादुरपुर	11540	10977	22517	5312	4687	9999	73.25
17.	हडिया	10350	9348	19698	3470	2896	6366	70.77
18.	सैदाबाद	11774	10956	22730	4342	3774	8116	74.7
19.	धनुपुर	9907	8732	18639	3423	2664	6087	65.87
20.	प्रतापपुर	11727	10731	22458	4398	3823	8221	92.59
	योग	**199968**	**175313**	**375281**	**72857**	**60860**	**133717**	**68.60**
21.	नगर क्षेत्र	8933	9635	18568	2411	2601	5012	11.56
	महायोग	**208901**	**184948**	**393849**	**75268**	**63461**	**138729**	**40.08**

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड प्रतापपुर में परिपदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत सर्वअधिक 92.59, उसके विकास खण्ड बहरिया, माण्डा, कोरांव का प्रतिशत क्रमशः 85.52, 87.96 तथा 84.55 है। जबकि नगर क्षेत्र का प्रतिशत 11.56 है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालय में यह प्रतिशत सब से कम विकास खण्ड चाका का 56.37 है।

सारणी-2.9

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)

(प्राथमिक स्तर)

क्रमांक	मद	ग्रामीण	नगर	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जर्जर, पुनर्निर्माण	11	4	15
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या	17	39	56
	दो कक्षीय विद्यालयो की संख्या	327	31	358
	तीन कक्षीय विद्यालयो की संख्या	580	20	600
	चार कक्षीय विद्यालयो की संख्या	431	18	449
	पाँच कक्षीय तथा पाँच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	322	8	330
	योग-	1688	120	1808
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय- लघु	262	20	282
	वृहद	110	-	110
4.	शौचालय विहीन विद्यालय	165	30	195
5.	हैण्डपम्प विहीन विद्यालय	218	16	234
6.	चहार दीवारी विहीन विद्यालय	1618	23	1641

(उच्च प्राथमिक स्तर)

7. उ.प्रा.विद्यालय भवन कुल विद्यालयों की संख्या 342+15=366 भवन युक्त 366

भवनहीन - शून्य जर्जर (पुनर्निर्माण योग्य) 6+4= 10

8.	मरम्मत योग्य- लघु	58	06	64
	वृहद	32	00	32
9.	एक कक्षीय विद्यालय	2	1	03
	दो कक्षीय विद्यालयो की संख्या	8	5	13
	तीन कक्षीय विद्यालयो की संख्या	134	9	143
	चार कक्षीय विद्यालयो की संख्या	147	5	152
	पाँच कक्षीय तथा पाँच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	51	4	55
	योग-	342	24	366
10.	शौचालय विहीन विद्यालय	18	6	24
11.	हैण्डपम्प विहीन विद्यालय	67	8	75
12.	चहार दीवारी विहीन विद्यालय	322	10	332

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में ..12.. विद्यालय भवन, ...12...शौचालय.....12.....हैण्डपम्प तथा ...12..चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।

सारणी 2.10

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	186	–	186	595	–	595
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	15	–	15	10	–	10
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1325	–	1325	474	–	474
4.	पेयजल	234	–	234	75	–	75
5.	शौचालय	195	–	195	24	–	24
6.	चाहारदीवारी	1641	–	1641	332	–	332

स्रोत– विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (इलाहाबाद)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कन्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया है तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की गयी है। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1998–99	1999–2000	2000–2001	
कक्षा 1	152899	160810	163767	
कक्षा 2	115194	123768	137389	
कक्षा 3	98333	105442	113427	
कक्षा 4	64306	84763	89087	
कक्षा 5	48043	60357	73753	
योग	478442	535140	577423	
जी0ई0आर0				
कुल	75.48	74.24	85.34	86.2
बालिका	66.76	67.93	82.4	83.4
एन0ई0आर0				
कुल	68.11	67.76	78.92	78.91
बालिका	59.92	61.86	73.29	76.24

जनपद के नामांकन में औसतन 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे है।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :–

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	1038	1808	74
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	5190	6887	33

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 10.5 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	25.82	17.66	21.65	15.28	60.7	59.6
1999	18.4	8.19	13.11	5.68	45.4	41.9
2000	15.5	8.7	8.9	4.3	41.7	40.3

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 61 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	10.09	8.31
1999	4.57	6.32
2000	2.85	6.74

रिपीटीशन दर मात्र 2.85 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.74 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 – **1 : 74**

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 – **6.63%**

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) – **1:57**

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:74 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्ष–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:57 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–इलाहाबाद

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	12645	11028	10126	33799	-
1999-2000	13028	11997	10475	35500	5.0
2000-2001	14826	12920	10710	38456	8.0

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथनिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	38780	12645	-
1999-2000	42672	13028	33.6
2000-2001	48007	14826	34.7

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण आधे से भी अधिक बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	200	366	83%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	1003	1204	20%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्यालय उच्च प्रा0 विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	1688	342	173	515	3.3 : 1
नगर क्षेत्र	120	24	155	189	1 : 16
योग	**1808**	**366**	**328**	**694**	**2.6 : 1**

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:3.3 है।

अध्याय – ३
नियोजन प्रक्रिया

शिक्षा विकास का आधार है और बेसिक शिक्षा मानव के समग्र विकास की आधारशिला है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार बेसिक शिक्षा को जन–जन तक सुलभ कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही है। जनपद इलाहाबाद में २००१ से पूर्व यद्यपि ६–११ वय वर्ग की बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता परख बनाने हेतु सरकार द्वारा आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परियोजना आदि विभिन्न परियोजनायें चलायी गयीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष १९९३–९४ से लागू होने पर परिवार सर्वेक्षण कराया गया और सूक्ष्म नियोजन द्वारा अनेकानेक कार्य किये गये।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये।

१. परिवार सर्वेक्षण
२. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
३. सूचनाओं का विश्लेषण
४. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

१. बस्ती की पूरी जनसंख्या
२. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
३. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या
४. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
५. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
६. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
७. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गावं स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता –पिता की सहायता करते है अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ो/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजैक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान :

शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य की प्राप्त हेतु ६–१४ वय वर्ग के बच्चों-को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर जिलाधिकारी इलाहाबाद के संरक्षण

गया।

1. विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियट एवं नर्सरी, साक्षरता केन्द्र तथा अनौपचारिक एवं आंगनवाड़ी केन्द्र)।
2. घर (गांव के समस्त आवासीय घर)
3. प्रत्येक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या–
   (क) प्रौढ़ (स्त्री-पुरुष, शिक्षित-अशिक्षित)।
   (ख) विभिन्न आयु वर्ग के लड़के/लड़कियों की संख्या- 0-3, 3-6, 6-11 तथा 11-14 वर्ष।
   (ग) स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या
   (घ) स्कूल जाने योग्य बच्चों में स्कूल जा रहे तथा न जा रहे बच्चों की संख्या।
   (ङ) ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया है।
   (च) गांव के ऐसे बेरोजगार जो शिक्षा कार्य में रुचि लेते हों।
   (छ) गांव के विकलांग प्रौढ़ एवं विकलांग बच्चों की संख्या।
   (ज) गांव में यदि पुस्तकालय या वाचनालय हो।

ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करते समय मुख्यता 2 उद्देश्य रखे गये– (1) शिक्षा का सार्वजनीकरण (2) गुणवत्तापरक शिक्षा।

योजना बनाने की निम्न विधि अपनाई गई–

1. ग्राम का सर्वेक्षण।
2. आंकड़ों का एकत्रीकरण।
3. प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण।
4. सहभागी आंकलन विधियों द्वारा प्राथमिकताओं का निर्धारण।

योजना का अनुश्रवण ग्राम, ब्लाक एवं जिला शिक्षा समितियों तथा समुदाय द्वारा किया गया और इसका मूल्यांकन ब्लाक शिक्षा समिति तथा जिला शिक्षा समिति द्वारा किया गया।

वर्ष 1998-99 में पुनः सूक्ष्म नियोजन किया गया जिसमें परिवार सर्वेक्षण द्वारा स्कूल से बाहर बच्चों का चिन्हीकरण किया गया। सभी आकड़े विकास खण्डों के डी.आर.सी. पर सुलभ हैं जिनका प्रयोग सर्व शिक्षा अभियान योजना निर्माण में किया गया है।

स्कूल चलो अभियान–

शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6-14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर जिलाधिकारी इलाहाबाद के संरक्षण

में बेसिक शिक्षा विभाग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2000 से 09 जुलाई, 2000 तक चलाया गया और द्वितीय चरण 10 जुलाई, 2000 से 15 जुलाई, 2000 तक चलाया गया।

प्रथम चरण–

इस चरण में मुख्य रूप से बच्चों के चिन्हांकन का कार्य किया गया। अभियान का शुभारम्भ मुख्यालय पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया तथा उनके बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। उसी समय विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक प्रमुख/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के माध्यम से "स्कूल चलो अभियान" का शुभारम्भ किया गया।

"स्कूल चलो अभियान" के लिये उत्तर प्रदेश सरकार/शासन द्वारा नामित प्रभारी मंत्री, उ.प्र. सरकार की उपस्थिति में "स्कूल चलो अभियान" के सन्दर्भ में जनजागरण हेतु हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इसके पूर्व अपने सम्बोधन में उन्होंने बच्चों के विद्यालय में नामांकन के साथ ठहराव भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। साथ ही बालिका शिक्षा पर बल दिया। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर भी रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जन जागरण का कार्य किया गया।

बच्चों के चिन्हांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापकों/आगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों/ बहुउद्देशीय कर्मचारियों के टीम का रोस्टर बनाकर एक ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर-घर धूम कर बच्चों का चिन्हांकन किया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में 208 न्यायपंचायत के लिये राजकीय निर्माण इकाई/जल निगम/नलकूप प्रखण्ड के अवर अभियन्ता तथा विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके प्रवेक्षण में प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक परिवार का चिन्हांकन कार्य हेतु आच्छादित किया गया।

इस प्रकार जनपद के कुल 208 न्यायपंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 178 वार्ड के परिवारों का बाल गणना किया गया। इसमें 6-14 वय वर्ग के कुल 1009568 बच्चे चिन्हित किये गये, इसमें 6-11 वय वर्ग के कुल 743092 तथा 11-14 वय वर्ग के 266476 बच्चे चिन्हित हुए।

द्वितीय चरण–

इस चरण में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक चिन्हांकित बच्चों का नामांकन किया गया तथा 2.00 बजे से 4.00 बजे तक अभिभावकों से जन सम्पर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु उन्हें प्रेरित करने का कार्य किया गया, इसमें संकुल प्रभारियों द्वारा प्रवेक्षण का कार्य किया गया तथा समय-समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का भ्रमण भी किया

गया विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में दाखिला कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में गोष्ठियां की गयी एवं गांव स्तर पर जागरूक व्यक्तियों की टीम/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा जनसम्पर्क किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय, चरण के समाप्त होने तक 6-11 वय वर्ग के न पढ़ने जाने वाले 77601 चिन्हांकित बच्चों में से 20200 बच्चों का नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले 49616 चिन्हांकित बच्चों में से 11270 का नामांकन कराया गया।

अवशेष नामांकन हेतु विशेष चरण–

न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चों में से अवशेष बच्चों की संख्या को देखते हुए उनके नामांकन हेतु "विशेष अभियान" चला कर कार्य पूरा कराया गया, जिसके फलस्वरूप 6-11 वय वर्ग के न पढ़ने वाले चिन्हांकित 77601 बच्चों में से 25140 बच्चों का नामांकन करा लिया गया। इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले चिन्हांकित 49616 बच्चों में से 18160 बच्चों का नामांकन करा दिया गया। इस प्रकार 6-11 वय वर्ग में अभी भी 52461 तथा 11-14 वय वर्ग में 31456 बच्चे स्कूल न जाने के श्रेणी में आते हैं, उपरोक्त विवरण निम्नलिखित सारणी में स्पष्ट है।

(1 जुलाई, 2000 से 15 जुलाई, 2000 तक)

बालक/ बालिका	बालगणना में कुल चिन्हांकित बचें की संख्या		अभियान के अन्तर्गत न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चे		अभियान के अन्तर्गत नामांकित बच्चे	
	6-11 वय वर्ग	11-14 वय वर्ग	6-11 वय वर्ग	11-14 वय वर्ग	6-11 वय वर्ग	11-14 वय वर्ग
बालक	415054	151358	26419	13423	12600	7584
बालिका	328038	115118	26042	18033	12540	10576
योग–	743092	266476	52461	31456	25140	18160

योजना निर्माण में स्कूल चलो अभियान का योगदान लिखा गया है। सभी संचालित कार्यक्रमों की सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि इनके नियोजन की प्रक्रिया या तो ऊपर से थोप दी गयी या जनपद स्तर पर किन्चित लोगों के पारस्परिक विचार विमर्श से निर्मित की गई। फलतः लक्ष्य दूर होता चला गया, ऐसी स्थिति में यह अनुभव किया जाना स्वाभाविक हो गया कि नियोजन की प्रक्रिया नीचे से प्रारम्भ होकर ऊपर तक जाये और नियोजन की योजना निचले स्तरीय बस्तियों व ग्राम लोगों विशेषता अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महिलायें एवं बाल श्रमिक, स्ट्रीट चाइल्ड आदि परिवारों के अभिभावकों से वैचारिक परामर्श कर बनाई जाये। इसी की वैचारिक परिणति सर्वशिक्षा अभियान के रूप में हुई और यह योजना जनवरी, 2001 में चालू की गई। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को 2003 तक नामांकित कराना, 2007 तक अनिवार्यता, पांचवी कक्षा तक शिक्षा प्रदान कराना तथा 2010 तक आठवीं कक्षा तक की

शिक्षा प्रदान कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गांव स्तर की आवश्यकताओं को चिन्हित करने के निमित्त जनवरी 2001 से जन-जागरण अभियान जनपद स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक चलाये गये। सहभागिता परख प्रक्रिया के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन को अपनाया गया। इसके अन्तर्गत विकास खण्ड को इकाई मानते हुए (विशेषता यमुनापार के 9 विकास खण्डों में) प्रत्येक विकास खण्ड 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया और प्रत्येक सेक्टर में नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यवहारिक एवं फलापेक्षी बनाने के लिये एक नोडल अधिकारी नामित किया गया। इतना ही नहीं सभी नोडल अधिकारियों के कार्यों के सुपर विजन हेतु प्रत्येक ब्लाक में एक जोनल अधिकारी को नामित किया गया और इन्हें प्रत्येक न्याय पंचक के त्रिदिवसीय एवं त्रिदिवसीय कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का दायित्व सौंपा गया–

1. सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वातावरण सृजित करना।
2. ग्राम सभा की खुली बैठकें आहूत करना और सर्वशिक्षा की विशिष्टताओं और लक्ष्य को जन सामान्य में प्रभावित ढंग से प्रसारित करना।
3. शिक्षकों, बहु-उद्देशीय कर्मियों के द्वारा बाल गणना कराना। (विशेष रूप से यमुनापार के 9 विकास खण्डों में)

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया–

1. कोर समिति
2. अभियान समिति (कैम्पेन कमेटी)

1. **कोर समिति–** कोर समिति का मुख्य कार्य जनपद में सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना है।

2. **अभियान समिति–** अभियान समिति का मुख्य कार्य जनपद में सर्व शिक्षा अभियान का व्यापक पचार प्रसार कराना, विद्यालय न जाने वाले एवं ड्रापआउट बच्चों एवं अनके अभिभावकों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा समस्याओं के निराकरण का विकेन्द्रीकृत उपाय ढूढ़ना ही इस समिति का मुख्य उद्देश्य है।

इस प्रकार जनपद इलाहाबाद में सर्व शिक्षा अभियान को सार्थक एवं सफल बनाने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से बस्ती स्तर से शैक्षिक योजना तैयार करना तथा उसके पश्चात विकास खण्ड और जिला स्तर की समेकित योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है ताकि स्कूल से बाहर के सभी बच्चों को विद्यालयों में लाया जा सके इस प्रकार जिले में परियोजना नियोजन हेतु–

1. विकास खण्ड स्तर पर टीम का गठन किया गया।
2. बस्तियों में फोकस ग्रुप डिसकसन किया गया।

3. जनपद स्तर पर जिलाधिकारीकी अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया गया।

विन्दु 2 और 3 के द्वारा यह प्रयास किया गया कि समुदाय विशेष क्षेत्र विशेष की विशिष्ट समस्यायें उभर कर आ सकें और उन्हीं के परामर्श से इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढ़ा जा सके। इसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित समस्यायें एवं सुझाव उभर कर सामने आये।

1. भौतिक संसाधनों की कमी।
2. अध्यापकों की कमी।
3. अध्यापकों की अनुपस्थिति।
4. अध्यापकों से शिक्षा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का लिया जाना।
5. शिक्षकों में शिक्षण कला का अभाव।
6. प्रभावी निरीक्षण-पर्यवेक्षण का अभाव, शैक्षिक गुणवत्ता का अभाव एवं जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव।
7. विद्यालय प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अभाव।
8. शिक्षा में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप।
9. फोकस ग्रुप डिस्कसन में विभिन्न क्षेत्रों/वर्गों से प्राप्त विशिष्ट समस्यायें व सुझाव।

तालिका-3.1
बैठकों का विवरण

क्र०	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक के दौरान परामर्श में उभरे विन्दुओं का संक्षिप्त विवरण एवं सुझाव
1.	5.1.2001	विकास .भवन सभागार	जिलाधिकारी, इलाहाबाद, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद, प्राचार्य डायट, ए.डी.वी., बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, सचिव साक्षरता, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा, उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, डी. पी.आर.ओ. इलाहाबाद, हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, डी.आई.ओ. एस. इलाहाबाद, ए.एल.सी. इलाहाबाद, पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी आदि।	फोकस ग्रुप डिस्कसन के माध्यम से जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में विद्यालय न जाने वाले ड्रापआउट बच्चे एवं उनके अभिभावकों की विभिन्न समस्याओं पर रणनीति तय की गयी। तद्पश्चात निम्न सुझाव दिया गया– 1. बस्ती/ग्राम स्तर के व्यक्तियों से विचार-विमर्श कर उनके समस्याओं के आधार पर कार्य योजना का निर्माण किया जाये। 2. 6-14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में नामांकन कराया जाय। जिसमें अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रचार-प्रसार सामग्री का सहयोग लिया जाय। 3. 1:40 के अनुपात में शिक्षकों की कमी को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में शिक्षा मित्र की नियुक्त कर पूरी की जाय।
2.	8.1.2001	विकास खण्ड मुख्यालय, चाका	जिलाधिकारी, इलाहाबाद, उप-शिक्षा निदेशक (चतुर्थ मण्डल), इलाहाबाद, (जोनल अधिकारीएस. एस.ए., चाका), बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, बी.डी.ओ., चाका, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, चाका, ब्लाक प्रमुख चाका, डी. आई.ओ., माननीय विधायक शहर दक्षिणी के प्रतिनिधि, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर. सी. प्रभारी, समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिला पंचायत सदस्य (यमुनापार), बी.डी.सी. सदस्य, पत्रकार बन्धु, स्वयं सेवी संस्थायें, अभिभावक, परियोजना अधिकारी, चाका, एवं उपस्थित जन समुदाय।	1. अध्यापकों की कमी। 2. शिक्षणेत्तर कार्य लिये जाने से शिक्षकों की गुणवत्ता में ह्रास। 3. शिक्षकों में सम-सामयिक ज्ञान का अभाव तथा शिक्षा की नवीन विधा का ज्ञान न होना। 4. अध्यापक अभिभावक के लिये संवादहीनता। 5. अध्यापकों का समय से विद्यालय न आना। 6. शिक्षकों में असुरक्षा की भावना। 7. जन-सहभागिता की कमी। 8. मलिन बस्तियों के बच्चों का विद्यालय में न जाना।

				सुझाव – 1. 40:1 के मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाय। 2. शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अध्यापकों से अन्य कार्य न लिया जाय। 3. डायट एवं बी.आर.सी. में अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाय, उन्हें सम-सामयिक तथा शिक्षा की नवीनतम विधा का बोध कराया जाय। 4. पी.टी.ए., एम.ए.टी.ई. की मासिक बैठक आयोजित हो। 5. अध्यापक-अभिभावक संवाद बराबर बना रहे। 6. शिक्षा विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जाय, जिससे अध्यापक समय से उपस्थित मिलें। 7. ग्राम पंचायत एवं ग्राम शिक्षा समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। 8. डूडा से सम्पर्क कर करके स्लम बस्तियों के बच्चों की शिक्षा असुविधा को दूर करने का प्रयास किया जाय। इसके लिये उनके सहयोग से कुछ विद्यालय खोले जा सकते है तथा कुछ विद्यालयों में द्विपाली की व्यवस्था की जाये तथा ऐसे समय में विद्यालय चलाये जायें जिसमें मलिन बस्तियों के बच्चे घर और परिवारों में रहते हैं।
3.	8.1.2001	ब्लाक मुख्यालय, जसरा	मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ट वक्ता, डायट, वरिष्ट शोध अधिकारी राजकीय सी.पी.आई. (जोनल अधिकारी, जसरा); सभी नोडल अधिकारी बी.डी. ओ., जसरा, परियोजना अधिकारी, जसरा, ब्लाक प्रमुख, यमुनापार क्षेत्र के पंचायत सदस्य, जिला सूचना अधिकारी, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. प्रभारी, समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय जनता।	1. कक्षावार अध्यापकों का अभाव। 2. अच्छे छात्रों एवं अध्यापकों के लिये पुरस्कार की समुचित व्यवस्था का अभाव। 3. बच्चों की प्रगति रिपोर्ट का न होना। 4. शिक्षक एवं छात्रों के सतत मूल्यांकन का अभाव। 5. व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। सुझाव – 1. प्रति कक्षावार अध्यापक की व्यवस्था की जाय। 2. योग्य, कर्मठ एवं ईमानदार अध्यापकों तथा गरीब व मेधावी छात्रों के लिये विशेष पुरस्कार/पारितोषिक की व्यवस्था की जाय। 3. प्रत्येक छात्र की प्रगति रिपोर्ट हो। 4. शिक्षकों एवं छात्रों का निरन्तर वैज्ञानिक पद्धति से मूल्यांकन किया जाय।

				5. चूँकि विकास खण्ड जसरा कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ एवं पथरीय क्षेत्र है। कृषि ही क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है। इस लिये यह विन्दु उभर कर सामने आया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय। उचित होगा कि ब्लाक मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
4.	8.1.2001	विकास खण्ड, शंकरगढ़ मुख्यालय	जिलाधिकारी, इलाहाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, सचिव साक्षरता (जोनल अधिकारी), सभी नोडल अधिकारी, बी.डी.ओ. शंकरगढ़, अध्यक्ष जिला पंचायत, इलाहाबाद, सदस्य जिला पंचायत (यमुनापार), ब्लाक प्रमुख, शंकरगढ़, उप सूचना निदेशक, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, प्रतिनिधि सीमैट, सहायक श्रम आयुक्त, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जनता।	अन्य सामान्य विन्दुओं के अतिरिक्त शंकरगढ़ ब्लाक की विशेष परिस्थिति को देखते हुए निम्न विशेष विन्दु उभर कर सामने आये। 1. बाल श्रम विद्यालयों का अभाव। 2. रोजगार परख शिक्षा का अभाव। 3. शिक्षण संस्थाओं की कमी। 4. अध्यापकों की कमी। 5. बरसात के समय पत्थर के खदानों में पानी भर जाने के कारण बच्चों के माता पिता एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेड कर जाते हैं, जिससे उनके साथ पढ़ने वाले उनके बच्चे भी विद्यालय छोड़ कर चले जाते है। ऐसे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था की कमी है। सुझाव – 1. चूँकि विकास खण्ड शंकरगढ़ शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से अविकसित विकास खण्ड है। यहाँ की अधिकांश जन संख्या पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी रहती है, जिससे बच्चे विद्यालय में न जाकर अपने माता-पिता के साथ पत्थर तोड़ने के काम में लगे रहते है अतः ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिये आवश्यक है कि उन्हें माँ बाप से अलग रख कर शिक्षा दी जाय। प्रायोगिक तौर पर विकास खण्ड में सर्व प्रथम एक ब्रिज कोर्स चलाया जाय। क्योंकि बाल श्रमिकों की अधिकता है। अतः एन.सी. सी.पी. विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। बाल श्रमिकों को उसी वर्ग के लोगों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। 2. इस विकास खण्ड में पत्थर तोड़ने का कार्य अधिक होता है इसलिए उच्च प्राथमिक विद्यालय में पत्थर के बने सामानों जैसे– जाता, चकरी, सिल आदि बनाने वाली कलात्मक एवं व्यवसायिक शिक्षा बच्चों में दिया जाय। 3. चूँकि शंकरगढ़ की आवादी दूर-दूर है इस लिये यहां इ.जी.एस. केन्द्र व ए.आई.ई.

				के केन्द्रों की स्थापना ऐसे सभी बस्तियों में की जानी चाहिए जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हों और विद्यालय जाने वाले 25-30 बच्चे हों। 4. अध्यापकों का ब्लाक कैडर किया जाय, जिससे अध्यापक ब्लाक के बाहर न जा सकें।
5.	8.1.2001	विकास क्षेत्र कोरांव मुख्यालय	मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, इलाहाबाद, जोनल अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, सभी नोडल अधिकारी, बी. डी.ओ. कोरांव, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोरांव, परियोजना अधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, यमुनापार, जिला सूचना अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जनता।	1. महिलाओं का निम्न स्तर। 2. ड्रापआउट बच्चों का लेखा-जोखा एवं मासिक समीक्षा का अभाव। 3. जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव। **सुझाव–** 1. महिलाओं के स्तर में सुधार किया जाय। विभिन्न लाभकारी योजनाओं की उन्हें जानकारी दी जाय। 2. कोरांव इलाहाबाद जनपद का रिमोटेस्ट ब्लाक है। जहाँ की आवादी अत्यन्त बिरल व दूर-दूर बसी है। शिक्षा केन्द्रों की कमी है। इसलिये ड्रापआउट की संख्या में बृद्धि होती है। इसके लिये आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर ड्रापआउट बच्चों का लेखा-जोखा रखा जाय तथा उनको विद्यालय लाने का प्रयास किया जाय। 3. ड्रापआउट को राकने के लिये ब्रिज कोर्स या वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाय। 4. बालिकाओं के ठहराव एवं शिक्षा हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के साथ-2 इ.सी.सी.ई. केन्द्र खोले जायें। 5. सिलाई कढ़ाई आदि में हस्त कौशल में शिक्षा की व्यवस्था हो।
6.	8.1.2001	विकास क्षेत्र उरुवा मुख्यालय	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक संघ प्रतिनिधि, उप सूचना निदेशक, खण्ड विकास अधिकारी उरुवा, समस्त नोडल अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिंकारी, ब्लाक प्रमुख उरुवा, जिला पंचायत अध्यक्ष, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी. आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, पत्रकार एवं अन्य गणमान्य नागरिक।	चूंकि विकास खण्ड उरुवा शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है। इसलिये यहां भिन्न प्रकार के विचार सामने आयी, जैसे– 1. गुणात्मक शिक्षा का अभाव। 2. बालिका विद्यालयों की कमी। 3. अध्यापकों की कमी। 4. शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों का अभाव। 5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पर्याप्त संख्या में न होना।

				सुझाव– 1. अध्यापकों को समय-समय पर बी.आर.सी. तथा डायट पर प्रशिक्षण दिया जाना। 2. बालिकाओं के लिये अलग विद्यालय खोले जायें। 3. पैरा टीचरों की नियुक्ति की जाय। 4. रूचिपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाय। 5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की और स्थापना की जाय।
7.	8.1.2001	विकास क्षेत्र माण्डा मुख्यालय	जोनल अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी; सभी नोडल अधिकारी, बी.डी.ओ. माण्डा, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, माण्डा, परियोजना अधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, यमुनापार, जिला सूचना अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जनता।	1. बालिका शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु विचार विमर्श किया गया। 2. स्कूल दूर होने के कारण बालिकाओं को असुरक्षा की भावना से विद्यालय नही भेजते हैं। 3. स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नही होती। 4. जूनियर विद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी के कारण परिजनों का पुरुष अध्यापकों पर अविश्वास के कारण बालिकायें विद्यालय नही जाती है। 5. जनमानस में कि लड़कियां घर गृहस्थी का कार्य करेंगी उन्हें पढ़कर नौकरी तो करना नही है। 6. छोटे भाई-बहन की देखा भाल एवं चूल्हा-चौकी के कारण भी तमाम बालिकायें विद्यालय नही जाती है। सुझाव– 1. बालिकाओं के लिये विद्यालय का नजदीक होना अनिवार्य हो। 2. विद्यालयी पढ़ाई को सुदृढ़ किया जाय। 3. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय। 4. सामुदायिक जागरण द्वारा जनमानस की भावना में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाय। 5. बालिका शिक्षा में अभिवृद्धि के लिये ई.सी.सी.ई. केन्द्र खोले जायें। 6. शिक्षा में लिंग समानता पर बल दिया जाय।
8.	8.1.2001	ब्लाक मुख्यालय, मेजा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ वक्ता,	1. मेजा विकास खण्ड की भौगोलिक संरचना पठारी है। ज्यादातर आबादी अनुसूचित जाति की है। जिसमें गरीबी एवं अशिक्षा व्याप्त है। विद्यालय पास होने के बावजूद

			डायट, जोनल अधिकारी, मेजा, सभी नोडल अधिकारी बी.डी.ओ., मेजा, परियोजना अधिकारी, मेजा, ब्लाक प्रमुख, यमुनापार क्षेत्र के पंचायत सदस्य, जिला सूचना अधिकारी, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. प्रभारी, समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय जनता।	शतप्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 2. ज्यादातर अभिभावक जंगलों में लकड़ी काटते है बच्चे उनके काम में मदद करते है। अभिभावक बच्चों के भविष्य के बारे में कम सोचते हैं। 3. गरीब अभिभावक आर्थिक कमजोरी एवं ठेकेदारों की डर से अपने बच्चों को शिक्षा हेतु विद्यालय में नहीं भेजते। 4. अभिभावक अपने बच्चों के प्रति अध्यापकों के उपेक्षात्मक व्यवहार के कारण भी विद्यालय भेजने में रूचि नहीं लेते। **सुझाव–** 1. ऐसे समाज में जागरूकता पैदा करने के लिये शिक्षक अभिभावक एवं मातृ शिक्षक संघ का गठन किया जाय तथा इसकी नियमित बैठक विद्यालय में हो, जिसके दौरान शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डाला जाय। उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। 2. इस प्रकार के बच्चों के लिये समुदाय के समय के अनुसार ई.जी.एस. केन्द्र खोले जायें। 3. बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोषाहार, छात्रवृत्ति के बारे में बताया जाये तथा ठेकेदारों से उन्हें मुक्त कराया जाय। 4. अध्यापकों को ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के महत्व से अवगत कराया जाय तथा उन्हें इनके प्रति संवेदनशील बनाया जाय।
9.	8.1.2001	ब्लाक मुख्यालय, कौधियारा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, जोनल अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी, बी.डी.ओ. कौधियारा, सदस्य जिला पंचायत (यमुनापार), ब्लाक प्रमुख, कौधियारा, उप सूचना निदेशक, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, प्रतिनिधि सीमैट, सहायक श्रम आयुक्त, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जनता।	1. कौधियारा विकास खण्ड टोस नदी के किनारे बसा है। बड़े-बड़े नाले के कारण अधिकतर गरीब आबादी के बच्चे स्कूल समय से नहीं जाते। 2. स्कूल बस्ती की पहुंच से दूर है। 3. गरीबी तथा अशिक्षा के कारण ज्यादातर बच्चे लघु उद्योग जैसे- बीड़ी बनाना, सूत कातना, आदि कार्य करते हैं। 4. आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में ज्यादा रूचि नहीं लेते हैं। **सुझाव–** 1. जिन बस्तियों की पहुंच में विद्यालय नहीं है तथा पर्याप्त संख्या में बच्चे है वहां

				नवीन विद्यालय खोल दिया जाय। 2. बच्चों को स्कूल लाने के लिये अभिभावकों में जनजागृत के द्वारा चेतना लाना होगा। 3. स्कूलों में बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाय। 4. उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति तथा पोषाहार, आकर्षक लाभप्रद योजनाओं के बारे में आवश्य बताया जाय।
10.	11.1.2001	वृजमंगल सिंह इ. का. रामपुर करछना	माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अतिरिक्त निजी सचिव मानव सं.विकास मंत्रालय, सचिव बेसिक शिक्षा उ.प्र., निदेशक बेसिक शिक्षा, डी.एम.ए.आई. आई.डी, सी.डी.ओ. इलाहाबाद, डी.डी.ओ., इलाहाबाद, अपर शिक्षा निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उपशिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, विभिन्न विकास खण्डों के बी.डी.ओ., यमुना पार क्षेत्र के ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष/सदस्य, प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग, ग्राम प्रधान, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, अभिभावक-छात्र एवं क्षेत्रीय जनता।	1. गरीबी के कारण बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बच्चों का गृह कार्य में संलग्न होना। 2. अध्यापकों की कमी। 3. जन-सहभगिता की कमी। 4. विद्यालयों कक्षा-कक्षों की कमी। 5. पेयजल/शौचलय की कमी। 6. भौतिक साज-सज्जा एवं टी.एल.एम. की कमी। 7. बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकों का न होना। 8. छात्रवृत्ति एवं पोषाहार का नियमित वितरण न होना। 9. विद्यालय में पाठ्य सहभागी सामग्रियों का अभाव एवं विद्यालय का नीरस वातावरण। 10. बच्चों की रूचि के अनुसार शिक्षा का अभाव। 11. अभिभावकों का अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति उदासीन होना। **सुझाव–** 1. क्षेत्र विशेष की समस्याओं एवं परिवेषानुसार शिफ्ट शिक्षण की व्यवस्था हो। जैसे- शहरी मलिन बस्तियों के लिये विद्यालयों में द्विपाली शिक्षा व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के लिये निम्नलिखित व्यवस्थायें भी की जायें। ▪ बैक टू स्कूल कैम्पेन। ▪ ब्रिज कोर्स / रेमिडियल कोर्स। ▪ जहां पर धार्मिक / अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की बहुलता हो वहां पर मकतब और मदरसों को अधिक सुविधायें देकर उन्हें सम्पृक्त करना।

				2. पैरा टीचर की व्यवस्था हो। 3. जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों एवं अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाय। 4. आवश्यकतानुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायें एवं ई.जी.एस. और ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायें। 5. निजी क्षेत्र के माध्यम से स्कूल को फण्ड दिलाया जाय तथा मान्यता की शर्तों को सरल करके निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने को प्रोत्साहन दिया जाय। 6. विद्यालय में पेयजल शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। 7. विद्यालय में कुर्सी मेज, टाटपट्टी एवं अध्ययन अध्यापन की सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जायें। 8. जुलाई में ही कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायें 9. पात्र छात्रों को पोषाहार एवं छात्रवृत्ति का समय से वितरण सुनिश्चित किया जाय। 10. खेल-कूद, संगीत की सामग्री की प्रत्येक विद्यालय में व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में बाल उद्यान की व्यवस्था की जाये जिससे बच्चों में विद्यालय में ठहराव की स्थिति बनी रहे। 11. विद्यालयों में व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय। 12. 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व, लाभ को बताया जाय तथा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के द्वारा उन्हें गतिशील बनाया जाय।
11.	16.2.2001	जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय समय 4.30 बजे	प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, प्राचार्य डायट, प्रमुख मेजा, जिला संगठन मंत्री, बी.एस.पी., प्रभारी करछना विधानसभा, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय, प्रबन्धन बाल उत्थान केन्द्र, मीरापुर, इलाहाबाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रमुख, शंकरगढ़, प्रतिनिधि, मंत्री गन्ना विकास, उ.प्र. सरकार, पूर्व विधायक, बारा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद,	1. अध्यापकों की कमी। 2. शिक्षकों में सम-सामयिक ज्ञान तथा शिक्षण की नवीन विधियों का अभाव। 3. जन-सहभागिता का अभाव। 4. मलिन बस्तियों में शिक्षण की विशेष व्यवस्था का अभाव। 5. विद्यालय में पाठ्य सहगामी सामग्रियों का अभाव। 6. विद्यालय का गिरता वातावरण।

			संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, सचिव जिला साक्षरता समिति/जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, भारत सरकार इलाहाबाद, प्रतिनिधि, विधायक झूंसी, प्रतिनिधि, माननीय सांसद फूलपुर, प्रति निधि, राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. सरकार, प्रतिनिधि, विधायक, बारा, उपनिदेशक, सूचना, उपशिक्षा निदेशक, माध्यमिक, इलाहाबाद, जिलाध्यक्ष, भा.ज.पा., इलाहाबाद, ब्लाक प्रमुख, चाका, प्रतिनिधि मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार, प्रतिनिधि, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, सहायक अभियन्ता, लघु/सिंचाई, सी.ई.ओ./एफ. एफ.डी.ए., सहायक श्रम आयुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद, सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक चतुर्थ मण्डल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद	7. विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की कमी। 8. व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। 9. बालश्रम विद्यालयों का अभाव। 10. क्षेत्र विशेष में मेजोरिटी चिल्ड्रेन की शिक्षा के समुचित व्यवस्था का अभाव (शंकरगढ़) 11. महिलाओं का निम्न शैक्षिक स्तर। 12. बालिका विद्यालयों की कमी। 13. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी। 14. अभिभावकों का पारस्परिक दृष्टिकोण। 15. उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विशेष अभाव। 16. 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिये पृथक विद्यालयों का अभाव। 17. अल्प संख्यक संस्थाओं में वैज्ञानिक सोंच का अभाव। **सुझाव–** 1. 40:1 के अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इसके लिये नियमित अध्यापकों के साथ ही पैराटीचर की व्यवस्था की जाय। 2. शिक्षकों में सम-सामयिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण की नई विधियों से परिचित कराने के लिये डायट एवं बी.आर.सी. में प्रशिक्षण की नियमित व्यवस्था की जाय। 3. शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाय तथा जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों एवं अभिभावकों में स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाय। 4. शहरी मलिन बस्तियों के विद्यालयों में द्विपालीय शिक्षण व्यवस्था की जाय। 5. लेबर चाइल्ड के लिये उनके काम न करने की अवधि में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय इस संन्दर्भ में ऐसी बस्तियों में निम्न शैक्षिक गतिविधियों चलाई जा सकती है। जैसे वैक टू स्कूल कैम्पेन, ब्रिज कोर्स, मुसलिम बाहुल्य क्षेत्रों में मकतव एवं मदरसों को सुदृढ़ करना। 6. पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाय। 7. विद्यालयों में खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाय जैसे लेजिंग, झान

				हारमोनियम आदि। बागवानी एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय। 8. शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक बनाया जाय। 9. बच्चों के प्रति कठोरता के स्थान पर लचीला एवं वात्सल्य परक व्यवहार किया जाय। 10. जहां विद्यालय न हों वहां पर नवीन विद्यालय खोले जायें। 11. जहां कक्षा कक्षों की कमी हो नवीन कक्षा कक्ष प्रदान किया जाय और असेवित बस्तियों/मोहल्लों में आवश्यकतानुसार ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्र खोले जाये। 12. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये। 13. समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 14. शंकरगढ़ जैसे विकास खण्डों के लिये बालश्रम विद्यालयों की अधिक व्यवस्था की जाय तथा सामान्य विद्यालयों से उनका सामजस्य बनाया जाय। 15. माइग्रटी चिल्ड्रेन की समस्या विशेष रूप से विकास खण्ड शंकरगढ़ में है ऐसे विकास खण्ड में कम से कम 2 ब्रिजकोर्स चलाने की आवश्यकता है। 16. महिलाओं में शिक्षा के प्रति जनजागरण के द्वारा विशेष जागरूकता पैदा कराने की आवश्यकता है। इसके लिये नुक्कड़ नाटक, अन्य कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है। 17. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खोले जायें। 18. उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50 प्रतिशत स्थान महिला अध्यापिकाओं के लिये आरक्षित किया जाय जिससे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक विद्यालय परिषद में बालिकाओं की सुरक्षा से निश्चिन्त हो सकें। 19. जनमानस की इस अवधारणा को बदलने का प्रयास किया जाना चाहिय कि लड़कियां घर गृहस्थी का कार्य करेंगी उन्हें पढ़कर नौकरी नहीं करना है। इसके लिये समय-समय पर रैलियां निकाल कर बैनर, पोस्टर तथा संगोष्ठियों एवं मीडिया के माध्यम से जन सामान्य में नई सोच पैदा करना चाहिये। 20. शिक्षा के द्वारा लिंग समानता पर भी बल देने की आवश्यकता है। 21. प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालय को अधिक से अधिक

				खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। 22. अल्प संख्यक संस्थाओं को शिक्षा की आधुनिक नवीन धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाय। 23. ब्लाक प्रमुख चाका ने सुझाव दिया कि सर्व शिक्षा अभियान को तभी सफल एवं सार्थक बनाया जा सकता है। जब उच्च स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर सब का सहयोग प्राप्त किया जाय। 24. प्रतिनिधि, माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि 6-14 वय वर्ग के शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये अभिभावकों में भय होना आवश्यक है उनमें यह धारणा विकसित की जाय यदि वे अपने बच्चों को नही पढ़ायेंगे तो उन्हें सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जायेगा। 25. स्वयं सेवी संस्था की प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों की समीक्षा की जाय और विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। 26. जिला अध्यक्ष भाजपा ने सुझाव दिया कि ब्रिज कोर्स सुदूरवर्ती एवं अन्यत्र पिछड़े क्षेत्रों में खोले जायें। 27. ब्लाक प्रमुख मेजा ने सुझाव दिया कि विद्या विहीन विद्यालयों को अधिकाधिक मान्यता प्रदान की जाय जिससे विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो सके। इसके लिये मान्यता की शर्तों में सिथिलीकरण किया जाना चाहिय। 28. स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि का सुझाव रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका सुनिश्चित की जाय।

ब्लाकवार एवं तिथिवार की गयी ग्राम पंचायतों की खुली बैठक का विवरण इस प्रकार है–

तालिका-3.2

ग्राम पंचायत की खुली बैठकें

क्र०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें तिथिवार संख्या																			
		12 ज.	13	15	16	17	18	19	22	27	28	30	31	1फ.	2	3	4	5	6	7		योग
1.	शंकरगढ़	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	1	1	–	60
2.	जसरा	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	2	2	–	–	–	60
3.	चाका	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	1	–	–	1	–	–	–	49
4.	करछना	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	–	–	–	–	71
5.	कौंधियारा	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44
6.	कोरांव	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	–	99
7.	मेजा	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	–	2	2	2	–	–	60
8.	उरुवा	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	–	2	2	1	1	–	–	–	54
9.	माण्डा	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	–	–	–	–	–	63
	योग–	38	38	38	38	36	38	37	38	37	37	38	30	26	24	21	16	12	8	6		560

उक्त के अतिरिक्त टाउन एरिया शंकरगढ़, कोरांव, सिरसा एवं भारतगंज में भी एक-एक बैठकें हुईं। कुल ग्रामीण क्षेत्र में 560 नगर (टाउन एरिया) में चार बैठकें की गईं।

सोसल एससमेन्ट स्टडी–

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आनेवाली समस्याओं, बाधाओं को अभियान में रखकर जनपद इलाहाबाद में सोसल एसेसमेन्ट स्टडी में निम्न सुझाव प्राप्त हुये–

1. बी.सी एवं एस.सी. समुदाय के अभिभावक प्रायः निरक्षर हैं। अतः इन आपवंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना है।
2. अपवंचित समुदाय के क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर मोटिवेशन दिया जाय।
3. विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक दिये जायें और उनकी विद्यालय में नियमित तथा क्रियाशील उपस्थिति बनी रहे।
4. समुदाय तथा शिक्षकों के बीच समस्याओं पर डिस्कशन होता रहे।
5. पिछड़े तथा गरीब समुदाय के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री और पोशाक दिये जायें।
6. पिछड़े तथा गरीब परिवार के बच्चों के प्रति शिक्षक सहृदयता का व्यवहार करें।
7. बी.आर.सी/एन.पी.आर.सी. द्वारा उचित पर्यवेक्षण किये जायें।
8. माइक्रोप्लानिंग का क्रियान्वयन किया जाय।
9. सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय।
10. विकलांग बच्चों की विद्यालय जाने तथा उनसे प्रेम का व्यवहार करते हुए हीनभावना समाप्त करने का प्रयास किया जाय।
11. कक्षा में विकलांग बच्चों के बैठने कीसही-व्यवस्था हो।
12. कक्षा का वातावरण एवं शिक्षण कार्य रोचक हो।
13. रूढ़िवादी परम्परा को समाप्त करने में अभिभावक को प्रेरित कर बालिकाओं का विद्यालय लाया जाय।
14. ड्रापआउट को समाप्त किया जाय।

उपर्युक्त सुझावों को सर्वशिक्षा परियोजना में समाहित कर लिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यकम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती हैं।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्रान प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

Co-ordination with various deptt.

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

Co-ordination with various deptt.

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.8 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद –इलाहाबाद

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	390231	346054	736285	308282	273383	581665	79
2001-02	401157	355744	756901	357030	316612	673642	89
2002-03	412390	365704	778094	408266	362047	770313	99
2003-04	423937	375944	799881	453612	402260	855873	107
2004-05	435807	386470	822278	479388	425118	904505	110
2005-06	448010	397292	845301	501771	444967	946737	112
2006-07	460554	408416	868970	525031	465594	990625	114
2007-08	473449	419851	893301	549201	487028	1036229	116
2008-09	486706	431607	918313	574313	509297	1083610	118
2009-10	500334	443692	944026	600400	532431	1132831	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद –इलाहाबाद

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	162378	143996	306374	125031	110877	235908	77
2001-02	166925	148028	314952	136878	121383	258261	82
2002-03	171598	152173	323771	149291	132390	281681	87
2003-04	176403	156434	332837	162291	143919	306210	92
2004-05	181343	160814	342156	174089	154381	328470	96
2005-06	186420	165316	351737	186420	165316	351737	100
2006-07	191640	169945	361585	199305	176743	376049	104
2007-08	197006	174704	371710	208826	185186	394012	106
2008-09	202522	179595	382117	218724	193963	412687	108
2009-10	208193	184624	392817	229012	203087	432098	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	42
2001-02	37
2002-03	31
2003-04	25
2004-05	18
2005-06	12
2006-07	6
2007-08	0
2008-09	0
2009-10	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय-5

समस्यायें व रणनीतियाँ

सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया पूर्णतया विकेन्द्रीकृत रूप में अपनाई गयी है और बस्ती आधारित कार्यक्रम का नियोजन किया गया है। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि के साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठकें कर ली गयी हैं। इन बैठकों में विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें व मुद्दे निम्नवत उभर कर आये हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ इस प्रकार हैं–

मुद्दे	रणनीतियाँ
(क) शिक्षा की पहुँच–	
1. असेवित बस्तियों में विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं।	परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 305 असेवित बस्तियों के लिये 186 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इस प्रकार मानक अनुसार (2:1 प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय) जनपद में 595 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।
2. 300 से कम आबादी वाली बिखरी बस्तियों में 1.5 किमी. के अन्दर कोई शैक्षिक सुविधा नहीं हैं।	इन बस्तियों के लिये 511 ई०जी०एस०(EGS) केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
3. कामकाजी बच्चों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधाओं का अभाव है।	समस्त कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। ईंट के भट्टे तथा बीड़ी एवं कालीन बनाने के उद्योग में लगे हुए परिवार के बच्चों के लिये 98 शिक्षा घर तथा 94 ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया जायेगा।
(ख) नामांकन सम्बंधी–	
1. समुदाय में बच्चों के नियमित पठन-पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता नहीं है।	ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करते हुए मासिक बैठकों का आयोजन कराया जाएगा। विद्यालयों द्वारा रैली का आयोजन, शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जागृति तथा समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा।

2. समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित है।	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को, बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा के महत्व को समझाते हुए उनके बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जाएगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाजोपयोगी उत्पादक कार्य जैसे बांस की टोकरी, पंख बनाना, गुड़िया, खिलौना, मिट्टी का कार्य, सिलाई, बुनाई, चित्रकारी, कागज के चित्र, अलबम आदि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा।
3. बच्चों का घरेलू कार्य में व्यस्त होना	अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता लाते हुए बच्चों से घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिये समय देने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश कराने हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा।
4. छात्र को दी जाने वाली सुविधाओं/ प्रोत्साहनों के सदुपयोग की कमी।	विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाने, उनके ठहराव को बनाये रखने तथा अभिभावकों की आर्थिक मदद की दृष्टि से दिया जाने वाला स्कूल पोषाहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा। इसे इस प्रकार कराया जायेगा कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित करने में सहयोग मिल सके।
(ग) ठहराव सम्बंधी–	
1. जनसहयोग एवं समर्थन की कमी।	सामाजिक रूढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जन सहयोग प्राप्त करके बच्चों का ठहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण में आकर्षण का अभाव।	विद्यालय को बागवानी, साज़सज्जा से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जायेगा तथा विद्यालय में बच्चों के खेलने, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु वातावरण उपलब्ध होने की व्यवस्था की जायेगी।
3. सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा का अभाव।	चहरदीवारी विहीन 1641 प्रा०वि० तथा 332 उ०प्रा०विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराते हुए विद्यालय के लिये आकर्षक बागवानी की सुरक्षा की जायेगी।
4. पेयजल, शौचालय का अभाव।	पेयजल सुविधा विहीन 234 प्राथमिक तथा 75 उ० प्राथमिक विद्यालयों तथा शौचालय विहीन 195 प्राथमिक तथा 24 उ०प्रा०विद्यालयों में क्रमशः हैण्डपम्प तथा शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव को बढ़ाया जायेगा।
5. उपयुक्त भवन कक्षा कक्ष, साजसज्जा तथा शिक्षकों की कमी	प्राथमिक स्तर पर 1325 कक्षा कक्ष, 1085 शिक्षकों की कमी तथा उ०प्रा० स्तर पर 474 कक्षा कक्ष तथा शिक्षकों की कमी को दूर किया जायेगा। सभी विद्यालयों में पर्याप्त साजसज्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए ठहराव की समस्या दूर की

	जायेगी।
6. शिक्षकों में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा की कमी तथा बहुश्रेणी शिक्षण के कौशल का न होना।	शिक्षकों में नियमित बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्तव्य बोध का ज्ञान कराते हुए शिक्षा के प्रति समर्पण भाव जागृत किया जायेगा तथा अभिप्रेरित किया जायेगा। शिक्षेत्तर क्रिया कलापों में अत्यधिक व्यस्तता, नियुक्ति स्थान के बजाय घरेलू कार्य में उनकी अत्यधिक रूचि को समाप्त करते हुए बालकों के प्रति उनका दायित्व बोध बढ़ाकर ठहराव समस्या को शून्य किया जायेगा।
(घ) गुणवत्ता सम्बंधी–	
1. नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी	नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान की आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जायेगा।
2. विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण का अभाव	सामाजिक रीतिरिवाज, स्थानीय स्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में उनके अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा।
3. निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण का न होना	नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी, सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को ढालने के साथ-साथ शिक्षकों के गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा।
4. समुदाय में पठन-पाठन प्रक्रिया के समुचित ज्ञान की कमी।	शिक्षा में सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, माता शिक्षक तथा अभिभावक शिक्षक एशोसिएशन के सदस्यों को शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमों से भी परिचित कराया जायेगा।
5. शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्त होना।	पाठों के अनुरूप सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण सम्बन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा ताकि छात्रों में विषयवस्तु को समझने में आसानी हो साथ ही कक्षा शिक्षण रूचिकर हो सकें, इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान दिया जायेगा।
6. शिक्षकों का गैर-शैक्षिक कार्यों में व्यस्त होना	विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, भवन निर्माण, पोषाहार वितरण तथा अन्याय गैरविभागीय कार्यों के निस्तारण में शिक्षकों की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों

	के हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जावेगा तथा समय प्रबन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी।
(ङ)संस्थागत क्षमताओं सम्बंधी-	
1. न्याय पंचायत एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमताएं होना। विद्यालयों को सतत रूप से अकादमिक सपोर्ट न मिल पाना।	न्याय पंचायत तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं दक्षता विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा। न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलन में बिताये जा रहे समय के अपव्यय को कम किया जायेगा तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अभिरूचि उत्पन्न करने विद्यालय प्रबन्धन के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों को शैक्षिक पर्यवेक्षण व अकादमिक सपोर्ट देने के लिये क्षमतावान बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्ग दर्शन व अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके।
2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कक्षा कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की कमी की स्थिति में बहु कक्षा शिक्षण की विधा से परिचित कराया जावेगा।
3. प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोधकार्य की कमी	प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, प्रगति तथा विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन संबंधी शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था की जावेगी तथा सुझाए गये तरीकों का उपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जायेगा।
4. विद्यालय सांख्यिकी तथा इन्डीकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग।	ई.एम.आई.एस. को और सुदृढ़ बनाया जायेगा और आँकड़े नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना निर्माण में किया जावेगा।

❖

अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार
(नवीन औपचारिक विद्यालय)

(1) नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

यह सर्वमान्य तथ्य है कि 6-11 वय वर्ग के बालक छोटे होने के कारण दूरस्थ विद्यालयों में प्रवेश नही लेते और यदि विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रेरित करके उन्हें विद्यालय में नामांकित करा भी दिया जाय तो वे प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नही होते और कालान्तर में विद्यालय छोड़ देते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 किमी० पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कुल 770 नवीन प्राथमिक तथा 166 उ.प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं फिर भी वांछित संख्या में विद्यालय स्थापित नही हो पाये हैं। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद इलाहाबाद में परिवार एवं बस्तीवार सर्वेक्षण तथा मानचित्रण करके असेवित बस्तियाँ चिन्हित की गयी हैं और उनमें विद्यालयीय सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव बनाया गया है।

जनपद इलाहाबाद में बस्तियों की कुल संख्या 5531 है जिनमें 305 बस्तियाँ ऐसी है, जिनकी आबादी 300 से अधिक है और जिनके 1.5 किमी० की परिधि में कोई विद्यालय नही है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन बस्तियों को सेवित करने की दृष्टि से देखा गया तो यह ज्ञात हुआ कि 186 विद्यालय खोले जाने पर 300 आबादी वाली समस्त असेवित बस्तियों को विद्यालयीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अतः **186 प्रथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।**

सभी नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ और गुणवत्ता पूर्ण हो सके इस दृष्टि से प्रस्तावित भवनों में **शौचालय, पेयजल, चहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जिनकी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।**

विद्यालय साज-सज्जा–

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभाग बी.ई.पी. की भाँति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाट पट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्याम पट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्युपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि. क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी), क्लासरूम टीचिंग मेटीरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक तथा 1 शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी जिन्हें सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण दिया जायेगा। वर्षवार खोले जाने वाले विद्यालय तथा वांछित अध्यापक संख्या तालिका 6.5 में अंकित किया गया है।

विकास खण्डवार नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें आवश्यक सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सारणी 6.1 प्रदर्शित है।

सारणी 6.1

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

क्र०	नाम विकास खण्ड	नवीन प्रा० विद्यालय	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चहार दीवारी	शिक्षकों की व्यवस्था		शिक्षण सामग्री (सं.वि)	कार्ष्टोपकरण उपस्कर (सं.वि)
							प्र० अध्यापक	शिक्षा मित्र		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	शंकरगढ़	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2.	जसरा	9	9	9	9	9	9	9	9	9
3.	चाका	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.	करछना	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.	कौंधियारा	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6.	कोरांव	20	20	20	20	20	20	20	20	20
7.	मेजा	12	12	12	12	12	12	12	12	12
8.	उरुवा	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9.	माण्डा	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	कोड़िहार	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11.	सोरांव	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12.	होलागढ़	5	5	5	5	5	5	5	5	
13.	मऊआइमा	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14.	वहरिया	12	12	12	12	12	12	12	12	12
15.	फूलपुर	7	7	7	7	7	7	7	7	7
16.	वहादुरपुर	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17.	हँडिया	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18.	सैदाबाद	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19.	धनुपुर	12	12	12	12	12	12	12	12	12
20.	प्रतापपुर	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	योग ग्रामीण	186	186	186	186	186	186	186	186	186
21.	नगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	महायोग	186	186	186	186	186	186	186	186	186

सारणी 6.2

वर्षवार नवीन खुलने वाले प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
प्राथमिक	66	60	60	-	-	-	-	-	-

(2) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना–

जनपद इलाहाबाद के ग्रामीण विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है यद्यपि नगर क्षेत्र में 11-14 वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा सुलभ है तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु भूमि भी उपलब्ध नही है, ऐसी स्थिति में नगर क्षेत्र में निर्धारित मानक 2:1 में कोई नवीन उ.प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित नही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लक्ष्यरत वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा प्राप्त हो सके इसके लिये निर्धारित मानक 2:1 (दो प्राथमिक विद्यालय : एक उ०प्रा० विद्यालय) के अनुसार 595 उच्च प्रथमिक विद्यालय की आवश्यकता है, जिसका विवरण इस प्रकार है–

कुल प्राथमिक विद्यालय	–	1688
नवीन प्रस्तावित विद्यालय	–	186
योग –	–	1874
2:1 में आवश्यक उ.प्रा.वि.	–	937
वर्तमान उच्च प्राथमिक विद्यालय	–	342
आवश्यक उ. प्रा. विद्यालय	–	595

इन प्रस्तावित विद्यालयों में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ शौचालय, हैण्ड पम्प, चहार दीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों की भी आवश्यकता है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उ.प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। जो इस प्रकार है– मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, कूड़ादान, म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीड़ा सामग्री, फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग रो, हवा भरने का पम्प, क्लास रूम, टीचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब; टू इन वन आदि) तथा टीचर इक्वीपमेन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी–

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सब की लागत प्रत्येक विद्यालय की यूनित लागत में सामिल किया गया है।

निर्माण कार्यदायी संस्था–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी इलाहाबाद की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सौंपा गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक विद्यालय के लिये एक प्र०अ० और चार स०अ० की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। विकास खण्डवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है, जिन्हें सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण देकर शिक्षा कार्य में दक्ष बनाया जायेगा।

सारणी 6.3

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

क्र०	नाम विकास खण्ड	नवीन उच्च प्रा० विद्यालय	विद्यालय भवन	शौचालय	हैण्डपम्प	चहार दीवारी	शिक्षकों की व्यवस्था		शिक्षण सामग्री (संख्या विद्यालय)	काष्ठोपकरण उपस्कर (सं.वि.)
							प्र०अ०	स०अ०		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	शंकरगढ़	34	34	34	34	34	34	136	34	34
2.	जसरा	32	32	32	32	32	32	128	32	32
3.	चाका	28	28	28	28	28	28	112	28	28
4.	करछना	42	42	42	42	42	42	168	42	42
5.	कौधियारा	20	20	20	20	20	20	80	20	20
6.	कोरांव	43	43	43	43	43	43	172	43	43
7.	मेजा	29	29	29	29	29	29	116	29	29
8.	उरुवा	32	32	32	32	32	32	128	32	32
9.	माण्डा	25	25	25	25	25	25	100	25	25
10.	कोड़िहार	25	25	25	25	25	25	100	25	25
11.	सोरांव	22	22	22	22	22	22	88	22	22
12.	होलागढ़	24	24	24	24	24	24	96	24	24

13.	मऊआइमा	26	26	26	26	26	26	104	26	26
14.	बहरिच	32	32	32	32	32	32	128	32	32
15.	फूलपुर	22	22	22	22	22	22	88	22	22
16.	बहादुरपुर	29	29	29	29	29	29	116	29	29
17.	हँडिया	26	26	26	26	26	26	104	26	26
18.	सैदाबाद	38	38	38	38	38	38	152	38	38
19.	घनुपुर	28	28	28	28	28	28	112	28	28
20.	प्रतापपुर	38	38	38	38	38	38	152	38	38
	योग ग्रामीण	595	595	595	595	595	595	2380	595	595

सारणी 6.4

वर्षवार नवीन खुलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उ.प्रा.	100	100	100	100	100	95	–	–	–

नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की वर्षवार आवश्यकता तथा शिक्षक आवश्यकता संकलित रूप में निम्नांकित सारणी 6.5 में प्रदर्शित है।

सारणी-6.5

वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता

क्र०	वर्ष	नवीन प्रा. विद्यालय	प्रधान अध्यापक	शिक्षा मित्र	नवीन उ.प्रा. विद्यालय	प्रधान अध्यापक	सहायक अध्यापक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2001-02	66	66	66	100	100	400
2.	2002-03	60	60	60	100	100	400
3.	2003-04	60	60	60	100	100	400
4.	2004-05	–	–	–	100	100	400
5.	2005-06	–	–	–	100	100	400
6.	2006-07	–	–	–	95	95	380
7.	2007-08	–	–	–	–	–	–
8.	2008-09	–	–	–	–	–	–
9.	2009-10	–	–	–	–	–	–

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय-7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा, तथा ब्रिज कोर्स)

वर्तमान में ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक प्रा०वि० में प्रवेश नहीं ले पाते, उनके लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र / शिक्षागार की व्यवस्था रही है। यह शिक्षण सुविधा से वंचित 6-14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का एक सशक्त विकल्प है। इस केन्द्र पुरो-निर्धारित योजना के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर बैठ गये, दैनिक व्यवसाय में अभिभावक की मदद करने लगे, कारखानों में काम करने लगे, बाल श्रमिक बन गये, पढ़ना चाहकर भी प्रतिदिन 6 घण्टे का प्राथमिक विद्यालयीय समय नहीं दे सके, वे बालिकाएं जो माता पिता के काम पर चले जाने के बाद घर के अबोध शिशुओं की देखभाल में लग गई ऐसे अपवंचित असुविधाग्रस्त बालक, बालिकाओं को उनकी सुविधानुसार अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था रही है।

7.1 उद्देश्य –

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा एक से पांच तक के पाठ्यक्रम को संगनित करके अंशकालिक शिक्षा दो घण्टे प्रतिदिन छः माह के चार सेमेस्टरों में प्रदान की जाती है। कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर समतुल्य प्रमाण पत्र प्रदान कर इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का यत्न किया जाता है। जनपद इलाहाबाद में 15 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा की परियोजनाएं संचालित हैं।

7.2 आच्छादित विकास खण्डों के नाम–

वर्तमान समय में जनपद इलाहाबाद निम्न 15 परियोजनाओं में अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र संचालित हैं–

1. चाका
2. जसरा
3. शंकरगढ़
4. कौंधियारा
5. करछना
6. उरुवा
7. बहादुरपुर
8. सैदाबाद
9. हण्डिया
10. धनूपुर
11. प्रतापपुर
12. फूलपुर
13. बहरिया
14. सोरांव
15. कौड़िहार

7.3 परियोजना विहीन विकास खण्ड–

1. मेजा
2. माण्डा
3. कोरांव
4. मऊआइमा
5. होलागढ़

नगर क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं हैं।

7.4 केन्द्र संचालन–

इलाहाबाद की संचालित समस्त परियोजनाओं में से प्रत्येक में 100-100 केन्द्र संचालित किये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र में 25-25 बच्चे का पंजीकरण किया जाता है। जिसमें बालिकाओं की शिक्षा की प्रमुखता दी जाती है।

7.5 केन्द्र निर्धारण व स्थल चयन–

परियोजना से आच्छादित विकास खण्ड में ग्राम शिक्षा समिति की मांग/आवश्यकता एवम् 6-14 वय वर्ग के निरक्षर बच्चों की संख्या को आधार बनाकर ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत स्तर पर केन्द्र संख्या का निर्धारण किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्णीत किसी सार्वजनिक स्थल पर अनुदेशक द्वारा दो घण्टे प्रतिदिन केन्द्र संचालन किया जाता है।

7.6 अनुदेशक चयन–

जनपद इलाहाबाद में नवीनतम् शासनादेशों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल पर आरक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक योग्यता वरीयता के आधार पर अब तक चयनित 1694 अनुदेशकों में 561 महिलाएं एवं 1133 पुरुष अनुदेशक हैं।

7.7 पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता–

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवम् निःशुल्क शिक्षण सामग्री दिये जाने की शासन द्वारा व्यवस्था है। वर्ष 99-2000 की शिक्षण सामग्री केन्द्रों तक पहुंचाकर लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

7.8 प्रशिक्षण–

जनपद इलाहाबाद में कार्ययोजित अनुदेशकों को प्रारम्भ में दस दिवसीय प्रथम चक्र का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सक्रिय सहयोग से सम्पन्न कराने की व्यवस्था है। तद्नुसार जनपद इलाहाबाद के 2089 अनुदेशकों का प्रथम चक्र का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

7.9 निरीक्षण–

इलाहाबाद के परियोजनाओं में संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण परियोजना अधिकारी तथा स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी केन्द्रों पर निरीक्षण किया जाता है।

7.10 शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना–

बच्चों द्वारा कक्षा 5 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।, यह बच्चे औपचारिक विद्यालयों की कक्षा 6 में प्रवेश के लिये अर्ह होते हैं।

7.11 मानदेय भुगतान–

मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों के खातों के माध्यम से किया जाता है। प्रति अनुदेशक 200/- रूपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा से लाभान्वित छात्रों का संख्यात्मक विवरण सारणी 7.1 में प्रदर्शित है।

यह योजना 31 मार्च, 2001 को समाप्त हो रही है।

सारणी 7.1

अनौपचारिक शिक्षा से लाभान्वित होने वाले छात्रों का संख्यात्मक वितरण (1999-2000 तक)

क्र०	परियोजना का नाम	केंद्रों पर पंजीकृत छात्र संख्या			परीक्षा में सम्मिलित छात्र			परीक्षा में सफल छात्र			मुख्य धारा से जुड़े छात्र		
		वालक	वालिका	योग	वालक	वालिका	योग	वालक	वालिका	योग	वालक	वालिका	योग
1	2	5	6	7	8	3	10	14	15	16	17	18	19
1.	फूलपुर	1469	1031	2500	894	623	1517	894	623	1517	65	35	100
2.	वहादुरपुर	1190	1316	2506	713	798	1511	713	798	1511	70	40	110
3.	वदरिया	972	1550	2522	386	457	843	386	457	843	20	30	50
4.	हण्डिया	270	222	492	211	183	394	211	183	394	15	13	28
5.	धनुपुर	1358	1142	2500	761	545	1306	744	532	1276	55	25	80
6.	सैदावाद	1251	1249	2500	568	542	1110	568	542	1110	61	42	103
7.	प्रतापपुर	1148	1359	2507	838	827	1665	692	736	1428	50	45	95
8.	सोरांव	1192	1309	2501	780	906	1786	769	828	1667	65	60	125
9.	कौड़िहार	654	596	1250	295	234	529	292	229	521	25	15	40
10.	शंकरगढ़	1226	1274	2500	594	548	1142	587	528	1125	30	25	55
11.	जसरा	487	563	1050	341	320	661	341	320	661	20	15	35
12.	करछना	906	1594	2500	386	631	1017	386	631	1017	31	29	60
13.	चाका	511	539	1050	366	400	766	346	377	723	20	16	36
14.	कौंधियारा	442	566	1008	271	340	611	271	340	611	25	25	50
15.	उरुवा	1091	1409	2500	780	849	1629	755	83	1573	25	15	40
	योग–	14167	15719	29886	8184	8203	16387	7955	8022	5977	577	430	1007

7.2 सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्ताव

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6-14 वय वर्ग के सभी प्रकार के विद्यालय से बाहर, शालात्यागी तथा बाल श्रमिक/कान-काजी बच्चों के लिए एवं बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है कि उक्त वय वर्ग की कोई भी बालक बालिका शिक्षा सुविधा से वंचित न रह जायं इस दृष्टि से बच्चों की विशिष्ट आवश्यकतानुसार प्राथमिक शिक्षा के अलग-अलग माडल दिये गये हैं विकास खण्डवार विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नलिखित है :-

सारणी 7.2

विद्यालय न जाने वाली बालक-बालिकाएँ

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	6-11 वय वर्ग			11-14 वय वर्ग		
		विद्यालय न जाने वाले			विद्यालय न जाने वाले		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शंकरगढ़	1935	2173	4108	594	744	1338
2.	जसरा	835	1031	1866	322	372	694
3.	चाका	1466	1635	3101	699	865	1564
4.	करछना	1008	1547	2555	573	1048	1621
5.	कौंधियारा	1095	1482	2577	408	608	1016
6.	कोरांव	3351	3816	7167	1113	1249	2362
7.	मेजा	1940	2603	4543	610	869	1479
8.	उरुवा	803	1083	1886	261	623	884
9.	माण्डा	763	1382	2145	215	698	913
10.	कोड़िहार	185	65	250	299	190	489
11.	सोरांव	131	120	251	140	150	290
12.	होलागढ़	124	413	537	644	860	1504
13.	मऊआइमा	60	150	210	75	125	200
14.	बहरिया	2860	1527	4387	2812	3721	6533
15.	फूलपुर	756	858	1614	496	602	1098
16.	बहादुरपुर	1919	1714	3633	1383	1428	2811
17.	हंडिया	2029	962	2991	531	533	1064
18.	सैदाबाद	349	813	1162	335	706	1041
19.	धनुपुर	1403	1710	3113	754	1096	1850
20.	प्रतापपुर	407	358	765	959	546	1505
	योग	**23419**	**25442**	**48861**	**13223**	**17033**	**30256**
21.	नगर क्षेत्र	3000	600	3600	200	1000	1200
	महायोग	**26419**	**26042**	**52461**	**13423**	**18033**	**31456**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से क्षेत्रवार विशिष्टता की जानकारी प्राप्त की गयी है और तद्नुसार वैकल्पिक शिक्षा के रूप में शिक्षा गारण्टी योजना, शिक्षा घर, विद्यालय वापस चलो, समर कैम्प तथा वृज कोर्स की सुविधा करने के प्रस्ताव पर जन-प्रतिनिधियों, जनसमुदाय, सम्बन्धित शिक्षा अभिकर्मी और अन्य विभागों के साथ बात-चीत तथा विचार विमर्श करके निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

नवाचार–

विद्यालय में बच्चों के ठहराव हेतु तैयारी– प्रायः यह देखा जाता है कि माता-पिता या शिक्षक बच्चों को जोर-जबरदस्ती से विद्यालय में प्रवेश के लिये ले आते हैं। बच्चे विद्यालय में अनमने भाव से आते हैं या रोते हुए आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि विद्यालय का वातावरण उनके घरेलू उन्मुक्त वातावरण से भिन्न होता है। घर में वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने सम-वयस्कों के साथ खेलते हैं और आनन्दित होते हैं, यदि विद्यालय में भी खेलकूद और आनन्दमय वातावरण का निर्माण किया जाय तो निश्चित ही उनका मन विद्यालय में लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि सत्र के प्रारम्भ में लगभग एक से डेढ़ माह तक विशेषकर कक्षा एक के बच्चों के लिये ऐसे कार्यक्रम रखे जायेंगे जिनमें मनोरंजन अधिक हो, यह कार्यक्रम निम्नलिखित हो सकते है–

1. रिंग (छल्ले), गेंद से खेलना।
2. रंग विरंगे गुटकों के साथ विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना।
3. जानवरों, पक्षियों के चित्रों के कट आउट देकर उनको जुड़वाना।
4. छोटे कागजों पर रंगीन पेंसिलों से चित्रों को बनवाना।
5. बाल सुलभ कविताओं को नाच, उछल-कूद द्वारा गाना और उनसे गवाना।
6. रंग विरंगे चित्र युक्त पुस्तकों को देकर उनमें बने हुए चित्रों के विषय में बच्चों से बातचीत करना।
7. मिट्टी की गोलियां, खिलौने, कागज की नाव, पतंग, हवाई जहाज आदि बनवाना।

इन वस्तुओं का प्रयोग करते हुये बच्चों को धीरे-धीरे लेखन की ओर आकर्षित किया जायेगा। इसके लिये विद्यालयों में निम्नलिखित सामग्री देने का प्रस्ताव है–

1. रिंग (छल्ले), गेंद, कूदने की रस्सी, डम्बल, लेजिम आदि।
2. ढोलक, हारमोनियम, झांझ, मजीरा, आदि।
3. विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने हेतु प्लास्टिक के रंग-विरंगे गुटके, चित्रों के कटआउट।
4. चित्रों वाली बाल कहानी की पुस्तकें।
5. पतंगी कागज, चार्ट, कैंची, रंगीन पेंसिलें आदि।

इनके उपयोग को देखते हुए, इसी प्रकार की अन्य मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कार्य मुख्य रूप से कक्षा एक में सत्र के प्रारम्भ में चलाया जायेगा। पी.टी.- व्यायाम से जुड़े कार्यक्रम जो खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के हैं उन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन अन्तिम पीरीएड में चलाया जाता रहेगा। इन कार्यक्रमों के सकुशल संचालन के लिये प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

एस.यू.पी.डब्लू. (सोसली यूज फुल प्रोडक्टिव वर्क) समाजोपयोगी कार्य–

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि वे कुछ ऐसे कार्य करें, जिससे उनके कौशल का विकास हो और उनके द्वारा किये गये कार्यों से वे स्वयं संतुष्टि पा सकें। कार्यों का चयन करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि कार्य उत्पादक हो और उनके दैनिक जीवन के लिये उपयोगी तथा रूचिकर हों।

सामान्यतया उच्च प्राथमिक स्तर पर 11-12 वय वर्ग से लेकर 14-15 वर्ष की बालिकायें शिक्षा ग्रहण करती हैं। इस उम्र में जहां उन्हें एक ओर हस्त कौशल युक्त कार्यों के करने में आनन्द आता है वही दूसरी ओर वे इन कार्यों को शीघ्रता से सीख भी लेती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित कुछ कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। इसके लिये सप्ताह में दो दिन अंतिम चक्रों में स्थान दिया जायेगा।

1. रद्दी कागज, कतरन से गुड़िया बनाना।
2. कागज की लुगदी से खिलौने बनाना।
3. सिलाई, कढ़ाई का कार्य करना।
4. जैम, जैली, अचार, मुरब्बा आदि बनाना।
5. गृह वाटिका लगाना, सजाना आदि।

इन कार्यों के संचालनार्थ आवश्यक उपयोगी सामग्रियों यथा– सिलाई, कढ़ाई फ्रेम, सुई-डोरा, सांचे इत्यादि क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकास खण्ड के पांच-पांच ऐसे विद्यालयों को सामग्री दी जायेगी जहां रख-रखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हो। पर्याप्त कुशल शिक्षक हों और आस-पास इस प्रकार की शिक्षण की सुविधा सुलभ न हो। धीरे-धीरे इसका अग्रिम वर्षों में चरण बद्ध तरीके से विस्तार किया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा–

वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई है। आने-वाले समय में बच्चे समाज की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें। इस लिये यह आवश्यक है कि इनकों उच्च प्राथमिक स्तर से ही कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी दी जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनपद के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक-एक कम्प्यूटर तथा यू. पी.एस. देने का प्रस्ताव है। इनको चरण बद्ध तरीके से विद्यालयों में दिया जायेगा। प्रथम चरण में ऐसे विद्यालयों को कम्प्यूटर तथा यू.पी.एस. दिये जायेंगे जिनमें सुरक्षा एवं बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है।

शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस. केन्द्र)–

ऐसे बच्चे जो 6-7 वर्ष के हैं और 1.5 कि.मी. की दूरी तक स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने नही जा रहे है उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ई.जी.एस. केंद्रों की

स्थापना का प्रस्ताव हैं यह केंद्र प्रतिदिन चार घंटे तक चलेगें केंद्रो पर पुस्तक शिक्षण सामग्री एवं सज-सज्जा की व्यवस्था अन्य प्राथमिक विद्यालयों की भांति होगी। ई.जी.एस. केंद्रो पर अध्ययनरत बच्चों द्वारा कक्षा 2 तक का स्तर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें समीपस्थ विद्यालय से जोड़ दिया जयेगा। इसके लिए उनको सतत प्रेरित किया जायेगा। और उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु सतत मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र में 30 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे।

ई.जी.एस. में शिक्षण हेतु शिक्षा आचार्य का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जयेगा और आचार्य को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जनपद में 511 ई.जी.एस. केंद्रों की स्थापना अभियान के प्रथम 3 वर्षो में की जायेगी केंद्रो की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान दिया जायेगा कि दोनो वर्षो में सभी चिन्हित न्याय पंचायतों में केंद्रो का वितरण अधिकाधिक समता के साथ हो ताकि सभी न्याय पंचायतों में शिक्षा की सुविधा प्रथम वर्ष से ही सुलभ हो सकें वर्ष 2001-2002 में 200 तथा 2002-2003 में 200 तथा 2003-04 में 111 केन्द्र स्थापित किये जायेगे।

शिक्षा घर-

6-14 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो कामकाजी तथा बाल श्रमिक हैं और रोजी रोटी से सम्बन्धित कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ण समय तक विद्यालय में रह कर शिक्षा ग्रहण नही कर सकते, उनके लिए शिक्षा घर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव हैं शिक्षा घर का समय प्रतिदिन 4 घंटे का होगा और स्थानीय परिस्थिति के कारण इसका निर्धारण किया जायेगा। 1 शिक्षा घर में 30 बच्चे नामांकित होगे ऐसे स्थान पर जहॉ पर लड़कियों की संख्या अधिक हैं वहॉ लड़कियों के शिक्षा घर खोले जाने का प्रस्ताव हैं शिक्षा घर मे स्थानीय कक्षा 10 उत्तीर्ण योग्यताधारी अनुदेशक/अनुदेशिका को नियुक्त किया जायेगा और इनका चयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा। शिक्षा घर के लिए शिक्षण सामग्री लालटेन, मिट्टी का तेल, चार्ट, पुस्तकें इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। अनुदेशकों को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। एक केन्द्र में 30 बच्चे होगे

जनपद इलाहाबाद में कुल 98 केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें वर्ष 2001-02 में 60 तथा वर्ष 2002-03 में 38 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

ब्रिज कोर्स–

6-11 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो किसी कारण शालात्याग कर चुके हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स की वेशिष्ट व्यवस्था है इसका यह उद्देश्य है कि बच्चों को 3 माह, 6 माह अथवा 9 माह तक

शिविर में रखकर उनको इस प्रकार शिक्षित किया जाये कि वे अपनी योग्यतानुसार प्राथमिक शिक्षा के किसी निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकें कोर्स चलने की अवधि में बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। और जैसे ही वे किसी कक्षा में 3, 4 या 5 स्तर को प्राप्त कर ले उन्हें उस कक्षा विशेष में प्रवेश लेने के लिए अभिप्रेरित किया जायेगा। इस कार्य में इस कोर्स द्वारा सभी बच्चों विशेषकर अनुसूचित तथा बालिकाओं के शालात्याग की समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद के यमुनापार विकास खण्डों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ब्रिज कोर्स की आवश्यकता है इस बस्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। इन क्षेत्रों में बालिकाओं के शालात्याग की समस्या अधिक हैं इनके माता पिता बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते और कुछ समय तक विद्यालयों में भेजने के बाद उन्हें वापस ले लेते हैं साथ ही साथ कुछ बच्चे विद्यालय में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाने के कारण निराशा युक्त हो जाते हैं और शालात्याग देते हैं ऐसी स्थिति में कोर्स के द्वारा उनको विशेष उपचारात्मक शिक्षण देकर उनका स्तरोन्नयन किया जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें अभियान के 2000-01 में 6 वर्ष 2002-03 में 6 तथा 2003-04 में 6 ब्रिज कोर्स चलाये जायेंगे। इसकी अवधि 6 माह होगी। प्रत्येक ब्रिज कोर्स में 40 बच्चे होंगे।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प)-

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हैं यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो के ही लिए चलाये जाने हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं और इसके कारन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक, प्राथमिक एवं उच्च प्रार्थमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी।, इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे हैं और अभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा।

जनपद में 95 समर कैम्प बस्तियों के निकटस्थ विद्यालयों में कराने का प्रस्ताव है। जिसको वर्ष 2001-02 में 50 वर्ष 2002-03 में 30 तथा वर्ष 2003-04 में 14 समरकैम्प संचालित किये जायेंगे। प्रत्येक में प्रतिभागियों की संख्या 40 होगी।

मकतबों का सुदृढ़ीकरण-

जनपद के विकास खण्ड चाका, कौड़िहार, मऊआइमा, बहरिया, फूलपुर, हण्डिया, सैदाबाद में मुसलिम बाहुल्य आबादी वाली बस्तियों में 21 मकतब संचालित हैं। इन मकतबों में पढ़ने वाले अल्प

संख्यक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये इनके सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

जनपद के यमुनापार क्षेत्र के 9 विकास खण्डों में परिवार सर्वेक्षण तथा ग्राम पंचायत स्तरीय बैठकों के माध्यम से ऐसे कठिन समूह के बच्चों की पहचान की गई जिनके लिये विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे विशेषकर जो बालश्रमिक हैं, इनके लिये बृज कोर्स का प्रस्ताव किया गया है। व्यवस्था के प्रस्ताव में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि प्रथम वर्ष में इन केन्द्रों की संख्या बहुत कम रखी जाय ताकि उनका नियंत्रण सही ढंग से हो सके। उनके क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी वर्षों में अन्य विकास खण्डों में इसका विस्तार किया जा सके। प्रथम वर्ष में इलाहाबाद जनपद के केवल जमुना पार क्षेत्र के 9 विकास खण्डों में इन केन्द्रों को चलाया जायेगा। इन आवश्यक केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई सारणी 7.3 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 7.3

शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा/ब्रिज कोर्स का प्रस्ताव

क्र०	विकास खण्ड का नाम	विशिष्टता	ई.जी.एस.	शिक्षा घर	विद्यालय वापस चलो शिविर समर कैम्प	बृज कोर्स	मदरसों का सुदृढ़ीकरण
1.	शंकरगढ़	पठारी, जंगली तथा अनुपजाऊ भूमि, बिखरी बस्तियाँ अनु.जाति बाहुल क्षेत्र, बाल श्रमिक।	50	4	5	2	–
2.	जसरा	पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र, अनुपजाऊ एवं असिंचित भूमि, गरीबी	26	4	2	1	–
3.	चाका	लघु उद्योगों की अधिकता, मजदूरी, बालश्रमिक तथा शिक्षित वर्ग	34	9	8	3	5
4.	करछना	समतल भूमि, कृषि प्रधान, बाढ प्रभावित, सघन आबादी	56	6	3	3	–
5.	कौंधियारा	पठारी, अनुपजाऊ भूमि, बाढ प्रभावी, बाल श्रमिक, अशिक्षा एवं गरीबी	30	8	3	3	–
6.	कोरांव	पठारी, पथरीली, अनुपजाऊ भूमि, बाल श्रमिक, बिखरी बस्तियां, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र	53	9	8	1	–
7.	मेजा	पठारी, पथरीली, अनुपजाऊ भूमि, बाल श्रमिक, बिखरी बस्तियां, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र	42	–	9	1	–
8.	उरुवा	सघन आबादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य	23	4	8	3	–
9.	माण्डा	पठारी, पथरीली, अनुपजाऊ भूमि, बाल श्रमिक, बिखरी बस्तियां, अशिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ापन	11	10	2	1	–
10.	कोड़िहार	सघन आबादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य	10	5	4	–	3
11.	सोरांव	सघन आबादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य	10	5	4	–	–
12.	होलागढ़	सघन आबादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि	33	–	4	–	–

		प्रधान कार्य					
13.	मऊआइमा	पिछड़ापन, अल्प संख्यक बाहुल्य, यातायात में कमी, वर्षा ऋतु में जल भराव	3	–	4	–	2
14.	बहरिया	सघन आबादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य	18	4	4	–	1
15.	फूलपुर	अल्प संख्यक मुसलिम बाहुल्य, समतल भूमि, सामाजिक पिछड़ापन, ऊसर भूमि, उद्योग सहित	20	5	4	–	2
16.	बहादुरपुर	शहरी क्षेत्र से लगा हुआ, कछार एवं बाढ़ प्रभावित, कृषि प्रधान क्षेत्र, मजदूरी आश्रित आबादी	24	4	4	–	–
17.	हँडिया	सघन आबादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य	53	5	4	–	1
18.	सैदाबाद	सघन आबादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य	–	5	4	–	1
19.	धनुपुर	सामाजिक एंव शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, घनी आबादी, जल भराव, कृषि प्रधान कार्य, यातायात का अभाव।	–	6	4	–	2
20.	प्रतापपुर	सामाजिक एंव शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, घनी आबादी, जल भराव, कृषि प्रधान कार्य, यातायात का अभाव।	–	5	4	–	–
	योग–		496	98	92	18	17
	नगर क्षेत्र	15 मलिन बस्तियों तथा मजदूरी में संलग्न लोग	15	–	2	–	4
	महायोग–		511	98	94	18	21

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। 'अण्डर ऐज' व 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते है, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया को उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

जनजाति/घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा व्यवस्था

इलाहाबाद के कुछ विकासखण्ड क्षेत्रों में जनजाति जन संख्या है। उन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के अत्यन्त न्यून अवसर होने के कारण ये परिवार काम की खोज में विभिन्न स्थानो पर घूमते रहते हैं तथा वर्ष भर इनके रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इन परिवारों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था बाधित होती रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न आर्थिक स्तर के कारण सम्पूर्ण परिवार, बच्चे जीविको पार्जन के कार्या में संलग्न रहते है जिससे बच्चे नियमित विद्यालय नहीं जा पातें , बालिकायें तो विशेषकर सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से अधिकांशतः विद्यालय नहीं भेजी जाती अथवा कक्षा 1–2 के बाद विद्यालय छोड़ देती हैं। ऐसे क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए पूर्णकालिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना बालिकाओ की शिक्षा की दिशा में कारगर कदम होगा । आवासीय विद्यालय मल्टीग्रेड, मल्टी लेवल होगे जिसमें 8–14 वर्ष तक की बालिकाओं को कक्षा 3 से 8 तक की शिक्षा दी जायेगी कक्षा 1 एवं 2 के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्या केन्द्र की सुविधा प्रदान करते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। आवासीय विद्यालयों में मुख्य पाठ्यकम के साथ–साथ उच्च कक्षाओं (कक्षा 3–8) में बालिकाओं के कौशल वृद्वि हेतु व्यवसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जायेगा। व्यवसायिक शिक्षा/कौशल वृद्वि हेतु स्थानीय ट्रेंड/व्यवसायों का उनकी आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए चयनकिया जायेगा ताकि विद्यालयी शिक्षा उनके वास्तविक जीवन में उपयोगी सिद्व हो सके । इस प्रकार के पाठ्य कम उपयोगी होने के साथ–साथ अभिभावकों को अपनी बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने एवं शिक्षा पूरी कराने हेतु भी प्रेरित एवं आकर्षित करेंगे।

आवासीय विद्यालयों मे नियनित महिला अध्यापिकाओं के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की जायेगी। ये पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक होंगे। विद्यालय में बालिकाओं के आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकों, विद्यालयी पोषाक आदि की व्यवस्था हेतु बजट का आंकलन कम से कम 50 बालिकाओं की संख्या के आधार पर किया गया है । इन विद्यालयों में प्रदेश के अन्य विद्यालयों की तरह सामान्य पाठ्य कम लागू किया जायेगा, अतः पाठ्यपुस्तकें भी वही होगी। किशोरी बालिकाओं को जीवनोपयोगी दक्षताएं प्रदान करने सम्बंधी प्राविधान इन पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मबल की वृद्धि करने में सहायक होगा।

बालिकाओं की आवास व्यवस्था हेतु विद्यालय भवन का ही प्रयोग किया जायेगा। वस्तुतः विद्यालय भवन 'कक्षा–कक्ष–कम–डॉरमेट्री' के रूप में उपयोग किया जायेगा। भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार का मानक रखा गया है। आवासीय विद्यालय का भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के समतुल्य होगा, जिसमें शौचालय, हैण्डपम्प व चाहरदीवारी का निर्माण भी कराया जायेगा इन निर्माण कार्यों की इकाई लागत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के समान रखी गयी है।

आवासीय विद्यालय के संचालनार्थ उच्च प्राथमिक स्तर के 1 प्रधानाध्यापक, 2 सहायक अध्यापक, 1 रसोइया व 2 परिचारक/चौकीदार के पद रखे गये हैं। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भाँति तैनात किये जायेंगें।

आवासीय विद्यालय के संबंध में बच्चों के भोजन आदि के स्पष्ट मानक व इकाई लागत पूर्व में निर्धारित नहीं है। अतः भारत सरकार की ई.जी.एस./ए.आई.ई. की गाइड लाइन्स में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अंकित प्रति शिक्षार्थी निर्धारित लागत अधिकतम रू. 3000/– प्रतिवर्ष की सीमा के अंदर रखते हुए कार्यक्रम की लागत अनुमानित की गयी है।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार जनपद में दो आवासीय विद्यालयों की स्थापना परियोजना प्रारंभ के द्वितीय वर्ष से की जायेगी। प्रति आवासीय विद्यालय 50 बच्चों की संख्या रखी गयी है।

प्रस्तावित बजट

मद	प्रति बच्चा इकाई लागत प्रति वर्ष
भोजन व्यय (10 माह)	2000
विद्यालय पोशाक (2 जोड़ी)	400
पठन–पाठन सामग्री	100
आवश्यक बर्तन	50
स्टील ट्रंक	100
आकस्मिक मद	100
कुल योग	2750

प्रशासनिक व्यय

1. विद्यालय भवन हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी सहित	भवन हैण्डपम्प शौचालय चाहरदीवारी योग	रु0 2,70,000 रु0 22,000 रु0 10,000 रु0 40,000 रु0 3.42 लाख	
2. फर्नीचर/साज सज्जा/ टाट–पट्टी	रु0 50,000/–		
3. वेतन प्रधानाध्यापक – 1 सहायक अध्यापक – 2 रसोइया – 1 परिचारक/चौकीदार – 2	दर प्रतिपद/प्रतिमाह रु0 7500 रु0 6500 X 2 रु0 3000 रु0 3000 X 2 योग:		एक माह = 7500 = 13000 = 3000 = 6000 रु0 29500
4. अनुसंगिक व्यय	रु0 20000 प्रतिवर्ष		

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विगत 7 वर्षों में विद्यालयों के बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये। योजना आरंभ करते समय जनपद में शालात्याग की दर 41.7 प्रतिशत थी जो 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये गये घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार घट कर 21.0 प्रतिशत रह गयी परन्तु अभी भी शालात्याग की दर बहुत अधिक है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शालात्याग की दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये गये। जनपद के 819 विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगवाये गये, 1563 विद्यालयों में शौचालय बनवाये गये, बढ़ते हुये छात्र नामांकन को देखते हुये 2179 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित कराये गये। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के पश्चात अध्यापन क्रिया आधारित तथा बालकेंद्रित शिक्षण द्वारा बच्चों को विद्यालय में रोक सके इसके लिए बोधात्मक प्रशिक्षण तथा भाषा गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन में विषय गत प्रशिक्षण दिया गया। ठहराव हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति का भी प्रशिक्षण कराया गया। वर्तमान में सभी प्राथमिक शिक्षक उपर्युक्त प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यद्यपि पेयजल, शौचालय और अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था की गयी हैं परन्तु सभी विद्यालय इससे आच्छादित नही हो पाये हैं उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना 2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं परन्तु अन्य विषयों में प्रशिक्षण नहीं हो पाया। प्राथमिक स्तर पर अनु.जा., जन.जा. के बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं अनुसूचित जाति, जन.जा., पिछडी जाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जा रही हैं इस प्रकार परियोजना के अंतर्गत अनु.जा. के बालक और सभी वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव के लिए अनेकों प्रयास किये गये।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद अभी भी शालात्याग की दर बहुत अधिक हैं इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि शत प्रतिशत विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से युक्त होंजिसके लिए जनवरी/फरवरी 2001 में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण किया गया और गाँव स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया गया।

8.1A विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण–

जनपद में भवनहीन/जर्जर विद्यालयों की संख्या 25 है जिनमें 15 प्राथमिक तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की कक्षाएं या तो पेड़ के नीचे लगती हैं अथवा खुले मैदान में जिसके कारण सामान्यतया बच्चे मध्यावकाश के बाद वापस नहीं आते साथ ही साथ कुछ महीनों तक अध्ययन करने के पश्चात बच्चे विद्यालय आना बन्द कर देते हैं जिससे ड्राप आउट में वृद्धि होती है। इसे रोकने के लिये 25 विद्यालय भवनों का पुनर्निमार्ण प्रस्तावित है, जिसे योजना के

प्रथम वर्ष में ही पूर्ण कर लिया जायेगा। (सन्दर्भ सारणी 2.9) इन विद्यालय भवनों का निर्माण वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित किया गया है।

8.1B अतिरिक्त कक्षा-कक्ष–

वर्तमान में जनपद के प्रा.वि. में कुल कक्षा-कक्षों की संख्या 6500 है। प्रत्येक अध्यापक के लिये एक कक्षा-कक्ष का मानक पूरा करने हेतु प्रभावी नामांकन के अनुसार 40:1 मानक में 2001-02 में कुल 7957 अध्यापकों की आवश्यकता है अस्तु कुल वांछित कक्षा-कक्ष = 7957 है। इस प्रकार 1457 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष की आवश्यकता होगी।

जनपद में चलाये गये स्कूल चलो अभियान के फलस्वरूप छात्र नामांकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्व में दी गई सारणी 4.3 के अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की वर्षवार आवश्यकता शिक्षकों के ही अनुरूप होगी, जो निम्नलिखित सारणी 8.2.1 में प्रदर्शित है।

तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए **प्रा०वि० के लिये 1457 कक्ष तथा उच्च प्रा०विद्यालय के लिये 474 कक्षा कक्ष के निर्माण के लिये प्रस्ताव है।** छात्र संख्या वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2010 तक वांछित अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता का विवरण संलग्न तालिका संख्या 8.2.1 में तथा उ.प्रा.वि. हेतु आवश्यकता सारणी 8.2.2 में प्रदर्शित है–

सारणी 8.2.1

अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (प्राथमिक विद्यालय)

क्रमांक	वर्ष	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष		
		प्राथमिक विद्यालय	नवीन प्राथमिक विद्यालय	योग
1.	2001-02	1457	132	1325
2.	2002-03	542	120	422
3.	2003-04	564	120	444
4.	2004-05	585	–	585
5.	2005-06	605	–	606
6.	2006-07	630	–	630
7.	2007-08	653	–	653
8.	2008-09	264	–	264
9.	2009-10	270	–	270

स्रोत : 1991 की जनगणना पर आधारित प्रक्षेपण ।

8.1C शौचालय–

वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय शौचालय युक्त करने के लिये 195 प्राथमिक 24 उच्च प्राथमिक कुल 219 शौचालयों की आवश्यकता है। अतः प्रा०वि० के लिये 195 तथा उच्च प्रा० के लिये 24 शौचालय निर्माण प्रस्तावित है, जिसका निर्माण निम्न वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है–

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
संख्या	119	50	50

8.1D हैण्डपम्प

यद्यपि उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कुल 819 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की गई है, अभी भी 309 विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इन विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति नहीं हो पाती है। अतः **309 हैण्डपम्प लगवाने का प्रस्ताव किया गया है।** इसका विकास खण्डवार विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है। आवश्यक 309 हैण्डपम्प निम्न वर्षों में लगवा दिये जाने का प्रस्ताव हैं–

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
संख्या	209	50	50

8.1E चहार दीवारी

विद्यालयों का सुन्दरीकरण बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करता है। विद्यालय की रखवाली तथा विद्यालय सामग्री की सुरक्षा हेतु चाहर दीवारी की नितान्त आवश्यकता है। चाहर दीवारी होने से विद्यालय भूमि का अतिक्रमण भी रूकता है। जनपद में लगभग 90 प्रतिशत विद्यालय चाहर दीवारी विहीन है। तालिका 2.9 के अनुसार कुल 1973 विद्यालयों के लिये चहार दीवारी की आवश्यकता है जिसके निमार्ण के लिए वर्षवार निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
संख्या	1000	500	473

चाहर दीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रू० 40000/- से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चाहर दीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

8.1F भवन मरम्मत

विद्यालय भवन का रख–रखाव ग्राम शिक्षा समिति के ऊपर निर्भर है साधन के अभाव के कारण ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय भवन मरम्मत तथा रख–रखाव में अपेक्षित सहायोग नहीं दे पा रही हैं। 10 वर्ष से पूर्व निर्मित विद्यालय भवनों के मरम्मत की आवश्यकता पड़ रही है। मरम्मत कार्य को 2 भागों में विभक्त करते हुए विद्यालयों को चिन्हांकित किया गया है। रूपया 20,000/- से 70,000/- तक की लागत से मरम्मत कार्य को दीर्घ मरम्मत में शामिल किया गया है। जिसका ब्लाकवार विवरण निम्न है–

Dropout rate

क्र. सं.	नाम विकास खण्ड	लघु मरम्मत		दीर्घ मरम्मत	
		प्रा. विद्यालय	उ..प्रा. विद्यालय	प्रा. विद्यालय	उ..प्रा. विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1	शंकरगढ़	14	4	10	3
2	जसरा	32	2	10	2
3	चाका	23	3	1	2
4	करछना	23	10	5	4
5	कौंधियारा	9	1	6	1
6	कोरांव	10	3	20	6
7	मेजा	15	4	10	2
8	उरूवा	4	-	1	1
9	माण्डा	12	3	8	2
10	कोड़िहार	4	1	4	1
11	सोरांव	34	2	10	2
12	होलागढ़	3	5	2	2
13	मंऊआइमा	5	-	-	-
14	बहरिया	10	2	5	1
15	फूलपुर	25	4	6	1
16	बहादुरपुर	4	3	-	-
17	हॅडिया	10	3	5	1
18	सैदाबाद	12	3	3	1
19	धनुपुर	12	4	4	-
20	प्रतापपुर	1	1	-	-
	योग ग्रामीण	262	58	110	32
21	नगर	20	6	-	-
	महायोग	282	64	110	32

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 282 प्राथमिक विद्यालय तथा 64 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू. 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 110 प्राथमिक विद्यालय तथा 32 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू. 70000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

इस प्रकार 346 लघु तथा 142 दीर्घ कुल 488 भवन मरम्मत का कार्य निम्न वर्षों में कराया जायेगा।

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04
लघु मरम्मत	200	100	46
दीर्घ मरम्मत	80	40	22

Dropout rate

8.2 अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र–

क्र.सं.	वर्ष	परिषदीय नामांकन			% ड्रापआउट	प्रभावी छात्र नामांकन (परिषदीय)			40:1 से शिक्षकों की आवश्यकता	स्वीकृत/पूर्तित पद	अतिरिक्त आवश्यकता		
		बालक	बालिका	योग	दर	बालक	बालिका	योग			शिक्षक	शिक्षामित्र	योग
1.	2001-02	213684	189183	402867	21.0	168810	149455	318265	7957	6872	543	542	1085
2.	2002-03	218577	193515	412092	17.5	180326	159651	339977	8499	7957	271	271	542
3.	2003-04	223582	197946	421528	14.0	192280	170233	362513	9063	8499	282	282	564
4.	2004-05	228702	202478	431180	10.5	204588	181217	385905	9648	9063	293	292	585
5.	2005-06	233939	207114	441053	7.0	217563	192616	410179	10254	9648	303	303	606
6.	2006-07	239396	211856	451252	3.5	230920	204441	435361	10884	10254	315	315	630
7.	2007-08	244775	216707	461482	0	244775	216707	461482	11537	10884	327	326	653
8.	2008-09	250380	221669	472049	0	250380	221669	472049	11801	11537	132	132	264
9.	2009-10	256113	226745	482858	0	256113	226745	482858	12071	11801	135	135	270

शिक्षकों की आवश्यकता

क्रमांक	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवश्यक शिक्षक	1:4 की दर से	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2001-02	366	100	2330	1724	606	1864	1390	474
2.	2002-03	466	100	2830	2330	500	2264	1864	400
3.	2003-04	566	100	3330	2830	500	2664	2264	400
4.	2004-05	666	100	3830	3330	500	3064	2664	400
5.	2005-06	766	100	4330	3830	500	3464	3064	400
6.	2006-07	890	95	4805	4330	495	3844	3464	380
7.	2007-08	990	0	4805	4805	0	3844	3844	0
8.	2008-09	990	0	4805	4805	0	3844	3844	0
9.	2009-10	990	0	4805	4805	0	3844	3844	0

8.3A विद्यालय की सुविधायें (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)–

सुन्दर और आकर्षक विद्यालय होने पर बच्चे उनकी ओर आकर्षित होते है जिससे विद्यालय में उनका धारण बढ़ता है। वर्तमान में जनपद में 1808 प्राथमिक 366 उच्च प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालय हैं, जिनके मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु 5000/- रूपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से विद्यालय मरम्मत और रख-रखाव का प्रस्ताव दिया गया है। आगामी वर्षों में निम्न विवरणानुसार विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी–

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
संख्या	2174	2340	2500	2660	2760	2884	2952	2952

8.3B विद्यालय विकास अनुदान–

विद्यालयों में होने वाले सामान्य व्यय जैसे चाक/डस्टर की व्यवस्था, स्टेशनरी विद्यालय अभिलेखों हेतु रजिस्टर तथा अन्य अल्प व्यय के लिये रूपया 2000/- प्रति विद्यालय की दर से नवीन प्राथमिक तथा 4000/-. की दर में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये धनराशि की मांग की गयी है। इस प्रकार वर्षवार दी जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है–

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रा.वि.	66	60	60	–	–	–
उ.प्रा.वि.	100	100	100	100	100	95

8.3C बालिका शिक्षा–

वर्ष 1991 की जनगणना के राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गई, जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है, जबकि जनपद इलाहाबाद की कुल साक्षरता 46.3 है जिसमें पुरुषों की साक्षरता 63.3 और महिलाओं की 26.8 प्रतिशत है। ग्रामीण तथा नगरीय साक्षरता प्रतिशत में भी पर्याप्त अन्तर है। ग्रामीण महिला साक्षरता जहां 15.0 प्रतिशत है वही नगरीय महिला साक्षतर 60.3 प्रतिशत है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदनुसार बालिका शिक्षा विकास के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये गये और जो अभी भी चल रहे हैं।

साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला वर्ग पुरुषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शतप्रशित करने के साथ-साथ सभी वर्ग की शतप्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी 100 प्रतिशत करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर आई हैं जिनके समाधान के लिये बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। इलाहाबाद जनपद में सत्र

2000-2001 में की गयी बाल गणना के अनुसार बालिकाओं के शत्प्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीतियां प्रस्तावित हैं।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

- **समूहों का निर्माण् एवं प्रशिक्षण**

  माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

  महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव /मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर सनुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन**
  - ♦ बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।
  - ♦ बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकें एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –
    - माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान
    - माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
    - माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने वैज प्रदान किये जायेगें।

- सत्र के मध्य एवं सत्रांन्त में अभिभावक सम्मेलन

  शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हे अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करे जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामाकंन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

  अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय नें लाने हेतु प्रयास किय जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

  ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगं उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां की

जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- **शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण**

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनानें हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

8.3.2. कार्यक्रम

- जनजागरण अभियान– जनपद इलाहाबाद में 6-14 वय वर्ग की 44075 बालिकायें हैं जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हैं इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जन जागरण अभियान चलाये जायेंगे। विशेष कर विकास खण्ड मऊ आइमा, फूलपुर, सैदाबाद, धनूपुर, ऐसे हैं जहाँ पर बालिकाएं घरों में बीड़ी बनाती हैं अथवा अल्पसंख्यक हैं और अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं। इनमें माह जुलाई से सितम्बर तक प्रति माह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा। इसके अंतर्गत प्रभात फेरियाँ, जुलूस तथा पोस्टर तथा नारों का लेखन, जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
- **बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रम**– समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगें।
- महिला प्रेरक समूहों, माता शिक्षक समूहों का गठन एवं प्रशिक्षण।

- जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण।

8.3.3 जनपद इलाहाबाद के 6-11 वय वर्ग की 26042 बालिकायें जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं तथा औपचारिक विद्यालयों में जाने की स्थिति में नहीं हैं उनके लिये 511 ई.जी.एस. केन्द्र खोला जायेगा।

8.3.4 11-14 वय वर्ग की ऐसी बालिकायें जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं परन्तु बालकों के साथ बैठकर उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके माता-पिता तैयार नहीं हो रहे हैं उनके लिये 95 ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किये जायेंगे।

- **बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीति**– जनपद के अत्यन्त पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों विकास खण्डों, न्याय पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

8.4 शिशु शिक्षाा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण–

जनपद इलाहाबाद में 3-6 वय वर्ग के बच्चों के लिये बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, ई.सी.सी.ई. तथा आई.सी.डी.एस. केन्द्र चल रहे हैं। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और इन्द्रियों के विकास के लिये शिक्षा दी जाती है इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगी बालिकाओं को मुक्त कर विद्यालय तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।
2. 3-6 आयु वर्ग के प्रथम पीढ़ी के बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना।
3. उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-रेख के लिये माताओं को योग्य बनाना। 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का चयन एवं उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवायें प्रदान करना।

इन केन्द्रों में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवाएं, महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा की जायेगी जबकि 3-6 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं सामाजिक बौद्धिक भावनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का कार्य किया जाता है। सामान्यतया इनमें 3-6 वर्ष के बच्चे 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलायें और किशोरियां लाभान्वित होती हैं।

प्रत्येक ई.सी.सी.ई. केन्द्र पर 0-6 वय वर्ग के 40 बच्चों का नामांकन किया जाता है। वर्तमान में जनपद इलाहाबाद में विकास खण्डवार केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है-

सारणी-8.3

क्र०	विकास खण्ड का नाम	आई.सी.डी.एस. केन्द्रों की संख्या	विकास खण्ड की 3-6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या
1.	चाका	94	3760
2.	बहादुरपुर	183	7320
3.	बहरिया	135	5400
4.	शंकरगढ़	100	4000
5.	माण्डा	19	760
6.	मेजा	91	3640
7.	जसरा	120	5200
8.	सोरांव	93	3720
9.	धनुपुर	84	33690
10.	प्रतापपुर	119	4760
11.	कौड़िहार	134	5360
12.	कोरांव	68	2720
	नगर क्षेत्र	182	7280

इस प्रकार वर्तमान में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों से 3-6 उम्र के समस्त बालक बालिकाओं को सेवित नही किया जा पा रहा है। ऐसी स्थिति में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों के आई. सी.डी.एस. एवं डूडा के साथ समन्वयन कर ई.सी.सी.ई. (केन्द्र संचालित) को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव दिया गया है।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर जमुनापार के विकास खण्डों में ई.सी.सी.ई.. केन्द्र चलाने से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के धारण में वृद्धि होगी तथा उन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चे सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु तैयार होंगे। इस प्रक्रिया से भविष्य में पुनः जनजागरण अभियानों की आवश्यकता नही होगी। अतः निम्नलिखित विकास खण्डों में जिन्हें ई.सी.सी.ई./आई.सी.डी.एस. की आवश्यकतानुसार चिन्हित किया गया है उनके लिये ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

सारिणी 8.4

शिशु शिक्षा केन्द्रो की आवश्यकता

क्र.	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित ई.सी.सी.ई. के प्रथम चरण
1	शंकरगढ़	11
2	जसरा	10
3	चाका	10
4	करछना	-
5	कौंधियारा	-
6	कोरांव	10
7	मेजा	8
8	उरूवा	-
9	माण्डा	6
10	कोड़िहार	6
11	सोरांव	7
12	होलागढ़	-
13	मंऊआइमा	-
14	बहरिया	8
15	फूलपुर	-
16	बहादुरपुर	7
17	हँडिया	-
18	सैदाबाद	-
19	धनुपुर	6
20	प्रतापपुर	7
	योग ग्रामीण	**96**
21	नगर	10
	महायोग	**106**

इन प्रस्तावित केन्द्रों के लिये आवश्यक सामग्री यथा खिलौने, रोचक चित्रयुक्त पुस्तके, स्लेट, पेन्सिल इत्यादि की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है, ऐसे प्रस्तावित 106 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों में कार्यरत कार्यकत्री को 1 वर्ष कि लिये शिक्षण सहायक सामग्री मद में अनुदान, अतिरिक्त मानदेय, कान्टीनजेन्सी तथा रिकरिंग अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी कार्यकत्रियों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा। 53 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का वर्ष 2001-02 तथा शेष 53 वर्ष 2002-03 में सुदृढ़ीकरण किये जाने का प्रस्ताव है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई.सी.डी.एस. के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अंतर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता गठित जिला परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

8.4B-1 माडल कलस्टर डेवेलपमेन्ट एपरोच–

प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित न्याय पंचायत को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। कलस्टर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें, ताकि इन न्याय पंचायत की

समस्त ग्राम सभाओं में 6-14 वय वर्ग की बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति स्वामित्व, उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविरों, किशोरी संघों के गठन लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि आयोजित होंगे। धीरे-धीरे माडल क्लस्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी। प्रत्येक वर्ष 26 क्लस्टर का चुनाव करके उनको माडल स्वरूप दिया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2008-09 तक सभी 208 संकुल को आच्छादितकर लिया जायेगा।

विशेष नामांकन अभियान–

चयनित क्लस्टर में पी.आर.ए. विधि से सूक्ष्म नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आकड़ों के आधार पर विशेष क्षेत्रों हेतु नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आयें और उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिये चिन्हित बच्चों के घर-घर तक पहुंचना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूहों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।

1. **मीना कम्पेन**– इसके माध्यम से प्रत्येक गांव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता-पिता तथा अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जायेगा।

2. **माँ-बेटी मेला आयोजन**– ग्राम स्तर पर माँ-बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा। जिसका उद्देश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने हेतु प्रेरित करना है।

3. **ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालायें / प्रशिक्षण**– प्रत्येक स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसके लिये माता-शिक्षक तथा शिक्षक-अभिभावक एशोसिएशन, ग्राम शिक्षा समिति, महिला प्रेरक समूह, ब्लाक तथा न्याय पंचायत केन्द्रों के समन्वयक के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। माडल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र सामुदायिक गतिविधियों के केन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किये जायेंगे।

4. **ग्राम शिक्षा समितियों/माता शिक्षक संघों / महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण**– बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, उनके नामांकन, विद्यालय में ठहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु बी.ई.सी., एम.टी.ए., डब्लू.एम.सी. को संवेदनशील बनाना,

विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर की गतिविधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस हेतु उ.प्र. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूषा प्रयोग किये जायेगे।

5. **सेवारत अध्यापक/बी.आर.सी., सी.आर.सी.समन्वयकों का प्रशिक्षण**– समस्त अध्यापकों एवं बी.आर.सी., सी.आर.सी. समन्वयकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं, गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

8.4B-2 ग्रीष्म-कालीन शिविर–

जनपद में बालिका नामांकन 91 प्रतिशत है और बालिकाओं के नामांकन , विद्यालय में बने रहने और गुणवत्तापूर्ण सम्प्राप्ति हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के माडल क्लस्टर अथवा अन्य क्षेत्रों की चयनित ग्राम सभाओं में 10 दिवसीय ग्रीष्म-कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है। इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रधान तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के सहयोग से बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इस तरह 208 न्याय पंचायत तथा नगर क्षेत्र के 20 वार्डों प्रति वर्ष 120 विद्यालयों में 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाये जायेगे। आगामी वर्षों में अन्य स्थानों में शिविर लगाकर इसका विस्तार किया जायेगा। शिविर के लिये मुस्कान पैकेज का प्रयोग किया जायेगा।

8.4.B-3 अन्य–

चयनित क्लस्टर में आवश्यकता के अनुसार बालिकाओं के लिये ब्रिजकोर्स, आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। ऐसे 18 कोर्स जमुना पार के 9 विकास खण्डों में प्रस्तावित है। इन शिविरों में 3 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को केन्ट्स कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा 8 की परीक्षा दिला कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

4.4B-4 उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये अन्य कार्यक्रम (कार्यानुभव)–

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैरपरम्परागत ट्रेड का चयन कर उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान

बनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तक कला, धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान, अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत श्रमजोपयोगी उत्पादक कार्य सम्बन्धी शिक्षा प्रस्तावित है। प्रत्येक वर्ष 74 उच्च प्राथमिक विद्यालय को इस हेतु चयनित किया जायेगा और इस प्रकार वर्ष 2008-09 तक समस्त 595 उच्च प्रा.विद्यालय में इसे लागू कर दिया जायेगा। जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के सामान्य ज्ञान देने हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें रोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाया जायेगा। वर्षवार आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है-

कार्यक्रम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
समर कैम्प	120	120	120	120	120	120	120	132
माडल क्लस्टर	26	26	26	26	26	26	26	26
समाजोपयोगी उत्पादक कार्य	74	74	74	74	74	74	74	77

8.5 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण-

आकर्षक एवं उपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का छात्र नामांकन तथा उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान छात्र संख्या तथा आगामी 10 वर्षों में अनुमानित उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन रत छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर सारणी 8.5 तथा 8.6 के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेंगी।

छात्र अधिगम का मूल्यांकन-

छात्रों के मूल्यांकन का अभिलेखन करने हेतु प्रत्येक छात्र के लिये छात्र प्रगति कार्ड की व्यवस्था की गई है। इससे छात्रों की प्रगति से अभिभावक अवगत हो सकेंगे और उनकी विद्यालय के प्रति सहभागिता बढ़ेगी साथ ही साथ छात्रों में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी।

क्रियात्मक शोध-

विद्यालयी समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाना अति आवश्यक है इससे वे स्वयं अपनी समस्याओं की पहचान कर सकेंगे और तद्नुसार उनके समाधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपना सकेंगे। इससे जहाँ एक ओर अध्यापकों की क्षमता का सम्वर्धन होगा वहीं दूसरी ओर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा इसके लिये आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

सारणी 8.5
छात्र संख्या अनु. जाति बालक तथा कुल बालिकाएँ

क्रमांक	वर्ष	6-11 वय वर्ग (प्राथमिक स्तर) कुल बालिका तथा अनु.जाति बालक	11-14 वय वर्ग (उच्च प्राथमिक स्तर) कुल बालिका तथा अनु.जाति बालक
1	2	3	4
1.	2001-02	165638	11402
2.	2002-03	169248	17203
3.	2003-04	172935	23231
4.	2004-05	176700	23695
5.	2005-06	180549	24169
6.	2006-07	188270	24653
7.	2007-08	188501	25146
8.	2008-09	192610	25645
9.	2009-10	196807	26162

सारणी 8.6

प्राथमिक स्तर

क्र० सं०	ब्लाक का नाम	कुल बालक बालिकायें तथा अनुसूचित जाति बालक वर्षवार																	
		2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010	
		कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के	कुल लड़कियाँ	अनु० लड़के
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	शंकरगढ़	7031	3851	7192	3939	7357	4029	7525	4121	7697	4215	7873	4312	8053	4411	8237	4512	8426	4615
2.	जसरा	6889	3014	7047	3083	7208	3154	7373	3226	7542	3300	7715	3376	7892	3453	8073	3532	8258	3613
3.	चाका	7986	3629	8169	3712	8356	3797	8547	3884	8743	3973	8943	4064	9148	4157	9357	4252	9571	4349
4.	करछना	10628	3814	10871	3901	11120	3990	11375	4081	11635	4174	11901	4270	12174	4368	12453	4468	12738	4570
5.	कौंधियारा	5112	2544	5229	2602	5349	2662	5471	2723	5596	2785	5724	2849	5855	2914	5989	2981	6126	3049
6.	कोरांव	12319	6606	12601	6757	12890	6912	13185	7070	13487	7232	13796	7398	14112	7567	14435	7740	14766	7917
7.	मेजा	6595	2546	6746	2604	6900	2664	7058	2725	7220	2787	7385	2851	7554	2916	7727	2983	7904	3051
8.	उरुवा	7754	2328	7932	2381	8114	2436	8300	2492	8490	2549	8684	2607	8883	2667	9086	2728	9294	2790
9.	माण्डा	9432	3509	9648	3589	9869	3671	10095	3755	10326	3841	10562	3929	10804	4019	11051	4111	11304	4205
10.	कोड़िहार	7941	3721	8123	3806	8309	3893	8499	3982	8694	4073	8893	4166	9097	4261	9305	4359	9518	4459
11.	सोरांव	8537	3313	8732	3389	8932	3467	9137	3546	9346	3627	9560	3710	9779	3795	10003	3882	10232	3971
12.	द्योलागढ़	9112	3673	9321	3757	9534	3843	9752	3931	9975	4021	10203	4113	10437	4207	10676	4303	10920	4402
13.	मऊआइमा	7549	3178	7722	3251	7899	3325	8080	3401	8265	3479	8454	3559	8648	3641	8846	3724	9049	3809
14.	बहरिया	10946	3495	11197	3575	11453	3657	11715	3741	11983	3827	12257	3915	12538	4005	12825	4097	13119	4191
15.	फूलपुर	9591	3878	9811	3967	10036	4058	10266	4151	10501	4246	10741	4343	10987	4442	11239	4544	11496	4648
16.	बहादुरपुर	16461	5434	16838	5558	17224	5685	17618	5815	18021	5948	18434	6084	18856	6223	19288	6366	19730	6512
17.	हंडिया	9537	3540	9730	3612	9927	3685	10128	3759	10333	3835	10542	3912	10755	3991	10972	4072	11194	4154
18.	सैदाबाद	11177	4430	11403	4519	11633	4610	11868	4703	12108	4798	12353	4895	12603	4994	12858	5095	13118	5198
19.	धनुपुर	8908	3492	9088	3563	9272	3635	9459	3708	9650	3783	9845	3859	10044	3937	10247	4017	10454	4098
20.	प्रतापपुर	10948	4487	11169	4578	11395	4670	11625	4764	11860	4860	12100	4958	12344	5058	12593	5160	12847	5264
	योग	110707	42641	113134	43575	115614	44528	118147	45501	120736	46497	123382	47514	126088	48554	128852	49619	131677	50706
21.	नगर क्षेत्र	9830	2480	10029	2510	10232	2561	10439	2613	10650	2666	10865	2720	11084	2775	11308	2831	11536	2888
	महायोग	120537	45101	123163	46085	125846	47089	128586	48114	131386	49163	134247	50234	137172	51329	140160	52450	143213	53594
	महायोग	165638		169248		172935		176700		180549		184481		188501		192610		196807	

8.6 समेकित एवं सम्मिलित शिक्षा (विकलांग बच्चों के लिये)–

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी 6-14 वय वर्ग के बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाये और इन्हें शिक्षा के लिये सभी अवसर सुलभ कराये जायें जो सामान्य बच्चों को प्राप्त होते हैं। जिससे वे शिक्षा की मुख्य धारा से अपने को वंचित न समझें। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनपद के विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1. परिषदीय विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ–साथ अल्प विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
2. लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा के अवसर को सुलभ कराना।
3. 6-14 वय वर्ग के बच्चों में आत्म सम्मान एवं विश्वास विकसित करने के लिये विद्यालयों में अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
4. समेकित शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले विकलांग बच्चों की शिक्षा के प्रति समुदाय में जन जागरण और संवेदनशीलता का विकास करना।
5. शिक्षा अभिकर्मियों को विकलांग बच्चों की शिक्षा देने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों का शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामाजिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रकिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल / फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जाता है।

8.6.2 **उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जनपद में अपनाई जाने वाली कार्यनीति इस प्रकार होगी–**

1. विकास खण्ड स्तर पर एक संदर्भ समूह तैयार किया जायेगा, जिन्हें विकलांग बच्चों की शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. इस संदर्भ समूह द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक और अध्यापकों को विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. ग्राम शिक्षा समिति व समुदाय के लोगों में इन बच्चों के प्रति संवेदनशीलता जागृत हो सके इसके लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें। सभी प्रकार के प्रशिक्षण में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिये एक माड्यूल जोड़ा जायेगा।
4. स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं, और समाज कल्याण संस्थाओं का सहयोग लेकर विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया जायेगा और निकटस्थ विद्यालयों में भर्ती कराया जायेगा।
5. विकलांग बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके इसके लिये उन्हें आवश्यक उपकरणों जैसे कैलीपर, सुनने की मशीन, चश्में तथा अत्यावश्यक वस्तुओं को डाक्टर की सलाह के अनुरूप निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
6. विकलांग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा तथा उन्हें स्वस्थता कार्ड दिये जायेगें।

सारणी 8.6.3
आवश्यक सहायता/ उपकरण

क्र०	सहायता का प्रकार	कोरांव	शंकरगढ़	मेजा	करछना	उरुवा
1.	क्रचेज	48	39	22	41	25
2.	(W/C & T/C)	55	49	69	44	25
3.	कैलिपर्स	84	122	56	91	28
4.	श्रवण यन्त्र	37	56	30	44	12
5.	ब्रेल	11	19	44	9	20
6.	विशिष्ट विद्यालय	84	55	23	15	24
7.	विशिष्ट शिक्षक	84	96	107	15	24
8.	संदर्भ शिक्षक	24	101	22	27	46

जनपद में कुल 2312 विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जिनमें 390 बच्चे विशिष्ट हैं जिनके लिये स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। उपर्युक्त विकास खण्डों में समेकित शिक्षा चलाने का प्रस्ताव है।

समेकित शिक्षा हेतु त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे, जिसके लिये विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

1. **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण**– इसमें जनपद स्तर पर प्रति ब्लाक 4 मास्टर ट्रेनर के हिसाब से ट्रेनर प्रशिक्षित किये जायेंगे, जिनका प्रशिक्षण विकलांग केन्द्र के विशेषज्ञ अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि तथा चक्रों का निर्धारण विकलांग केन्द्र के सुझाव के अनुसार किया जायेगा।

2. **ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण**– जनपद स्तर पर प्रशिक्षित चार मास्टर ट्रेनर द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। समेकित शिक्षा के अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित सहायक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. **सम्वेदन शीलता का प्रशिक्षण**– विकलांग बच्चों के प्रति सम्वेदनशीलता का विकास करने हेतु दो दिवसीय सम्वेदन शीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर पर चलाये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

8.7 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण–

प्रत्येक छात्र का वार्षिक प्रगति के साथ उनके स्वास्थ्य प्रगति संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जायेगी। स्वास्थ्य चेकअप कार्ड प्रत्येक विद्यालय में रखे जायेंगें। स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रति वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक दल द्वारा न्याय पंचायत स्तर के सभी बच्चों का परीक्षण कराने का प्रस्ताव है। इसी तरह नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण करने का कार्य वार्ड में स्थित कार्यालय में किया जायेगा। प्रतिवर्ष कम से कम 288 कैम्प की आवश्यकता पड़ेगी। विकास खण्ड वार छात्र नामांकन तालिका 2ए01 में दिया गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुये कैम्प की अवधि तथा आवृत्ति निर्धारण किया जायेगा। आवश्यक दवाईयाॅ स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कराई जायेगीं।

8.8 सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

जनपद इलाहाबाद में सन् 1993 से 2000 तक उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गयी। यह परियोजना 30 सितम्बर 2000 को समाप्त हो गई। परियोजना की उपलब्धियों को बनाये रखने और शैक्षिक सम्बर्धन कार्यक्रमों को गतिशीलता देने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण और साहसिक प्रयास है। अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसे बच्चे जो उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना से भी विद्यालयों में नहीं जुड़ पाये हैं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा जाना है। इस गुरुतर दायित्व को पूर्ण करने के लिये सामुदायिक सहभागिता की नितान्त आवश्यकता है। जब तक जनसमुदाय विद्यालय को नहीं अपनायेगा और इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करेगा तब तक सभी लक्ष्यगत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यन्त दुरुह कार्य होगा। अतः अभियान को मूर्त रूप देने के लिये सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रनों को चलाना अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य है। अभियान के प्रारंभिक चरण में उन बच्चों के चिन्हीकरण करने का कार्य किया गया जो अब जक विद्यालय में नामांकित नहीं हुए थे। इस हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया गया। इन्ही कार्यक्रमों को योजना अवधी में आवश्यकतानुसार बार–बार चलाया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के पशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किय जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

8.8.1 स्कूल चलो अभियान –

माह जुलाई 2000 में जिलाधिकारी, इलाहाबाद के संरक्षण में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत माह जुलाई में गांव स्तर, ब्लाक स्तर तथा जनपद स्तर पर बच्चों की रैलियां निकाली गयी, पोस्टर बैनर, नारे के द्वारा जन सम्पर्क अभियान चलाये गये। घर–घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान की गयी, जो विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं। इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य, राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज इत्यादि को जोड़ा गया और बच्चों का नामांकन कराया गया। आवश्यकतानुसार आगामी वर्षो में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से नामांकन वृद्धि की जायेगी।

Dropout rate

8.8.2 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण द्वारा आकड़ों का संकलन और विश्लेषण–

31 दिसम्बर, 2000 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, डॉ० मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद सहित जनपद के समस्त शिक्षा अधिकारियों, अभिकर्मियों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक जुट होकर 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन करने, उनको गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिये आह्वान किया गया।

माह जनवरी तथा फरवरी में पुनः ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक जन जागरण के लिये अन्य विभागों को साथ में लेकर मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन और जिलाधिकारी के संरक्षण में अभियान चलाया गया। इस अभियान को चलाने के लिये विकास खण्डवार अभिप्रेरक दल गठित किये गये जिसमें ब्लाक स्तर पर एक जोनल अधिकारी तथा प्रत्येक दो न्याय पंचायत स्तर पर एक नोडल अधिकारी और ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों को सदस्यों के रूप में रखा गया। दल के सभी सदस्यों का 5 जनवरी, 2001 को सीमैट द्वारा अभियान से जुड़े सभी अभिकर्मियों का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया है।तद्पश्चात इस दल ने जनजागरण अभियान प्रारम्भ किया जिसका विस्तृत विवरण नियोजन प्रक्रिया अध्याय 3 में दिया गया है।

परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर विकास खण्डवार योजनाबद्ध तरीके से वातावरण सृजन करने हेतु सभी विभागों के सहयोग से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन योजनाओं का अनुश्रवण और पुनरीक्षण का कार्य किया जायेगा।

8.8.3 वातावरण सृजन–

सभी लक्ष्यगत बच्चे विद्यालयों में नामांकित हों, उनकी नियमित उपस्थिति बनी रहे तथा उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिये सभी विकास खण्डों में ग्राम स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक शैक्षिक वातावरण सृजन की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है। यह कार्यक्रम प्रथम 3 वर्षों तक चलाये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सत्र में जुलाई से सितम्बर तक नामांकन हेतु जनजागरण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। तद्पश्चात समुदाय का विद्यालयी व्यवस्था में सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिये शिक्षक अभिभावक तथा माता अभिभावक एसोसिएशन, बाल सभा, कुमारी सभा, नुक्कड़ नाटक तथा विद्यालयों एवं संकुल केन्द्रों में साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

8.8.4 ग्राम शिक्षा समिति / नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण–

सामुदायिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को भली भांति समझें और उनका निर्वहन करें इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इनका अनुश्रवण विशेष रूप से माइक्रो प्लानिंग, पी.आर.ए. तथा सम्बन्धित सहभागी नियोजन की विधियों में बल दिया जायेगा। प्रशिक्षण का क्रियान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित है।

1. **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण**– यह प्रशिक्षण जनपद स्तर में डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रति विकास खण्ड चार सन्दर्भ दाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक बी.आर.सी. समन्वयक और तीन ब्लाक रिसोर्स समूह के सदस्य होंगे। डायट में यह प्रशिक्षण चालीस सन्दर्भदाता प्रति चक्र के हिसाब से दो चक्रों में चलाया जायेगा।

   नगर क्षेत्र के प्रति वार्ड एक सन्दर्भदाता के रूप में 80 सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण 2 चक्रों में पूर्ण किया जायेगा। नगर क्षेत्र के लिये वार्ड सदस्य को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार डायट पर चलने वाले इस प्रशिक्षण में 4 चक्र होंगे।

2. **सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण**– यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में बी.आर.सी. पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम प्रधानों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को दिया जायेगा। प्रति ब्लाक 30 प्रतिभागियों के हिसाब से 4 चक्रों में प्रशिक्षण पूरा किया जायेगा।

3. **ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण**– इनका प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर होगा जिसमें न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक तथा ग्राम प्रधान सन्दर्भदाता के रूप में कार्य करेंगे और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रत्येक चक्र में 20-25 सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जनपद में कुल 1378 ग्राम शिक्षा समितियों की कुल 11024 सदस्य वर्ष पूरी योजनाओं में 4 बार वर्ष 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2008-09 में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पांच वर्षों में 2 बार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित समन्वयक बी.आर.सी. द्वारा किया जायेगा।

अध्याय – 9
गुणवत्ता के लिए नियोजन

इलाहादाद जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापना वर्ष जून 2000 में हुई तथा इसके पूर्व डायट कौशाम्बी (अविभाजित जनपद इलाहाबाद का जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कौशाम्बी में संचालित था) के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 20 बी.आर.सी. तथा 208 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रियों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है – प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा शैक्षिक संप्राप्ति में गुणात्मक विकास करना । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। 1– सार्वभौमिक नामांकन, 2– सार्वभौमिक धारण, 3– गुणात्मक संप्राप्ति । प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । इस कार्य में डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डाएट पर है । इस दिशा में डाएट द्वारा बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत् प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं । प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियॉं, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत् व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है । प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डाएट, बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा किया जाता है।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी. आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्कताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद इलाहाबाद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 30 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यो का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद इलाहाबाद में डायट के नेतृत्व में 1378 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण

में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तथा बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कौशाम्बी (तत्कालीन) के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु–ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का

पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये गये हैं । समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं ।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रूचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो । शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष व्यवस्था की गयी थी।

शिक्षक की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है । बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सेवारत् शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं –

प्रथम चक्र

प्रथम चक्र में "प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य करें। डायट में यह प्रशिक्षण 15 दिनों का था। इस प्रशिक्षण के निम्नांकित उद्देश्य थे :

1. शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी प्राथमिक शिक्षकों को देना।
2. विद्यालय को आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सके।
3. स्कूली शिक्षा की तैयारी। नेतृत्व प्रशिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण की विधियां तथा रणनीति।
4. विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
5. स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सांमग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापकों के लिए 10 दिवसीय तथा सहायक अध्यापकों के लिए 8 दिवसीय था।

प्रथम चक्र में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रूचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

प्रशिक्षण के ***दूसरे चक्र*** में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा–शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया । भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का

विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के *तीसरे चक्र* के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया । प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग–1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यन से रोचक कहानियां एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया । यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के *चौथे चक्र* में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्यांकों को समझना, जोड़ने–घटाने, गुणा तथा भाग की मौलिक संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक दातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके। इस आशय से शिक्षकों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास

2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करनां।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय था।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय था

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद इलाहाबाद में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह–समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक–अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
   - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
   - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
   - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।

- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गईं। इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रहीं है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता हैं। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 40 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी हैं।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।

2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

शैक्षिक योग्यता :

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी – 1

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	4900	1431
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	198	06
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	840	35
4.	केवल इण्टर उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	41	.....
5.	स्नातक अप्रशिक्षित	27	.....
6.	(क) विज्ञान शिक्षक	156	331
	(ख) संस्कृत शिक्षक / उर्दू शिक्षक	470	366
7.	परास्नातक अप्रशिक्षित	.....	.....
8.	इन्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1913	318
9.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	1042	240
10.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	213	135

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 'स्नातक' तथा 'प्रशिक्षित' (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 22.57 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में हाईस्कूल / इण्टर एवं स्नातक अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों की संख्या 2.87 प्रतिशत है, जबकि इन्टर प्रशिक्षित 70.93 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षित 17.0 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 9.20 अध्यापक कार्यरत है। विगत कई वर्षों से बी.टी.सी प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है जबकि ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 73.79 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित है या तो इससे कम योग्यता के लोग कार्यरत है। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

जनपद में शिक्षण अनुभवों के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार –

सारणी 2

शिक्षण अनुभव	प्राथमिक विद्यालय में	उच्च प्राथमिक विद्यालय में
1. 5 वर्ष से कम	1470	208
2. 5 वर्ष से 10 वर्ष तक	592	213
3. 10 वर्ष से 15 वर्ष तक	213	149
4. 15 वर्ष से 20 वर्ष तक	233	223
5. 20 वर्ष से 25 वर्ष तक	330	185
6. 25 वर्ष से 30 वर्ष तक	1602	187
7. 30 वर्ष से अधिक	470	260

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ।

उपर्युक्त सारिणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे है वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके वितरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि अधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद इलाहाबाद में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षिकों परिषदीय संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है –

सारणी – 3

एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या	दो शिक्षक विद्यालयों की संख्या	तीन शिक्षक विद्यालयों की संख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की संख्या	पांच शिक्षक विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय 105	840	531	230	102
उच्च प्राथमिक 12	45	102	127	80

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 5.8 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभग 46.46 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत् है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.60 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया। जनपद में एस.सी.ई. आर.टी. द्वारा वर्ष 2000 में किये गये बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर जनपद की स्थिति इस प्रकार है–

सारणी 4 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
कक्षा 2	673	83.35	13.81	673	87.94	10.77
कक्षा 5	830	91.73	3.82	830	92.56	4.56

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी संख्या 4 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 83.35 प्रतिशत तथा मानक विचलन 13.81 है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 87.94 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.77 है। सारणी 1 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 91.73 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 3.82 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 92.56 प्रतिशत एवं मानक विचलन 4.56 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 5 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं / M	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	376	83.2	14.3	297	83.6	13.2
गणित		88.4	10.4		87.4	11.2

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी संख्या 5 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 83.2 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 88.4 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 88.4 प्रतिशत तथा गणित में 87.4 प्रतिशत है।

सारणी 5क : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं /	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	474	91.7	3.8	356	91.8	3.9
गणित		92.8	4.7		92.3	4.3

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5क प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 91.7 प्रतिशत जबकि गणित में 92.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 91.8 प्रतिशत तथा गणित में 92.3 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 5ख : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	255	84.3	13.7	418	82.8	13.9
गणित		88.2	10.7		88.1	11.1

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5ख दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 84.3 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 82.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 88.2 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.4 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 88.1 प्रतिशत एवं मानक विचलन 11.1 है।

सारणी 5ग : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि

कक्षाएं	भाषा			गणित		
	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	305	81.2	6.1	268	82.1	9.1
गणित		92.7	4.2		92.3	4.6

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5ग प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति की बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 81.2 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 82.1 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 92.7 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 92.3 प्रतिशत है।

सारणी 5घ : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	602	57.70	31.25	645	50.70	27.80	673	83.35	13.81
गणित	602	43.64	30.21	645	46.00	27.50	673	87.94	10.77

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5घ दर्शाती है कि कक्षा भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 83.35 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 50.70 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 57.70 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 87.94 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 43.64 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 46 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 6.से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 5च : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

	आधारभूत सर्वेक्षण			मध्यावधि सर्वेक्षण			अन्तिम मूल्यांकन		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
भाषा	745	40.6	12.36	614	44.04	8.64	830	91.73	3.82
गणित	745	32.13	12.62	614	33.90	10.93	830	92.56	4.56

सारणी 5च प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 40.6 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 44.04 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 91.73 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 32.13 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 33.90 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह

बढ़कर 92.56 प्रतिशत रही।

सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है। वर्गवार और लिंगवार भाषा और गणित की उपलब्धि भी लगभग समान है। 85 प्रतिशत बच्चे दक्षता को प्राप्त कर लिए है, .15 प्रतिशत बच्चे दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं।

'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष

ए स्टडी ऑफ क्लासरूम प्रोसेसेज, सीमेट, 1998–99 तथा 'क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्टडी, एस0सी0ई0आर0टी0 (2000) के आधार पर जनपद में निम्नांकित निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं–

1– सर्वेक्षण की तिथि को 95 प्रतिशत अध्यापक उपस्थित पाये गये। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षा एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते पाये गये। कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बालक पठन–पाठन कार्य में रूचि ले रहे थे। शिक्षक समय से उपस्थित पाये गये। कक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था में शिक्षक मेधावी छात्रों को पीछे और कमजोर छात्रों को आगे बैठाते है। विशेषकर बालिकाओं को आगें की पंक्ति में बैठाया जाता है।

2– इस व्यवस्था में कमजोर बच्चे लाभान्वित थे। शिक्षक कठिन शब्दों का निराकरण पूछकर श्यामपट्ट पर लिखता है। पठन–पाठन को समूह में बारी–बारी पढ़ाते हैं। मेधावी बच्चों के सहयोग से समूह में उच्चारण दोष का निराकरण करते हैं तथा शिक्षक स्वयं भी उच्चारण करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रखते हैं। प्रश्नोत्तर एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बाजार से बनी हुई सामग्री का प्रयोग हो रहा है। कुशल अध्यापक ही केवल स्व निर्मित सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के अध्यापक शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

'ए स्टडी आफ क्लास रूम प्रोसेस सीमेट,1998–99 तथा **'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी'**, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 (2000) अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं–

1. सेवापूर्व एवं सेवारत् दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों में क्लास रूम प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट की जानी चाहिये।
2. शिक्षकों के विषय ज्ञान का विस्तार ही काफी नहीं है बल्कि शैक्षिक सत्र के आरम्भ में ही शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकों एवं आधुनिक सूचना तकनीकों से अवगत कराया जाना चाहिये।
3. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को बी0आर0सी0 स्तर पर सूचना तकनीक के उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
4. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू करने के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की

डिजाइनिंग के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाय। परीक्षणों को विश्वसनीय बनाने के लिये निर्धारित विधियों की जानकारी शिक्षकों को दिया जाना चाहिये।

5. क्लासरूम की प्रकिया में सुधार लाने के लिये शिक्षकों की बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उन्हें एक्शन रिसर्च की रणनीति बनाने हेतु जानकारी देना आवश्यक है।

6. शिक्षकों एवं बच्चों को सकियता प्रदान करने के उद्देश्य से डायट,एन0जी0ओ0 और शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक शिक्षण सामग्री एवं अनुपूरक साहित्य का विकास किया जाना चाहिये।

7. विद्यालयों के सामाजिक रूप से अपवंचित एवं अकादमिक रूप से पिछड़े हुये बच्चों की देखभाल करने के लिये बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है।

8. शिक्षकों एवं बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने एवं पाठ्य सहगामी कियाओं को प्रोत्साहित करने के लिये विद्यालय स्तर पर गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

9. विद्यालय के अकादमिक, सामाजिक व अन्य परिणामों को जानने के लिये हर दूसरेवर्ष मूल्यांकन करके अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरस्कार एवं अन्य प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके लिये जिला स्तर के प्राधिकारी के सहयोग से डायट स्तर पर योजना निर्माण की आवश्यकता है।

10. शिक्षण में प्रयोग हेतु, सहायक सामग्री के निर्माण एवं अन्य दृश्य–श्रव्य उपकरणों के प्रयोग बढ़ावा देने के लिये एन0पी0आर0सी0 स्तर पर उचित निर्देश दिया जाना चाहिये। इस प्रकार शिक्षण में सुधार लाने वाले शिक्षकों की पहचान करके उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे हैं और बालश्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते है। जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते है। जनपद के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बच्चे कठिन स्थितियों में बालश्रमिक के रूप में कर्म करते हैं अथवा मातापिता के साथ 'खदानों' के आसपास रहते हैं। पत्थर खदानों के पास स्थित बच्चों तथा बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों

की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से **शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं** ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद इलाहाबाद में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय **वीजनिंग कार्यशालाओं** का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के

लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चां की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण लक्ष्य कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षानिकों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये **वर्ष** के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 96.20 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी. आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 103.81 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 107.7 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाए

आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 111.55 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 115.65 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षो से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के

विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 21 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 21 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रातेभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर. सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन. पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त **उच्च प्राथमिक कक्षाओं** के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी. ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी अयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण**– जनपद के 1566 शिक्षामित्रों तथा 511 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा** – जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 98 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण** – पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 106 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

   ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की

क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशेधित परिवर्द्रित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने

के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. **एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –**
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी.एम. के आदेश पर 12 दिन का शीतावकाश के लिए बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 177 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी – 6

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
परीक्षा	08 छमाही सालाना परीक्षा	12
अन्य कार्य	15	05
नष्ट हो जाने वाले दिन	12 डी.एम. के विशेष आदेश पर	12
समुदाय से सम्पर्क	08	08
शिक्षक दिवस	177	183

स्रोत – डायट, इलाहाबाद

सारणी – 7

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन 6 घण्टे	6 वादन/4 घण्टे 30 मिनट
भाषा–2 अंग्रेजी	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	6 वादन/4 घं. 30 मि.
भाषा–3 संस्कृत	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	4 वादन/3 घं.
विज्ञान	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
गणित	9 वादन / 6 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
सामाजिक विषय	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
समाजपयोगी कार्य	3 वादन / 2 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
कला शिक्षण	5 वादन / 3 धण्टे 20 मि.	8 वादन/6 धं.

स्रोत – डायट, इलाहाबाद

उपर्युक्त सारिणी–6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 177 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 183 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.77 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 265.56 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 1.70 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 12000 बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 5.70 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7— गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी. , एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण,

ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संदर्भ समूह संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ योग्य शिक्षक आदि सदस्य है अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के लिए आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में एन.पी.आर.सी. स्तर पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल

अध्यापकों की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी. बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर. सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वय अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

आँकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक

विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर कि जाये तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर कि जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर होगी। साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी। एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के **प्रशिक्षण/कार्यशाला** तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	

	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएं	07 दिन
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटीरियल का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन

प्रशिक्षण कार्यशाला

27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेंगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यो का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

वर्ष 1994–95 में जनपद इलाहाबाद के 20 विकासखण्डों में एक–एक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीन वर्षो के लिये प्रायोगिक तौर पर 'बालिकाओं के लिये कार्यानुभव' कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें स्थानीय कला /कौशल आधारित प्रशिक्षण बालिकाओं को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि कलारूपों का प्रशिक्षण दिया गया। इस परियोजना का बालिकाओं के नामांकन और ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होगें। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री– उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरांत अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमो का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि को उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण

भवन का विस्तार

		अनुमानित लागत (रू०लाख में)
1.	कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2.	एक सभाकक्ष का निर्माण	8.00
3.	एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण	2.00
	योग	**50.00 लाख**

उपकरण / साज सज्जा

1.	कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर्स, यू.पी.एस.	6.00
2.	फोटोकापियर	1.50
3.	पुस्तकालय हेतु पुस्तकें,रैक, कुर्सी–मेज	1.00
4.	जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग मशीन, फैक्स मशीन	1.50
	योग	**10.00 लाख**

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

1.	क्रियात्मक शोध / अध्ययन	2.00
2.	कार्यशालाएं / सेमीनार	2.00
3.	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4.	कंटिन्जेसी	1.00
5.	वाहन रख–रखाव / पी.ओ.एल.	0.50
	योग	**10.00 लाख**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जबावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

निर्णयकर्ता समितियां	सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी० →	राज्य परियोजना कार्यालय	← एस०सी०ई०आर०टी० एस०आई०ई०, साईमेट एस०आई०ई०टी० एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
जिला शिक्षा परियोजना समिति →	जिला परियोजना कार्यालय	← डायट, एन०जी०ओ० आदि
↓	↓	↓
क्षेत्र विकास समिति →	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	← ब्लाक संसाधन केन्द्र
↓	↓	↓
ग्राम शिक्षा समिति →	विद्यालयप्रधानाध्यापक / अध्यापक	← संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया।जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जायें लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोंपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियें के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भॉति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगी। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भुमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण मे सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों में समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड़ के अर्न्तगत स्कूल में बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना.

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्वय की तरह करेगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेगें।

3. **ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)**

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अर्न्तगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नही हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ठ होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडें का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगाः-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठयपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक सें की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को वढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानें तथा अल्पकालिक शोध कार्यो के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एव उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षो की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यो में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती हैं, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

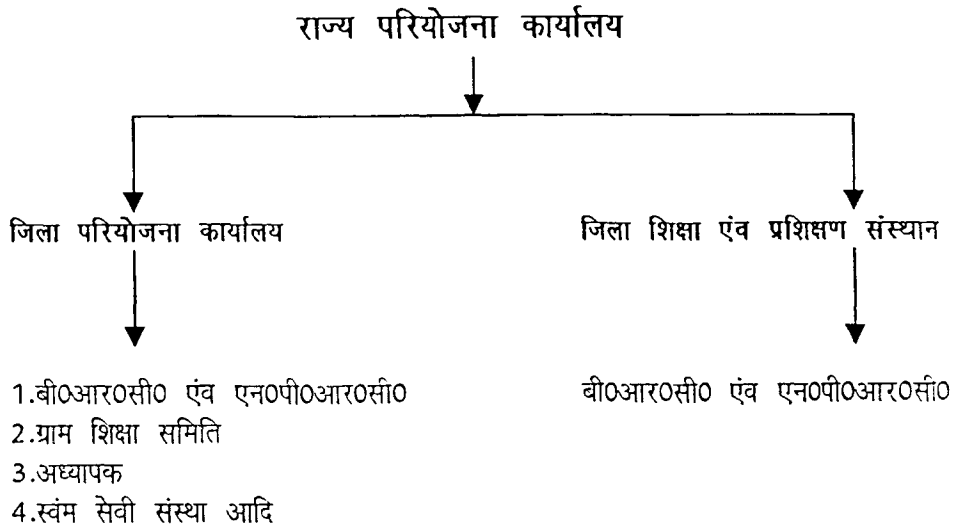

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

केया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS																					
A1	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	66	17094	60	15540	60	15540													186	48174
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	100	33800	100	33800	100	33800	100	33800	100	33800	95	32110							595	201110
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2	66	7286	126	13910	186	20534	186	20534	186	20534	186	20534	186	20534	186	20534	186	20534	1494	164934
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	400	16800	800	67200	1200	100800	1600	134400	2000	168000	2380	199920	2380	199920	2380	199920	2380	199920	15520	1286880
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	100	9000	200	18000	300	27000	400	36000	500	45000	595	53550	595	53550	595	53550	595	53550	3880	349200
5	Furniture / Fixture & Equipment																					
	PS	15	66	990	60	900	60	900													186	2790
	UPS	50	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	100	5000	95	4750							595	29750
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1800
	Cohart Study	200			1	200					1	200					1	200			3	600
	Total		899	90170	1448	154750	2007	203774	2387	229934	2888	272734	3352	311064	3162	274204	3163	274404	3162	274204	22468	2085238
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10																			0	0
	Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Interventions for out of school children																					
A3	Alternative School (EGS + AIE)																					
	EGS																					
	Residential School for Girls																					
	Civil Work + Furniture	392			2	784															2	784
	Salary	30			12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	12	360	96	2880
	TLM	275			1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	1	275	8	2200
	Contingency	20			1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	8	160

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	6000	4230	12000	8460	15330	10808	15330	10808	15330	10808	15330	10808	15330	10808	15330	10808	15330	10808	125310	88346
	Upper Primary	1.0 per child	1800	1269	2940	2073	2940	2073	2940	2073	2940	2073	2940	2073	2940	2073	2940	2073	2940	2073	25320	17853
	Total		**7800**	**5499**	**14956**	**11972**	**18284**	**13536**	**18284**	**13536**	**18284**	**13536**	**18284**	**13536**	**18284**	**13536**	**18284**	**13536**	**18284**	**13536**	**150744**	**112223**
A4	Back to school campaign	1.5 per child	2000	3000	1200	1800	560	840													3760	5640
	Innovation of EGS	50			1	50															1	50
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	240	360	240	360	240	360													720	1080
	Updation of Microplanning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa																				0	0
	SubTotal (A)		**10940**	**99079**	**17846**	**168982**	**21092**	**218560**	**20672**	**243520**	**21173**	**286320**	**21637**	**324650**	**21447**	**287790**	**21448**	**287990**	**21447**	**287790**	**177702**	**2204681**
(R)	**RETENTION**																					
	Additional Classrooms																				0	0
	Additional Class Rooms Primary School	70	1325	92750	422	29540	444	31080	585	40950	606	42420	630	44100	653	45710	264	18480			4929	345030
	Additional Class Room Upper Primary School	70	474	33180	400	28000	400	28000	400	28000	400	28000	380	26600							2454	171780
R1	Toilets (PS + UPS)	10	119	1190	50	500	50	500													219	2190
	Rec of Old PS	191	15	3885																	15	3885
	Rec of Old UPS	270	10	3380																	10	3380
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	209	3762	50	900	50	900													309	5562
	Repairs (PS+UPS)																					
	Minor	20			282	5640	64	1280													346	6920
	Major	70			110	7700	32	2240													142	9940

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	2174	10870	2340	11700	2500	12500	2660	13300	2760	13800	2860	14300	2955	14775	2955	14775			21204	106020
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	1000	40000	500	20000	473	18920													1973	78920
R4	Salary of Additional Teachers PS	5.5	543	17919	814	53724	1086	71676	1389	91674	1692	111672	2007	132462	2334	154044	2466	162756	2601	171666	14932	967593
	Salary of Shiksha Mitra PS	2.25	542	7317	813	20122	1095	27101	1387	34328	1690	41828	2005	49624	2331	57692	2463	60959	2598	64301	14924	363272
R6	School Improvement Grant (PS)	2	66	132	126	252	186	372	186	372	186	372	186	372	186	372	186	372	186	372	1494	2988
	School Improvement Grant (UPS)	2	100	200	200	400	300	600	400	800	500	1000	595	1190	595	1190	595	1190	595	1190	3880	7760
	Promoting Girls Education																					
	Summer Camps	10 per camp	120	1200	120	1200	100	1000	100	100	60	600	30	300							530	4400
R6	MCDA including	75 per cluster	26	1950	26	1950	20	1500	20	1500	15	1125	15	1125	10	750					132	9900
	Gender Sensitization																					
R7	SUPW for girls	25 per school	74	1850	74	1850	74	1850	74	1850	74	1850	74	1850	74	1850	74	1850	74	1850	666	16650
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre																			0	0
1	Strengthening ICDs Centres																					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district																			0	0
4	Civil Works (one additional room)	70																			0	0
5	TLM	5 per centre	53	265	53	265															106	530
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	53	239	106	477	106	477	106	477	106	477	104	477	106	477	106	477	106	477	899	4055
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	53	80	106	159	106	159	106	159	106	159	106	159	106	159	106	159	106	159	901	1352

146

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)																					
	Induction	3	53	159	53	159															106	318
	Recurring	1.2			53	64	106	127			106	127			106	127			106	127	477	572
R10	Community Mobolisation																					
1	MTA/PTA training	0 007	11024	154			11024	154			11024	154			11024	154			11024	154	55120	770
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	208	1664	208	1664	208	1664													624	4992
3	Development of Awareness Material	5 per block	20	100	20	100	20	100													60	300
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	1872	9360
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10					1	10					1	10					3	30
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10			1	10					1	10							3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district																			0	0
R11	Award of Best VEC (2 No)	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	27	135
R12a	Award to Best BRC	10 per Bl.	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	20	140	20	140	20	140	20	140	20	140	20	140	20	140	20	140	20	140	180	1260
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	180	900
	Special Invention for SC/ST Children	10	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	1872	18720
R13	Remedial Teaching of SC/ST Education	0.705 per child																			0	0

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child																			0	0
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1852	2222	1886	2263	1920	2304	1920	2304	1920	2304	1920	2304	1920	2304	1920	2304	1920	2304	17178	20613
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)	390	468	390	468	390	468	390	468	390	468	390	468	390	468	390	468	390	468	3510	4212
R16	Computer Education for UPS composite school	100	100	10000	100	10000	100	10000	100	10000	100	10000	95	9500							595	59500
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	2174	1087	2340	1170	2500	1250	2660	1330	2760	1380	2860	1430	2955	1478	2955	1478	2955	1478	24159	12081
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school	2174	10870	2340	11700	2500	12500	2660	13300	2760	13800	2860	14300	2955	14775	2955	14775	2955	14775	24159	120795
	Sub Total (B)		**25414**	**250323**	**14443**	**215377**	**26316**	**232142**	**15605**	**244332**	**27716**	**274946**	**17579**	**303981**	**29162**	**299745**	**17896**	**283453**	**26077**	**262731**	**200208**	**2367030**
	(Q) Quality Improvement																					
Q1	Training Programmes																					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	542	1138	271	569	282	592	292	613	303	363	315	662	326	685	132	277	135	284	2598	5183
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	543	228	271	114	282	118	293	123	303	127	315	132	327	137	132	55	135	57	2601	1091
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	66	28	60	25	60	25													186	78
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	100	42	100	42	100	42	100	42	100	42	95	40							595	250
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	6872	4810	7230	5061	7515	5261	7804	5463	8107	5675	8422	5895	8748	6123	8580	6216	9015	6310	72293	50814

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
6	Inservice Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day																			0	0
7	Induction Training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	200	420	200	420	111	233	111	233											622	1306
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day																			0	0
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day			200	210	400	420	511	536	622	653									1733	1819
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	60	84																	60	84
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	208	146																	208	146
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day			40	14			40	14			40	14			40	14			160	56
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day			208	73			208	73			208	73			208	73			832	292
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	80	112					80	112											160	224
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day																			0	0
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	228	80					228	80											456	160

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	30	11					30	11											60	22
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	20	7																	20	7
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	150	4500	200	6000	200	6000	200	6000	317	9510	388	11640	437	13110	300	9000	300	9000	2492	74760
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day			11024	992	11024	992			11024	992					11024	992			44096	3968
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	1	70																	1	70
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	3590	1257	1831	641	484	169	507	177	5964	2087	457	160	350	123	157	55	6928	2425	20268	7094
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	84	294	84	294	84	294													252	882
24	Training on EMIS by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	42	105			42	105			42	105			42	105					168	420
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day																			0	0
	Total		12816	13332	21719	14455	20584	14251	10404	13477	26782	19554	10240	18616	10230	20283	20573	16682	16513	18076	149861	148726
Q2	Teaching Learning Material																					
1	Teacher Grant (PT + SM)	0.5	6757	3379	8499	4250	9063	4532	9648	4824	10254	5127	10884	5442	11537	5769	11801	5900	12071	6036	90514	45259
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	2330	1165	2830	1415	3330	1665	3830	1915	4330	2165	4805	2403	4805	2403	4805	2403	4805	2403	35870	17937

150

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
3	Free Text Book to SC/ST children & Girls (PS+UPS)	0.150 per child per year	177040	26556	186451	27968	196166	29425	200395	30059	204718	30708	206223	30933	213647	32047	218255	32738	222969	33445	1825864	273879
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1808	904	1874	937	1934	967	1994	997	1994	997	1994	997	1994	997	1994	997	1994	997	17580	8790
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	366	366	466	466	566	566	666	666	766	766	866	866	961	961	961	961	961	961	6579	6579
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000					1	1000					1	1000					3	3000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	9	1440
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10	1	10													3	30
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400							1	400							1	400	3	1200
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400							1	400							1	400	3	1200
12	School Awards	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Total		188308	34525	200124	35391	211063	37510	216537	39806	222067	40908	224775	40986	232948	43522	237819	43344	242805	44987	1976446	360979
	Subtotal (C)		201124	47857	221843	49846	231647	51761	226941	53283	248849	60462	235015	59602	243178	63805	258392	60026	259318	63063	2126307	509705
C1	DIET																					
	Civil Work	5000			1	5000															1	5000
1	Furniture	50	1	50																	1	50
2	Equipments (including Audio Visual)	400			1	400															1	400
3	Computers Work Station	600			1	600															1	600

151

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
4	Vehicle (where applicable)	350	1	350																	1	350
5	Hiring	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
6	POL	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
7	Maintenance of Vehicle	20			1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	8	160
8	Research/Action Research	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
	Seminars	200	1	100	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	9	1700
9	Faculty Development	30	7	210	7	210	7	210	7	210	7	210	7	210	7	210	7	210	7	210	63	1890
	Publication	400			1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	1	400	8	3200
10	Exposure visits	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
11	Library	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
12	Salary of Computer Operator	7	12	42	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	12	84	108	714
13	Salary of Driver (where applicable)	4																			0	0
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Contingency	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	900
	Total		29	1072	32	7334	29	1334	29	1334	29	1334	29	1334	29	1334	29	1334	29	1334	264	17744
C2	Block Resource Centre																					
1	Civil Construction	800																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Asstt. Coordinator	5.5x1	20	660	20	1320	20	1320	20	1320	20	1320	20	1320	20	1320	20	1320	20	1320	180	11220
4	Chowkidar	3																			0	0
5	Equipment/Furniture	100	20	2000	20	2000	20	2000	20	2000	20	2000	20	2000	20	2000	20	2000	20	2000	180	18000
6	Travelling Allowance	5	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	180	900
7	Maint of Equipment	1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	180	180
8	Maint of building	6	20	120	20	120	20	120	20	120	20	120	20	120	20	120	20	120	20	120	180	1080
9	Books	10	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	20	200	180	1800

152

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	2174	652	2340	702	2500	750	2660	798	2760	828	2860	858	2955	887	2955	887	2955	887	24159	7249
11	Consumables	5	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	20	100	180	900
12	Contingency	12	20	240	20	240	20	240	20	240	20	240	20	240	20	240	20	240	20	240	180	2160
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	208	749	208	749	208	749	208	749	208	749	208	749	208	749	208	749	208	749	1872	6741
	Total		2542	4841	2708	5551	2868	5599	3028	5647	3128	5677	3228	5707	3323	5736	3323	5736	3323	5736	27471	50230
C3	School Complex (NPRC)																					
1	Construction	200																			0	0
2	Salary Coordinator	6.5																			0	0
3	Equipment/Furniture	10	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	208	2080	1872	18720
4	Books for Library/Book Bank	5	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	208	1040	1872	9360
5	Contingency	2.5	208	520	208	520	208	520	208	520	208	520	208	520	208	520	208	520	208	520	1872	4680
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	2496	499	2496	499	2496	499	2496	499	2496	499	2496	499	2496	499	2496	499	2496	499	22464	4491
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	2174	435	2340	468	2500	500	2660	532	2760	552	2860	572	2955	591	2955	591	2955	591	24159	4832
	Total		5294	4574	5460	4607	5620	4639	5780	4671	5880	4691	5980	4711	6075	4730	6075	4730	6075	4730	52239	42083

153

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4	District Project Office																					
	Staffing Coordinators4																					
	Consultants2																					
	AAO																					
	Driver1																					
	(if vehicle is purchases)	71x12	1	426	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	1	852	9	7242
	~~Equipment~~ Furniture	50	1	50																	1	50
	Equipment	50	1	50																	1	50
	Books	10	1	10																	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350																			0	0
	Motorcycle	50	24	1200																	24	1200
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	9	225
	Telephone/fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	9	270
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	9	450
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	20	1440	20	1440	20	1440	20	1440											80	5760
	POL for Motor Cycle	12x4			1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	8	384
	Maintenance of Equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	9	45
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	2174	344	2340	370	2500	395	2660	420	2760	436	2860	452	2955	467	2955	467	2955	467	24159	3818
	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	9	90
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	2174	652	2340	702	2500	750	2660	798	2700	810	2860	858	2955	887	2955	887	2955	887	24099	7231
	Total		4403	4322	4709	3562	5029	3635	5349	3708	5469	2296	5729	2360	5919	2404	5919	2404	5919	2404	48445	27095

154

PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		Total	
			Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
C4 1	MIS																					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50																	1	50
	Salary of MIS Officer	10	1	60	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	1	120	9	1020
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p m. ×12	1	126	1	252	1	252	1	252	1	252	1	252	1	252	1	252	1	252	9	2142
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460																	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
5	Maintenance of Equipments & Consumables	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	9	180
																					0	0
	Total		6	736	4	412	4	412	4	412	4	412	4	412	4	412	4	412	4	412	38	4032
	Sub Total (D)		12274	15545	12913	21466	13550	15619	14190	15772	14510	14410	14970	14524	15350	14616	15350	14616	15350	14616	128457	141184
	Grand Total		249752	412804	267045	455671	292605	518082	277408	556907	312248	636138	289201	702757	309137	665956	313086	646085	322192	628200	2632674	5222600

Note : Salaries in the First Year will be Provided for Six Months.

155

31.7.2001

SUMMARY OF PROJECT COST - I
ALLAHABAD

(Rs. in Thousands)

YEAR	CIVIL WORK	MANAGEMENT COST	PROGRAMME	TOTAL COST
2001-2002				
Amount	238641	5058	169105	412804.00
2002-2003				
Amount	151420	3974	300277	455671.00
2003-2004				
Amount	134720	4047	379315	518082.00
2004-2005				
Amount	102750	4120	450037	556907.00
2005-2006				
Amount	104220	2708	529210	636138.00
2006-2007				
Amount	102810	2772	597175	702757.00
2007-2008				
Amount	45710	2816	617430	665956.00
2008-2009				
Amount	18480	2816	624789	646085.00
2009-2010				
Amount	0	2816	625384	628200.00
TOTAL	**898751**	**31127**	**4292722**	**5222600.00**
As % of Total Cost	**17.21**	**0.60**	**82.20**	**100.00**

31.7.2001

SUMMARY OF PROJECT COST - II
ALLAHABAD

(Amount in Thousands)

YEAR	ACCESS	RETENTION	QUALITY	CAP. BUILDING	TOTAL COST
2001-2002					
Amount	99079.00	250323.00	47857.00	15545.00	412804.00
As % of Total Project Cost	24.00	60.64	11.59	3.77	100.00
2002-2003					
Amount	168982.00	215377.00	49846.00	21466.00	455671.00
As % of Total Project Cost	37.08	47.27	10.94	4.71	100.00
2003-2004					
Amount	218560.00	232142.00	51761.00	15619.00	518082.00
As % of Total Project Cost	42.19	44.81	9.99	3.01	100.00
2004-2005					
Amount	243520.00	244332.00	53283.00	15772.00	556907.00
As % of Total Project Cost	43.73	43.87	9.57	2.83	100.00
2005-2006					
Amount	286320.00	274946.00	60462.00	14410.00	636138.00
As % of Total Project Cost	45.01	43.22	9.50	2.27	100.00
2006-2007					
Amount	324650.00	303981.00	59602.00	14524.00	702757.00
As % of Total Project Cost	46.20	43.26	8.48	2.07	100.00
2007-2008					
Amount	287790.00	299745.00	63805.00	14616.00	665956.00
As % of Total Project Cost	43.21	45.01	9.58	2.19	100.00
2008-2009					
Amount	287990.00	283453.00	60026.00	14616.00	646085.00
As % of Total Project Cost	44.57	43.87	9.29	2.26	100.00
2009-2010					
Amount	287790.00	262731.00	63063.00	14616.00	628200.00
As % of Total Project Cost	45.81	41.82	10.04	2.33	100.00
GRAND TOTAL	2204681.00	2367030.00	509705.00	141184.00	5222600.00
As % of Total Cost	42.21	45.32	9.76	2.70	100.00

अध्याय-12

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 **(Rs. In Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
(A)	ACCESS					
A1.	New Primary SchoolsUnserved	259 (191+10+18+40)	66	17094	66	17094
1	New Upper Primary Schools	338 (270+10+18+40)	100	33800	100	33800
2	Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2	9.2	66	7286	66	7286
3	Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school	7	400	16800	400	16800
4	HT of New UPS 1 HT/UPS	7.5×12	100	9000	100	9000
5	Furniture / Fixture & Equipment					
	PS	15	66	990	66	990
	UPS	50	100	5000	100	5000
	Assessment of New UPS	200	1	200	1	200
	Cohart Study	200				
	Total		**899**	**90170**	**899**	**90170**
A2	Upgradatgion of Egs (TLE) to PS	10				
	Total					
	Interventions for out of school children					
A3	Alternative School (EGS + AIE)					
	EGS					
	Residential School for Girls					
	Civil Work + Furniture	392				
	Salary	30				
	TLM	275				
	Contingency	20				
	Primary including all models of DPEP	0.705 per child	6000	4230	6000	4230
	Upper Primary	1.0 per child	1800	1269	1800	1269
	Total		**7800**	**5499**	**7800**	**5499**

158-159

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
A4	Back to school campaign	1.5 per child	2000	3000	1000	1500
	Innovation of EGS	50				
A5	Bridge/Remedial courses	1.5 per child	240	360	120	180
	Updation of Microplanning Data	50	1	50	1	25
A6	Strengthening Maqtab/Madarsa					
	SubTotal (A)		**10940**	**99079**	**9820**	**97374**
(R)	**RETENTION**					
	Additional Classrooms					
	Additional Class Rooms Primary School	70	1325	92750	1325	92750
	Additional Class Room Upper Primary School	70	474	33180	474	33180
R1	Toilets (PS + UPS)	10	119	1190	119	1190
	Rec. of Old PS	191	15	3885	15	3885
	Rec. of Old UPS	270	10	3380	10	3380
R2	Drinking Water (PS + UPS)	18	209	3762	209	3762
	Repairs (PS+UPS)					
	Minor	20				
	Major	70				
R3	Repair and Maintenance of School	5PA/per schools	2174	10870	2174	10870
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School	40	1000	40000	1000	40000
R4	Salary of Additional Teachers PS	5.5	543	17919	543	17919
	Salary of Shiksha Mitra PS	2.25	542	7317	542	7317
R6	School Improvement Grant (PS)	2	66	132	66	132
	School Improvement Grant (UPS)	2	100	200	100	200
	Promoting Girls Education					
	Summer Camps	10 per camp	120	1200	60	600
R6	MCDA including	75 per cluster	26	1950	13	975
	Gender Sensitization					

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
R7	SUPW for Girls	25 per school	74	1850	37	925
R9	Opening of ECCE centre in nonICDs block	18 per centre				
1	Strengthening ICDs Centres					
2	Development & Distribution of ECCE Materials	100 per district				
4	Civil Works (one additional room)	70				
5	TLM	5 per centre	53	265	53	265
6	Additional Honoranum (InstructorWorker)	0.375 per centre	53	239	53	239
7	Contingency/Recurrent grant	1.5 per centre	53	80	53	80
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)					
	Induction	3	53	159	53	159
	Recurring	1.2				
R10	Community Mobolisation					
1	MTA/PTA training	0.007	11024	154	11024	154
2	Kala Jatha (VEC, Blick Level & Dist. Level)	8 per NPRC	208	1664	104	832
3	Development of Awareness Material	5 per block	20	100	10	50
4	Bal Mela at NPRC	5 pa/per NPRC	208	1040	104	520
5	Production of Audio Tapes	10 per district	1	10	1	5
6	Production of Video Tapes	10 per district	1	10	1	5
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per district				
R11	Award of Best VEC (2 No.)	25	1	25	1	25
R12	Award of Best Shiksha Mitras	5	3	15	3	15
R12a	Award to Best BRC	10 per Bl.	1	10	1	10
R12b	Award to Best NPRC	7 per Bl.	20	140	20	140
R12c	Award to Best Teacher	5 per Bl.	20	100	20	100

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
	Special Invention for SC/ST Children	10	208	2080	104	1040
R13	Remedial Teaching of SC/ST Education	0.705 per child				
R14	Assistance ot NGOs, For SC/ST Education	0.705 per child				
R15	Provision For disabled children	1.20 (per child)	1852	2222	926	1111
1	Assistance ot NGOs, For integrated/ inclusive education	1.20 (per child)	390	468	195	234
R16	Computer Education for UPS composite school	100	100	10000	50	5000
	School Health Check Up (PS+UPS)	0.500 per school	2174	1087	1087	544
	Book Bank & School Library PS	5.0 per school	2174	10870	1087	5435
	Sub Total (B)		**25414**	**250323**	21636	233048
	(Q) Quality Improvement					
Q1	Training Programmes					
1	Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days)	0.07 per person per day	542	1138	271	569
2	Induction Traning for Assistant Teacher (6 Days)	0.07 per person per day	543	228	272	114
3	Induction Traning of Head Teacher (PS) (6 Days)	0.07 per person per day	66	28	33	14
4	Induction Traning of Head Teacher (UPS) (6 Days)	0.07 per person per day	100	42	50	21
5	In Service Teachers Training (10 Days)	0.07 per person per day	6872	4810	3436	2405
6	Inservice Training of Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
7	Induction Training of EGS/AIE worker	0.07 per person per day	200	420	100	210

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
8	Refresher course for Shiksha Mitra	0.07 per person per day				
9	Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days)	0.07 per person per day				
10	Training for BRC Coordinator (10 days)	0.07 per person per day	60	84	30	42
11	NPRC Coordinator's Training (10 days)	0.07 per person per day	208	146	104	73
12	Refresher Training for BRC Coordinator (5 days)	0.07 per person per day				
13	Refresher training for NPRC Coordinators (5 days)	0.07 per person per day				
14	Training of resources person at (DIET) (20 days)	0.07 per person per day	80	112	40	56
15	Staff Development training for DIETs (7 days)	0.300 per person per day				
16	BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days)	0.300 per person per day	228	80	114	40
17	ABSA/SDI Training (5 days)	0.07 per person per day	30	11	15	6
18	Training for AE & JE (5 days)	0.07 person per day	20	7	10	4
19	Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days)	1.50 per person	150	4500	75	2250
20	Orientation of VECs/Ward Committee (3 days)	0.03 per person per day				
21	Training of RCI(IED)	70.00 (45 days)	1	70	1	35
22	Teachers Orientation in IED (5 days)	0.07	3590	1257	1795	629
23	AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days)	0.500 per person per day	84	294	42	147

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. In Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
24	Training on EMIS by SIEMAT (5 days)	0.500 per person per day	42	105	21	53
25	Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days)	0.07 per participant per day				
	Total		**12816**	**13332**	**6408**	**6666**
Q2	Teaching Learning Material					
1	Teacher Grant (PT + SM)	0.5	6757	3379	6757	3379
2	Teacher Grant (UPS)	0.5	2330	1165	2330	1165
3	Free Text Book to SC/ST children & Girls (PS+UPS)	0.150 per child per year	177040	26556	177040	26556
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	1808	904	1808	904
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	366	366	366	366
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS) + Teachers Guide	LS	1	1000	1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS)	160	1	160	1	160
8	Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS)	160	1	160	1	160
9	Development Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10
10	Children learing Evaluation (PS) (3 Times in 10 years)	400 each	1	400	1	400
11	Children learning Evaluation (UPS) 3 times	400 each	1	400	1	400
12	School Awards	25	1	25	1	25
	Total		**188308**	**34525**	**188308**	**34525**
	Subtotal (C)		**201124**	**47857**	**194716**	**41191**

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 **(Rs. in Thousands)**

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C1	DIET					
	Civil Work	5000				
1	Furniture	50	1	50	1	50
2	Equipments (including Audio Visual)	400				
3	Computers Work Station	600				
4	Vehicle (where appkicable)	350	1	350	1	350
5	Hiring	5	1	5	1	5
6	POL	30	1	30	1	30
7	Maintenance of Vehicle	20				
8	Research/Action Research	200	1	100	1	100
	Seminars	200	1	100	1	100
9	Faculty Development	30	7	210	7	210
	Publication	400				
10	Exposure visits	50	1	50	1	50
11	Library	25	1	25	1	25
12	Salary of Computer Operator	7	12	42	12	42
13	Salary of Driver (where applicable)	4				
14	Consumable/Computer Stationary	10	1	10	1	10
	Contingency	100	1	100	1	100
	Total		**29**	**1072**	**29**	**1072**

165

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C2	Block Resource Centre					
1	Civil Construction	800				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Asstt. Coordinator	5.5x1	20	660	20	660
4	Chowkidar	3				
5	Equipment/Furniture	100	20	2000	20	2000
6	Travelling Allowance	5	20	100	10	50
7	Maint of Equipment	1	20	20	20	20
8	Maint of building	6	20	120	20	120
9	Books	10	20	200	10	100
10	Monitoring & Supervision (PS+UPS)	0300 per school	2174	652	1087	326
11	Consumables	5	20	100	10	50
12	Contingency	12	20	240	10	120
13	Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators	0.300 per meeting	208	749	104	375
	Total		2542	4841	1311	3821
C3	School Complex (NPRC)					
1	Construction	200				
2	Salary Coordinator	6.5				
3	Equipment/Furniture	10	208	2080	208	2080
4	Books for Library/Book Bank	5	208	1040	104	520
5	Contingency	2.5	208	520	104	260
6	Monthly Review meeting at CRC	0.200 x12 per meeting	2496	499	1248	250
7	Monitoring & Supervision (PS)	0.200 per school	2174	435	1087	218
	Total		5294	4574	2751	3327

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C4	District Project Office					
	Staffing Coordinators4					
	Consultants2					
	AAO					
	Driver1					
	(if vehicle is purchases)	71x12	1	426	1	426
	Furniture	50	1	50	1	50
	Equipment	50	1	50	1	50
	Books	10	1	10	1	10
	Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt.	350				
	Motorcycle	50	24	1200	24	1200
	Travelling Allowances	20	1	20	1	20
	Consumables	25	1	25	1	25
	Telephone/fax	30	1	30	1	30
	Vehicle Maintemance & POL	50	1	50	1	50
	Honorarium to JE/AE	6 Per Block	20	1440	20	1440
	POL for Motor Cycle	12x4				
	Maintenance of Equipment	10	1	10	1	10
	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5
	Supervision & Monitoring	0.158 per school	2174	344	2174	344
	Contingency	10	1	10	1	10
	Research & Evaluation	0.300 per scholl	2174	652	2174	652
	Total		**4403**	**4322**	**4403**	**4322**

167

ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD

31.07.2001 (Rs. in Thousands)

S.No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	1st Year as per		Estimate for 1st Year	
			Phy	Fin	Phy	Fin
C4 1	MIS					
1	MIS Call Furnisning	50	1	50	1	50
	Salary of MIS Officer	10	1	60	1	60
2	Salary of Computer Operator (3 Nos.)	7 p.m. ×12	1	126	1	84
3	MIS Equipments (where applicable)	460	1	460	1	460
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20
5	Maintenance of Equipments & Consumables	20	1	20	1	20
	Total		6	736	6	694
	Sub Total (D)		12274	15545	8500	13236
	Grand Total		249752	412804	234672	384848

168

परिशिष्ट

रजि० नं० एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी० 91
लाइसेन्स नं० डब्लू०पी०-41
लाइसेन्स टु पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1245/सत्रह-वि0-1—1(क)-29-1999

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा; और—

(क) इस प्रकार से पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ञ) 'नगरपालिका' का तात्पर्य, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।"

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ङ) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (च) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (छ) में शब्द और अंक "दू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों या नगरपालिकाओं" और शब्द "उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अधीक्षण रखना" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द "नार्मल स्कूलों" के स्थान पर शब्द "जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति" के स्थान पर शब्द "ग्राम शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द "और विशेषतया किसी बेसिक स्कूल या नार्मल स्कूल के लिए किसी भवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, स्वीकार करना" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-1) राज्य सरकार के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

नगरपालिकाओं को उनके कर्त्तव्यों के संपादन में ऐसे निर्देश जारी करना, जो इस अधिनियम से असंगत न हो।"

(च) खण्ड (3-2) निकाल दिया जायगा।

धारा 5 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 10 में अनिर्दिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति तथा" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा;

(दो) खण्ड (ग) में शब्द "किसी समिति" के स्थान पर शब्द "समिति" रख दिया जायगा।

नई धारा 9-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"9—क (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक को और से,—

बेसिक स्कूल के अध्यापकों और सम्पत्तियों का नियंत्रण

(क) बेसिक स्कूल का ऐसा प्रत्येक अध्यापक जो ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व परिषद् के अधीन सेवारत रहा हो, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका के, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित है, प्रशासनिक नियंत्रण में होगा;

(ख) किसी बेसिक स्कूल के संबंध में परिषद् के सभी भवन, सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर बेसिक स्कूल अवस्थित हो, अन्तरित और उसमें निहित हो जायगी।

(ग) जहां ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी भवन या उसके किसी भाग पर किसी बेसिक स्कूल के प्रयोजन के लिए परिषद् किरायेदार के रूप में अध्यासित रहा हो वहां ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में किरायेदारी किसी संविदा, पट्टा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरपालिका के पक्ष में अन्तरित हो जायगी;

(घ) धारा 18-ङ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भवन या उसके भाग के संबंध में परिषद्, लाइसेन्सधारी नहीं रह जायेगा और, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को जिसके प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा के भीतर ऐसा भवन अवस्थित हो, यदि वह पहले से उसका स्वामी न हो तो ऐसे भवन या उसके भाग के संबंध में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय, लाइसेन्सधारी समझा जायेगा।

(2) किसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को, यथास्थिति, ऐसी ग्राम पंचायत या नगरपालिका को उपधारा (1) के अधीन अन्तरित या उसमें निहित किसी भवन, सम्पत्ति या अधिकारों को विक्रय, दान, विनिमय, बंधक, पट्टा द्वारा या अन्यथा अन्तरित करने की शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10, 10-क और 11 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 10, 10-क और 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"10—उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन जिला पंचायतों के अधिकारों और कर्त्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक जिला पंचायत; परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेशन

जिला पंचायत के कृत्य

के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सदस्य या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ख) जिले में बेसिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का, यथास्थिति ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;

(ग) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय ।

नगरपालिकाओं के कृत्य

10-क—यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(घ) नगरपालिका क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

ग्राम शिक्षा समिति और उसके कृत्य

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो ग्राम शिक्षा समिति कहलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से, ज्येष्ठतम, जो सदस्य-सचिव होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन करना;

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनायें तैयार करना;

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना;

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना;

(ङ) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायं;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायं।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निकाल दी जायगी। धारा 12-क का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :— नई धारा 13-क का बढ़ाया जाना

"13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।" अध्यारोही प्रभाव

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द "शक्ति" के स्थान पर शब्द "शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय" रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्" रख दिये जायेंगे। धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-29-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 18 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) In sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (*e*) *for* the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be *substituted*;

(ii) *after* clause (*e*) the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(*f*) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) *after* sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (*b*) *for* the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be *substituted*;

(b) in clause (*c*) *for* the words and figures "Mahapalikas constituted under section 7 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be *substituted*;

(c) in clause (*d*) *for* the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) in clause (*c*) *for* the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats and Municipalities" shall be *substituted*;

(b) in clause (*g*) *for* the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be *substituted*;

(c) in clause (*e*) *for* the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchyats or Municipalities" shall be *substituted* ;

(d) in clause (*f*) the words "and in particular, to a[illegible] any [illegible] equipment of any [illegible] such conditions as it thinks fit" shall be *omitted*;

(e) *for* clause (g-1) the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistant with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(*f*) clause (g-2) shall be *omitted*.

Amendment of section 5

5. In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be *omitted*,

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

(*ii*) in clause (*d*) *for* the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be *substituted*.

Insertion of new section 9-A

6. *After* section 9 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Control of teacher and properties of basic schools

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

(*a*) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school, is situated ;

(*b*) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic School shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(*c*) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be ;

(*d*) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10,10-A and 11

7. *For* section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely :—

Functions of Zila Panchayats

"10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshettra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district ;

(*b*) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education ;

(*c*) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

Functions of Municipalities

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(*b*) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(*c*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(*d*) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(*e*) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

Gaon Shiksha Samiti and its function

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(*a*) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(*b*) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(*c*) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely :—

(*a*) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(*b*) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment thereof;

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.".

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*. — Omission of section 12-A

9. *After* section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— — Insertion of new section 13-A

"13-A. Over riding effect. Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect.".

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*; — Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures "after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*. — Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed. — Repeal and savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

संख्या:2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री [illegible] चन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ०प्र० लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र० सबके लिए शिक्षा परियोजना,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा (5) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ०प्र० के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकानुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा सत्र 1999-2000 से प्रदेश में संलग्न "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा सत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1- जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2- जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
3- लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

...2...

4- जनपद में उपर्युक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संचालित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उपर्युक्त समिति का होगा।

5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु विस्तृत निर्देश संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रुपये 1450/- का मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रुपये 400/- की दर से मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देय होगी।

7- कृपया तद्नुसार योजना के संचालनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आंगणन कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या: व दिनांक: तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत उ0प्र0।
4- निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार चयनित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आंगणन कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5- सचिव, उ0प्र0शासन पंचायती राज विभाग।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग उ0प्र0लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9- शिक्षा निदेशक (सा0/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषायें) उ0प्र0लखनऊ।
10- पंचायती राज अनुभाग -1
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव /कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
12- शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र शर्मा)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 2604/15-5-99-282/98 दिनांक 26 मई, 1999 का संलग्नक।

शिक्षा मित्र योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक -छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना का रूप रेखा निम्नवत् है । यह योजना शैक्षिक सत्र 1999-2000 से लागू होगी ।

शिक्षा मित्र की संकल्पना

1- स्थानीय आवश्यकता और मांग के संदर्भ में ग्राम सभा स्तर पर उपलब्ध इण्टरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निश्चित मानदेय पर पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर आमंत्रित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र " होगा।

2- (i) शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(ii) ग्राम पंचायत की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है ।

शिक्षा मित्र की शैक्षिक योग्यता एवं अर्हता

3- (i) शिक्षा मित्र (पुरूष /महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

(ii) उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से जहाँ ऐसे अर्हताधारी महिला /पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरूष को चिन्हित किया जायेगा।

.....2....

।।।।। किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक अध्यापक तथा 'शिक्षा मित्र' का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा बी0ई0पी0/डी0पी0ई0पी0योजना से आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बे0। द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। निर्धारित संख्या के अन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य सक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति । महिला/पुरुष।का चयन किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का चयन

6- ।क। ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के चयन हेतु बैठक आहूत करेगी जिसमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

।ख। समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

।ग। समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाकर निकाली जायेगी। तदनुसार 10। छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

।घ। विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50/ महिलायें होंगी। इनका भी चयन बिन्दु ।ख। में इंगित आधार पर किया जायेगा।

।ङ। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रचलित नियमों/ निर्देशों का पालन यथावत् सुनिश्चित किया जायेगा।

....3...

(ग) ग्राम शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट संबंधी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जावेगा।

संविदा की अवधि

7- शिक्षा मित्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर रखा जावेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

संविदा अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मित्र को संविदा पर रुपया 1450/- प्रतिमाह नियत मानदेय पर रखा जावेगा।

संविदा समाप्त करने की प्रक्रिया

9- (1) किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संविदा समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(2) संबंधित शिक्षा मित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा समाप्त करने के आशय का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जावेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

शिक्षा मित्र के मानदेय की स्वीकृति

10- (1) उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र का चयन करने के उपरान्त एतदर्थ अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जावेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित सत्यापन एवं पुष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे एवं अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे ।

(2) अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मित्र को इस आशय की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रुपया 1450/-

प्रतिमाह पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संविदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

111 प्रशिक्षण- प्रत्येक चयनित शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को रू0 400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवास आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1111 पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा सत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक सत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व का निर्वहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी सूचना संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवास भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण

12- 111 शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/ विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण मुख्यतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र / सरनाम स्कूल पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसी कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संसाधन केन्द्र /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याओं तथा आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी समस्याओं का समाधान

...

किया जावेगा तथा उसे पृथक पंजिका में अभिलिखित भी किया जावेगा। यदि कोई समस्या होती है जिसका समाधान समन्वयक के स्तर से संभव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं इस संबंध में वरीयता से कार्यवाही कर उसका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से कराया जावेगा।

।।।। शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मित्र अपने शिक्षण दायित्वों निर्वहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक / प्रभारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निर्देशन में करेंगे।

।।।।। ग्राम शिक्षा समिति के पदाधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उस विद्यालय निरीक्षक अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समय स्कूल के अन्य अध्यापकों की भाँति शिक्षा मित्र भी पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे।

।\v। विकास खण्ड संसाधन केन्द्र / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उस विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जावेगी जिस पर ग्राम शिक्षा समिति विचार करेगी। यदि शिक्षा मित्र के विरुद्ध लगातार टिप्पणी आती है तो ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मित्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार संविदा समाप्त कर सकती है और अन्य शिक्षा मित्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन कर सकती है।

अनुदान की व्यवस्था

13- ।।। इस योजना के अधीन " शिक्षा मित्र" के मानदेय तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक मुश्त संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक । बेसिक । द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का आगमन निर्धारित दर पर आगामी मई 31 तक के लिए किया जावेगा तथा एक वित्त स्वीकृत कर दिये जाने पर आगामी वित्त पूर्व स्वीकृत वित्त के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जावेगी। धनराशि दो समान किस्तों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध कराई जावेगी।

14- प्रस्तर -13 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा मित्र " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी किश्त की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की नियमानुसार वसूली करायें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति से है।

(दिनेश चन्द्र कनौजिया)
विशेष सचिव।

संख्या-129(1)/15-5-2000-282/98

प्रेषक,

श्री एन0 रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनंभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा0 सं0-4336/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश मे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अन्तर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में स्वेच्छा उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुत: यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलोक को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्प्रेरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन परक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्प्रेरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

शेष जनपदों में शिक्षा निदेशक(वे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्हीं विद्यालयों में होगी जहां पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:</u>

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(वे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(वे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हों और अध्यापकों की कमी के कारण जहां पठन-पाठन में समस्या रही हो, को वरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति की जायेगी।

3. <u>ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:</u>

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयावधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित न्याय पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. <u>शिक्षा मित्र की अर्हतायें:</u>

शिक्षा मित्र (पुरूष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रतिबंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0/एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. <u>शिक्षा मित्र का कार्यकाल:</u>

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वत: समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुन: इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. <u>शिक्षा मित्र का मानदेय:</u>

शिक्षा मित्र को रू0 2250/- प्रति माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय की धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरूद्ध शिक्षा समिति द्वाराउसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. <u>शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:</u>

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान कियाजायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू0 2250/- के स्थान पर रू0 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू0 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपयुक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानी अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवायें सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी स्वयं-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा की अंक तालिकायें तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समयावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानी अर्हता तथा आयु के संबंध में सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा बी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होंगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उसी वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते है तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं कियाजायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पौत्र,दामाद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है, की सेवा से पृथक अथवा सेवाच्युत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना समाधान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

8. <u>शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:</u>

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/विकास खण्ड संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखत: इन केन्द्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थायें शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनादेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar

(एन0 रविशंकर)
सचिव ।

<u>संख्या: व दिनांक तदैव:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उ0प्र0।
4. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, उ0प्र0 शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0।
8. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषायें, उ0प्र0, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-1
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग

आज्ञा से,

(जे0 डी0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रारूप-एक

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,
अध्यक्ष,
ग्राम शिक्षा समिति,
ग्राम पंचायत -............................
जिला -.................................

महोदय,

ग्राम पंचायत-..द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक......................को प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मै शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनायें निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम- ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -
   (क) हाई स्कूल - श्रेणी प्राप्तांक
   (ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक
   (ग) अधिमानी अर्हता-बी0एड0/एल0टी0 श्रेणी प्राप्तांक
5. जन्म तिथि
   [(क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकायें संलग्न है।]
6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्ते मान्य होगी।

दिनांक- भवदीय,

(

नाम/पता:

प्रारूप-दो

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पत्नि.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वेच्छा से समाजसेवी की हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय में एक समाज सेवी की हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वेच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिषदीय कर्मचारी नहीं समझूंगा/समझूंगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूंगा/लूंगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद मेरे विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उज्रदारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनायें तथ्यहीन या असत्य पायी जायें तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा सत्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:रा0प0नि0/ 539 /2001–2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

(1)	प्रमुख सचिव, शिक्षा	अध्यक्ष
(2)	सचिव, बेसिक शिक्षा	उपाध्यक्ष
(3)	प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(4)	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(5)	राज्य परियोजना निदेशक	सदस्य
(6)	निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा	सदस्य–सचिव
(7)	निदेशक, बेसिक शिक्षा	सदस्य
(8)	निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0	सदस्य
(9)	भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(10)	भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
(11)	सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(12)	राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक	सदस्य
(13)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो	सदस्य
(14)	निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना	सदस्य
(15)	निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद	सदस्य
(16)	निदेशक, एस0आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य

(17)	निदेशक, महिला समाख्या	सदस्य
(18)	सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो।	सदस्य
(19)	प्रमुख सचिव (शिक्षा) द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो।	सदस्य

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

* शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
* इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
* यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर चिन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
* इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
* योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
* राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
* स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
* समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

.....3/-

* योजना की शुरूआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।
* वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
* समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-विमर्श हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
* स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान स्वीकृति प्रदान करेगी।।
* समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
* अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरूद्ध समिति विस्तृत अनुसंशाएं प्रस्तावित करेगी।
* समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेत अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
* इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
* यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं (बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा) का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

.....4/-

* यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(6) शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
(7) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(8) संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(9) सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
(11) निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
(12) निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
(13) निदेशक, एस0आई0ई0टी0, निशातगंज, लखनऊ।
(14) निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
(15) सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007
☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123
E -Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा0प0नि0/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद सतर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं0:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अनु0 जाति/अनु0जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
5.	दो महिला ब्लॉक प्रमुख	सदस्य
6.	महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद्	सदस्य
8.	शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य	सदस्य
9.	एक शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
12.	जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
13.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
14.	लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता	सदस्य
14.	समन्वयक महिला समाख्या	सदस्य
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेंगी :-

(1) जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।

(2) योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।

(3) शिक्षा गारण्टी योजना तथ वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

(4) राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।

(5) यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।

(7) समिति जनपद से निम्न स्तरों (विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर) पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।

(8) समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था करायेगी।

(9) समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

.....3/-

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
(4) जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
(5) मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
(7) अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एस0, उत्तर प्रदेश।
(11) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
(12) अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(13) समन्वयक, महिला समाख्या।
(14) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(15) शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

(वृन्दा सरूप)
राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

(डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत खोले जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन होगा, वहां की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी। उपरोक्तवत् आवंटित मानदेय सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम शिक्षा निधि में हस्तान्तरित की जायेगी। प्रस्तर-1 में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिमाह मानदेय नियमित रूप से ग्राम निधि के माध्यम से ई०सी०सी०ई० कार्यकत्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।

5- परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को रु०5000/- की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा रु01500/- की धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, जहां यदि शैक्षिक उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त रु05000/= की धनराशि बच्चों हेतु स्थानीय रूप से निर्माण में व्यय की जा सकती है। शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची ये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार दरी, बच्चों के खिलौने, शैक्षिक उपकरण व साज-सज्जा आदि पर प्रस्तर-1 में वर्णित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी। आवर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सामग्री ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से क्रय की जायेगी। अतः रु0 5000/= की धनराशि अनावर्तक अनुदान भी ग्राम निधि में स्थानान्तरण की जायेगी।

6- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का यह दायित्व होगा कि उनके आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित किए जाने वाले ई०सी०सी०ई० केन्द्रों का संचालन समुचित तरीके से हो तथा ई०सी०सी०ई० केन्द्र में आने वाले बच्चों का साथ में लेखा-जोखा रखा जाए।

7- प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर फलदार पेड़ जैसे नीबू, अमरूद तथा पपीता के पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। इन पेड़ों की पौध [illegible] करने पर आने वाला व्यय प्रस्तर-5 में वर्णित अनुदान से वहन किया जायेगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र का यह दायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी केन्द्र के आकार पर अधिक से अधिक इन पेड़ों को लगाए क्योंकि इन पेड़ों के फलों से बालक-बालिकाओं को [illegible] रूप में अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध हो सकेगा।

..........3

उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2
संख्या-2000/म०-2-2000-2/13(9)/93
लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2000

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) के द्वारा अर्ली चाईल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई0सी0सी0ई0) केन्द्रों को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, संलग्नक में उल्लिखित जनपदों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

(1)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
(2)	जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विकास खण्ड के उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विकासखण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई0सी0डी0एस0	सदस्य/सचिव
(5)	सम्बन्धित न्याय पंचायत केन्द्रों के प्रभारी	सदस्य
(6)	जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा	सदस्य

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिले तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाने वाले, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह योजना संचालित की जायेगी, उनके खुलने तथा बन्द होने का समय वही होगा जो वहां के स्कूल खुलने और बन्द होने का समय होगा।

3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र का संचालन करेगी और उसकी केन्द्र सहायिका, ई0सी0सी0ई0 केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी अर्थात दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संचालित होंगे। चूंकि उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा अतः उन्हें इस बढ़े हुए कार्य के सम्पादन हेतु निम्न धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में स्वीकृत की जायेगी :-

1- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री — रु0250/-
2- [illegible] — रु0125/-

जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर [illegible] प्राथमिक शिक्षा [illegible]

8- प्रत्येक जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जिले में इस योजना के संचालन हेतु समुचित पर्यवेक्षण करे और अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। योजना के पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड की बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त निर्देश राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

ललित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000(1)/60-2-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2- राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना/ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, निशातगंज, लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी।
4- समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी।
5- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रति उप निदेशक निरीक्षक।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर सिंह)
उप सचिव।

	दुद्धी	44	वीडर, रजखड़, दुम्हान, महुअरवा, गुलालझरिया, घाघरा, झारोखला, कटौली, झारोकुर्द, पिपराही, मझौली, रजखड़, मरेला, चपाड़, नगरी, टेड़ा, बीड़र, खमचा, जबवार, सिलियाडीह, पिपरडीह, गाहपुर, हरपुरा, महुली, दुमरिहा, मडीसेमर, सतैयाडीह, नरती, डोमदा, पुन्देहवा, कोतिलकुवा, बघाडुबा, रेनाहिल रज रजखड़-।।, दुम्हान-।।, हत्थानी, नरसा घाघर । नवाटा, कटौली, घाघरा, महुअरिया, कुसरडीहा, जोंगर, बीड़र । कुसरडीहा ।
3- ललितपुर	महरौनी	16	रजवांव, गुरयाना, वैरवारा, मड़ावरा, अर्जुनखिरिया, मोजा, मोजा, रजपारा, झकोजा, ललंदर, पड़खुडीकला, टीलदा, खोरीलागर, बमराना, उतरजाकुर्द, डोमरा, बालाबेहट, कड़ीरा, पटलेमरा, खोरी ।
	बिरधा	04	
	बार	25	पारोल, टोडी, फेलगवां, जरावली, मोगाल, बार, बगर, देवराल, पिंगलोआ, बाबुर, डगराना, कारीटोरन, देलीनीलोन, गैदोरा, ललवारा, लखा, मदनपुरा, भारोनी, बगारा, हीरापुर, पिलना, करवई, दिदोरा, देवपारा, मावली ।
	बबीना	03	चितरा, सिवनीखुर्द, बमरौआ ।
	महरौनी	03	पठा, कम्हेड़ी, देवपारा ।
	तालबेहट	24	करैशा, पजगुंवस्ता, सिमरोठा। पोलाई, मचांव, मऊ कोटरा, उदयुदा, विजयपुरा, पुराकलां, बुराचली, इंदेरा, कडेसरा, नेरवांसकला, सिमरौठा, सिहारीपुरा, राजीपुरा, भावनी, वड़ेसरा, झुठरिया, कडारी, वमुरा, बारी, हांसी, रजवास ।
4- बदायूं	वजीरगंज	25	रोठा, अकौलिया, मझोई-मोठा, कलिया-काजमपुर, सिसइया, देवत, बसरैल, बागी, हरवलपुर, हुसैनपुर, सिंडोली गंज, रजोरिया, उरैया, हरनानपुर, वीरमपुर, कटुआ, मीरापुर, चिनवरी, बाबरपुर, कोर, ह दलोटा, कस्वारी, इलरा, मलिकपुरिया, सिहना, दुकोटा मसरनगर ।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	संख्या	
1	2	3	4	5
1-	देवरिया	बरहज	35	तलरही, हाँसा, मंझिया, पड़ुआ भाँव, देवा, रामपुर, [illegible], मधपार, करमहां, [illegible], कपरवार, हरकौटा, छोटपा, परांव, लमोहर, हांहई, [illegible], [illegible] उपाध्याय, तवकली गंगा, हरकही, मंगापर, [illegible], हड़ेसर, जयनगर, परिनिया, [illegible], [illegible]पुर, बड़वाछपरा, होरी, महेस, [illegible], [illegible], देवपार, कोलुआ, हाथिया बुजुर्ग, उजरामोहा, [illegible]पुर, लक्ष्मीपुर, ईश्वर तवकली ।
		रुद्रपुर	18	मइला, पकड़िया, [illegible]पुर, [illegible], रामपार, [illegible], [illegible]लिया, [illegible]लिया, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, शीतलमाझा, [illegible], [illegible] ।
		सलेमपुर	10	[illegible], [illegible]पुर, [illegible]पुर, देवरिया उर्फ रामपुर, [illegible], [illegible], [illegible] गोसाईं, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		बैतालपुर	12	[illegible]पुर, जगदीशपुर, [illegible]रिया, गोविन्दपुर, पाण्डेयचक, करमैल [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], ईटवा ।
2-	गोरखपुर	चौरीचौरा	67	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], देवगढ़, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], चौरीचौरा, [illegible]-1, [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पाण्डेय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]रिया, [illegible], [illegible]रिया, [illegible]-1, [illegible]-1, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

7- फिरोजाबाद	शिकोहाबाद	49	रजियातारा, रहटी, नाहुआ, सिरसा, सकरौली, अरांव, इटौली, जिगसपुर, मोहम्मदाबाद, डाहिनी, अंगुरी, मुरीदिस्तर, हरगनपुर, अब्बासपुर, हैवतपुर-कर्ता, डरिया, समुडा, मुबारकपुर, बरा-मनका, सन्तापुर, अवारा, मानिकपुर, इनदुमई, माहिनी, भी, पुर, नगला, रोहरा, म0 दानताल, भिलावली, चन्दपुरा, सिरार, मुरादेवमई, भूड़ा परवरा, अधवा, नगपुर, बरौली, मेघरा, काराई, नरसपुर-कर्ता, खरसरा खुर्द, अमीरपुर, नीम-खेरिया म0, कटेरी, मनिसा, नसीरपुर, नगपुर, कातीपुर, मुबारकपुर, कमपुरा, करवपुरा, करतार, जलालपुर।
	टूण्डला	41	मोहम्मदपुर, टूण्डला ग्राम, टूण्डला देहात, बाई, मोहम्मदाबाद, बहादुरनगरबाद, टूण्डली, म0 रसूलपुर, म0 सिंगी, बाई, कुन्डला, नीमपुरा, नोरपुरा, धारेपांचें, ठारसीरा, कुमपुर, गंजरौली, नगाईं, गढ़ी गोपाल, मुरादपती, पुरवापती, नारखीर्द, कोटला, देवडूरा, पपरारी, पुर्व बनगा, रामपुर, गढ़ी जसराज, मुजासनगर, हैवरतपुर, माखिर, बीजमर, गढ़ीसोरी, कटरा, हिम्मतपुर, म0 रहनत, रतपुरा, मही, सिरैय, रिसखिडपुर, नटौवा, खिरा।
8- लखीमपुरखीरी	निघासन	26	सरसहरा, सिरसागुरवा, मोहम्मदियादेश, सतौरी, ढेबरा, ढेडारा, ढेबरा-2, बम परसोता, मोतीपुर, मोतीपुर, सिंगाही भूड़ा, सिंगाही अमरौरा, परसोता, गुदरा परसोता, झण्डापरसोता, सोरेसराय, रघानगंज, गोपालपुरवा, सिंगाही देवा, सिंगाही, सिंगाही, सिंगाहा, मुसलपुरवा, बस्ती पुरवा, रघुनाथपुर जंगली सिंगाही देवी।
	बिजुआ	25	सहेड़ा, डिमरौल, नौकटा, रायनगर, हसनपुरा, बलदेवपुर, कड़िरिडिया, देवरिया, अलीगंज, रड़ा देवरिया, सहजूपुरवा, मेहदी, मुरिया, नौगर-1, सहिजना, मुडियाहेमसिंह, सरुवा, गोनास,

		[illegible]नगर	25	मुहम्मदनगर, [illegible], सिरौली, देवपुर, अलीपुर, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], रफायतपुर, [illegible]पुर, [illegible] [illegible], [illegible], छौरापुर महरौली, [illegible], उदयपुर, [illegible], [illegible] ।
5-	महराजगंज	दसिहरा	11	[illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], देवीपुर, मुख्या, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		महराजगंज	15	रामपुर[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], तिवारी, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	10	[illegible]पुरा, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
		फरेन्दा	40	[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] बिरनागनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], फरेन्दा[illegible], [illegible], गोपालपुर पिपरा [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] महराज, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible]पुर, [illegible] [illegible] देवीपाटन, [illegible], [illegible] ।
6-	[illegible]पुर	[illegible]	21	पंचकोसी, हरपुर, फरेन्दा[illegible], रामनगर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], रतनपुर[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible] [illegible] ।
		[illegible]	21	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], देवरा[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर [illegible] ।

........4

				[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], पचुरी, कोमिया, [illegible] । अमेठी ।
[illegible]-	मुरादाबाद	मुरादाबाद	16	मनोहरपुर, [illegible], पाकबाड़ा, [illegible], [illegible], मोमीपुर, रामपुर, [illegible], देवपारी, [illegible], डेवापर्सपुर, [illegible], रसूलपुर, [illegible], धोकलपुर, [illegible], [illegible], मनोहराबाद [illegible], रामपुर, [illegible], पाकबाड़ा ।
		बिलारी	09	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], काजी, राजा का सहसपुर, [illegible], गैहरा, [illegible] ।
		कुन्दरकी	15	पिलपुर, [illegible], [illegible], [illegible], चांदपुर [illegible], [illegible], हरियाना, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।
10-	गोण्डा	पंडरी कृपाल	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], पिपरा, [illegible], [illegible], [illegible], मिश्रपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] द्वितीय, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] माफी, [illegible], बीरपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मंतरी ।
11-	हरदोई	सण्डीला	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-II, [illegible], [illegible]-I, [illegible], नरेन्द्रपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-I, [illegible], [illegible]-I, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-I, [illegible], [illegible] ।
		[illegible]	22	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-II, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

12- बरेली	बरेली शहर	124	इज्जतनगर, [illegible], जंक्शन, मिर्धानटोला, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कुतुबखाना, [illegible], बिहारीपुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-II, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, शिवपुरी-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible], [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, [illegible]-III, शिवपुरी-III, [illegible]-III, [illegible]-II, [illegible], [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-6, [illegible]-7, शिवपुरी-4, शिवपुरी-5, शिवपुरी-6, शिवपुरी-7, [illegible]-4, [illegible]-II, [illegible]-III, [illegible]-4, [illegible]-4, [illegible]-5, [illegible]-4 ।
13- पीलीभीत	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

....

		बीरुपुर	2[illegible]	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], मोहम्मदपुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], दरेवा, [illegible], मुबड़ी, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], बलारा, [illegible], [illegible]पुर [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रसूलाबाद[illegible] ।
		[illegible]	25	मुंडेरा [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], सिरौली, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible] मरौरी, [illegible] [illegible] ।
14-	सि[illegible]नगर	[illegible]	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], रामपुर-सिद्धार्थनगर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-2, [illegible]-1, [illegible]-2, [illegible], [illegible] ।
		डुमरियागंज	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], परसा [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, रेहरा, [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible] ।
		बढ़नी	25	[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible]पुर ।
5-	[illegible]नगर	[illegible]	22	[illegible], [illegible]पुर, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]पुर, [illegible] [illegible], [illegible] ।

......

संख्या-3274 /5-11-2000- ई-42/

प्रेषक,

डा. के.डी. माहेश्वरी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना
निशातगंज लखनऊ।

2. शिक्षा निदेशक (बे.)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4. महानिदेशक
रा.श.अनु. एवं मूल्यांकन
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 20

विषय:- उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक/बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

:------:

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-एम. एल. 17/5-11-99 ई-42/98, दिनांक 21 जुलाई, 1999, जिसके द्वारा गत वर्ष प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (यू.पी.बी.ई.पी./डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत 35 जनपदों में प्राथमिक विद्यालयों में आने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त कार्यक्रम की गत वर्ष की सफलता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कार्यक्रम को प्रदेश के 78 जनपदों जिनकी सूची संलग्न है, जनपद लखनऊ को छोड़कर जो सी.ओ.आई. यू.एन के अन्तर्गत लिया गया है, चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों की देख-रेख में सुनियोजित ढंग से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ कार्ड बनाना, रेफरल कार्ड बनाना, विकलांग बच्चों का चिन्हित करना व उन्हें प्रमाण-पत्र देना तथा कृमिनाशक (डी-वार्मिंग)

अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयानुसार हो सके।

3. उक्त कार्यक्रम के सुचारु संचालन हेतु शासन स्तर पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) इस कार्यक्रम को तीन चरणों में माह 15 अगस्त, 2000 से सितम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करके सभी विद्यालयों को तदनुसार सूचित करायेंगे।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में हर माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेगा कि वजन मापने की मशीन व हाईट स्केल उपलब्ध हों।

(3) आवश्यकतानुसार बेसिक शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ स्थानों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

(4) बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी कार्ड व सन्दर्भ कार्ड राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेंगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

1. लाल संदर्भ कार्ड — गम्भीर रोगों के लिये
2. पीला संदर्भ कार्ड — कम गम्भीर रोगों के लिए
3. हरा संदर्भ कार्ड — साधारण रोगों के लिए

स्वास्थ्य कार्डों व संदर्भ कार्डों में प्रविष्टियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकतानुसार प्रधानाध्यापक को सहयोग देंगी।

[signature]

5- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा बाल विकास परियोजना के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठक करके इस परियोजना की समीक्षा करेगी और आने वाली समस्याओं का जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

6- जिलाधिकारी इस कार्य हेतु रेडक्रास सोसाइटी एवं अन्य स्वयंसेवी/स्वैच्छिक/धर्मार्थी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेंगे एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय से कृमिनाशक (डी-वार्मिंग) औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

7- विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विकास खण्ड में सी.एच.सी. स्तर पर परीक्षण किये जाने तथा उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये सी.एच.सी. पर प्रत्येक त्रैमास के अन्तिम सप्ताह कोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और उस दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उस दिन ई.एन.टी. सर्जन, आर्थोपैडिक सर्जन तथा नेत्र विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। दिवस/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में इसका विशेष प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय अधिकारी भी इसकी सूचना प्रत्येक ग्राम पंचायत व विद्यालय को पहुँचायेंगे।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सम्पन्न कराने तथा प्रगति प्रत्येक माह संलग्न प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिये शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम विद्या भवन, लखनऊ को व उसकी एक प्रति महानिदेशक, परिवार कल्याण को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(डा० पी.डी. भारद्वाज)

सचिव।

........4

संख्या-5274(1)/5-11-2000, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।

2- प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।

3- सचिव, वैदिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।

4- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल।

5- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

6-8-2000

आज्ञा से,

(कमलिनी श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

डी0पी0ई0पी0 जनपदों की सूची

क्रमांक	जनपद का नाम
1.	उन्नाव
2.	रायबरेली
3.	कानपुर देहात
4.	फर्रुखाबाद
5.	कन्नौज
6.	मैनपुरी
7.	एटा
8.	आगरा
9.	मथुरा
10.	मेरठ
11.	बागपत
12.	बुलन्दशहर
13.	गाजियाबाद
14.	गौतमबुद्ध नगर
15.	कुशीनगर
16.	झांसी
16.	जालौन
18.	फैजाबाद
19.	अम्बेडकर नगर
20.	सुल्तानपुर
21.	आजमगढ़
22.	बलिया
23.	मऊ
24.	जौनपुर
25.	गाजीपुर
26.	मिर्जापुर
27.	प्रतापगढ़
28.	फतेहपुर
29.	हमीरपुर
30.	महोबा
31.	मुजफ्फरनगर
32.	हरिद्वार
33.	बिजनौर
34.	बागेश्वर
35.	पिथौरागढ़
36.	चम्पावत
37.	उत्तरकाशी
38.	टिहरी
39.	रामपुर
40.	बाराबंकी
41.	बहराइच
42.	श्रावस्ती
43.	[illegible]

उ0प्र0 राज्य के लिए शिक्षा परियोजना {बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद}

1. वाराणसी
2. अमरोहा
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. बांदा
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पौड़ी
11. नैनीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कौशाम्बी
14 औरैया
15. हाथरस
16. चन्दौसी
17. चित्रकूट

<u>जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम {डी0पी0ई0पी0 जनपद}</u>

1. महाराजगंज
2. सिद्धार्थनगर
3. गोण्डा
4. बदायूं
5. लखीमपुरखीरी
6. ललितपुर
7. पीलीभीत
8. बस्ती
9. मुरादाबाद
10. शाहजहांपुर
11. सोनभद्र
12. देवरिया
13. हरदोई
14. बरेली
15. फिरोजाबाद
16. बलरामपुर
17. ज्योतिबाफुले नगर
18. संत कबीर नगर

<u>विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की प्रगति रिपोर्ट</u>

जनपद का नाम:............

रिपोर्टिंग माह ....

क्र0 सं0	प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का नाम	विद्यालय का नाम	स्वास्थ्य परीक्षण की तिथि	कुल छात्रों की संख्या जिनका परीक्षण किया गया	छात्रों की संख्या जिनको विद्यालय में ही उपचार दिया गया	छात्रों की संख्या जिन्हें संदर्भित किया गया			सामु0स्वा0 केन्द्रों में चिकित्सकों की परीक्षण तिथि	प्रदत्त चिकित्सीय प्रमाण पत्रों की संख्या			अन्य विवरण
						गंभीर	कम गंभीर	साधारण		मूक	श्रव्य दोष	दृष्टिदोष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

विद्यालय एवं कक्षा–कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण

भाग – एक

कुल अंक – 9

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
1	विद्यालय भवन / कक्षा–कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई	1	. वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग – रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल--कूद का सामान तथा अन्य कार्य
2	शौचालय का रखरखाव / प्रयोग	1	. क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? . क्या शौचालय स्वच्छ है?

(P)

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स) के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु

चेक बिन्दु

कुल अंक – 50

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
3	पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव	1	• क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है?
4	विद्यालय अभिलेख का रखरखाव	1	• बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
5	विद्यालय–वाह्य भीति की साज–सज्जा	1	• सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर)
6	कक्षा–कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता	1	• क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
7	कक्षा–कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना	1	• शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि
8	छात्रों के बैठने की व्यवस्था	1	• पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों/टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्धए अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास/ गतिविधियां करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं?
9	बच्चों की स्वच्छता	1	• क्या बच्चे साफ–सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ–सुथरे हैं?

शिक्षक एवं शिक्षण/अधिगम संबधी

भाग – दो

कुल अंक – 29

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
9	शिक्षक का व्यक्तित्व	1	• वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण
10	शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता	3	• स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
11	अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	1	• मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं।
12	सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं?	1	• शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रुप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गई या नही।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
13	विद्यालय अनुशासन	1	• क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं?
14	• कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रत की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं?	3	• समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं।
15	शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं।	3	• नवीन इकाई/विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
16	क्या शिक्षक बच्चे पाठ / विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं।	2	• क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्याापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है?
17	क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं?	1	• बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं?
18	क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है।	3	• क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं।

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
19	कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं?	3	• क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहें हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
20	पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे है या नहीं।	3	• पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
21	क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है?	1	• पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल–कूद/पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुंस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है?

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
22	क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है।	1	• क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागीदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व–उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार–पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि)
23	अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य	2	

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन/अनुश्रवण सम्बन्धी

भाग – तीन

कुल अंक – 12

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
24	पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं?	1	• इकाई आधारित
25	शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है/उसकी जाँच की जा रही है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
26	छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति	3	पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5–5 प्रश्न/अभ्यास करा के जाँच करें।
27	क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है?	1	

क्र०सं०	चेक बिन्दु	अंक	टिप्पणी
28	मासिक परीक्षण/इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों/बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं।	3	• कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफ्टेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना।
29	नया पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है।	1	प्रतियोगिताओं में अच्छे परिणामों का विवरण मूल्यांकन कार्ड
30	क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है?	2	• छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है?